खण्ड-321, अंक-9
मंगलवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1898
(4 मई, 1976 ई0)

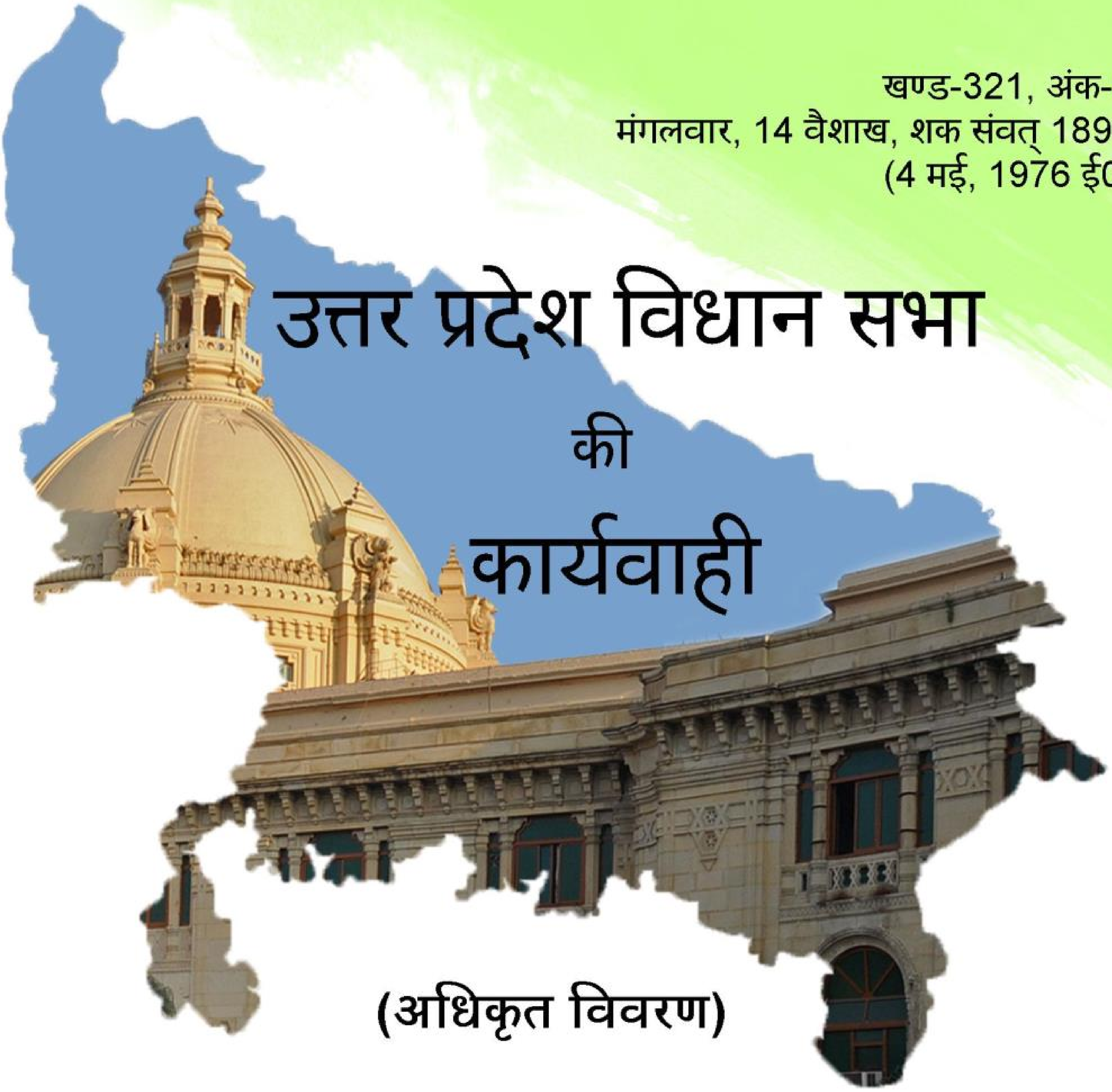

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	695–697
प्रश्नोत्तर	697–717
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 20 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण तथा निगम के वर्ष 1972-73 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	717
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	717
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 लेखा विवरण सहित (सदन के पटल पर रखा गया) ..	717
औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	717
उत्तर प्रदेश फैक्टरीज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	718
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	718
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	718
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	718
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक गाड़ियों द्वारा ले जाए जाने वाले माल का संग्रह, अग्रेषण तथा वितरण करने के कारबार में लगे हुए अधिकर्त्ताओं को लाइसेन्स देने की नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	718
बिधान सभा सदस्य, श्री हरीश चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	718
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 28—शिक्षा तथा अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा (स्वीकृत)	719–769
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	769–770
नत्थियां	771–775

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 4 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 2 मिनट पर दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—212

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह मन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजाजी)
पूरन चन्द, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री

राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्रप्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोक पति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद , श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीता राम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल , श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—राज्य ग्राम्य विकास मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 मई, 1976

तारांकित प्रश्न

*1-2—श्री अठई राम—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11-12 पर स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले के शीतगढ़ बूढ़नपुर में रखे गये आलू की क्षति

*3—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

दिनांक 25 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न विचाराधीन कब तक रहेगा और लगभग 1 वर्ष विलम्ब का क्या कारण है ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

आलू की क्षति बिजली न मिलने के कारण हुई है। सम्बन्धित किसानों को कोल्ड स्टोरेज द्वारा नोटिस दी गई। जो लोग आलू नहीं उठा सके थे उनका आलू खराब हो गया। यद्यपि कि मानवीय कारणों से सम्बन्धित कोल्ड स्टोरेज उक्त क्षति का प्रतिकर देने का इच्छुक है, किन्तु धनाभाव के कारण व सम्बन्धित किसानों द्वारा अपने नुकसान के बारे में नियमानुसार कोई दावा दाखिल न किए जाने के कारण प्रतिकर का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपए की आलू की क्षति हुई और किसानों को कब नोटिस दी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

356 किसानों का आलू रखा गया था और वह 5,74,572 रुपए 50 पैसे का था और नोटिस दिनांक 1 जून, 1974 को दी गयी थी।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

अगर किसान क्षति पूर्ति का दावा फिर से दायर कर दें तो क्या सरकार उनकी क्षति पूर्ति करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं इमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जो आलू किसान का रखा गया था उसमें हमारे विभाग का दायित्व है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों का भी दायित्व है। जब उनका आलू सड़ गया तो उनकी तरफ से दावा कराना चाहिए था।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

मेरा यह भी प्रश्न था कि अगर फिर से क्षति पूर्ति का दावा किसान दायर करेंगे तो किसानों का पैसा सरकार वापस करायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इससे पहले भी 6 अगस्त, 1974 को माननीय राम सुन्दर पांडेय को मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था क्षतिपूर्ति का और सहकारिता विभाग क्षतिपूर्ति करना चाहता है, लेकिन धनाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। सहकारिता मन्त्री जी यहां बैठे हैं और आज भी मैं यह कह कर आया हूं कि इस सम्बन्ध में एक मीटिंग जल्दी करें ताकि कृषकों की क्षतिपूर्ति किसी प्रकार हो सके।

सहकारी उपभोक्ता संघ, लखनऊ द्वारा फ्रिज की बिक्री

*4---श्री राम सुन्दर पान्डेय---

दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फ्रिज को कितने रुपए में क्रय एवं विक्रय किया गया तथा मरम्मत में कितना रुपया व्यय हुआ ? उक्त फ्रिज स्पेशल सचिव, सहकारिता के निवास स्थान पर लगा हुआ है और इसके लिये अतिरिक्त बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)---

प्रश्नगत फ्रिज उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ ने 2,615.54 रुपये में प्राप्त किया। उक्त संघ से वह फ्रिज नया बाजार, लखनऊ ने 3,092.62 रुपए में प्राप्त किया तथा उसे 3,400 रुपए में विक्रय किया।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ अथवा नया बाजार, लखनऊ द्वारा उक्त फ्रिज की मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया।

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी ने न तो कभी उक्त फ्रिज प्राप्त किया और न उनके निवास पर कोई फ्रिज है। अतः फ्रिज के लिए अतिरिक्त बिजली कनेक्शन तथा सरकार द्वारा कार्यवाही करने के प्रश्न नहीं उठते।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त फ्रिज किस व्यक्ति का था, कितने रुपए का था और किस तारीख को बेचा गया ?

सहकारिता मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

इसका उत्तर हो गया।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

किस व्यक्ति को, जो कि कानपुर का रहने वाला है, इस फ्रिज को बेचा गया ?]

श्री विजय कुमार---

कानपुर के मोहम्मद वाहिद अली को 3,400 रुपए में यह फ्रिज बेचा गया।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फ्रिज को उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ ने सुपर बाजार, लखनऊ को किस तारीख को बेचा और सुपर बाज़ार, लखनऊ ने किस तारीख को वाहिद अली को, जो कि एक फर्जी नाम बताया जाता है, बेचा ? क्या यह सही है कि कैश मेमो पर जो दस्तखत हैं, वे जाली हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह बात सही नहीं है ; सैकड़ों फ्रिज आते हैं और बिकते रहते हैं और खरीदे जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सचिव का नाम क्यों लिया जाता है। इससे मुझे तकलीफ है। उनके घर में आज भी कोई फ्रिज नहीं है। इससे मुझे बड़ा दुख है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन .....

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

हमारे पास वे पत्र हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तारीख को लिया गया। आपने पहले भी प्रश्न पूछा था और बाद में भी पूछा। मैं यह कह रहा हूं कि मैं दोनों डेट आपको बता दूंगा। सुपर बाजार में कई फ्रिज आते हैं और लोग खरीदते हैं। जो कि फारेन के फ्रिज हैं, उनकी कीमत ज्यादा नहीं है। उन्हें लोग खरीदते नहीं हैं, क्योंकि हमारी क्लाइमेट में वे चलते भी नहीं हैं। लेकिन जो हमारे सचिव का नाम लिया जाता है कि उनके घर में वह फ्रिज लगा है, वह तकलीफदेह बात है। मैं चैलेंज करता हूं कि उनके घर में आज देखा जाय तो कोई फ्रिज नहीं है। हम आपको तारीख बताते हैं।

श्री विजय कुमार---

संघ ने बम्बई से 27 मई, 1974 को फ्रिज खरीदा था। उपभोक्ता सहकारी संघ ने उसकी दिनांक 23 अगस्त, 1974 को बिक्री की।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

सुपर बाजार ने वाहिद अली को किस तारीख को यह फ्रिज बेचा और कैश मेमों में वाहिद अली के जो दस्तखत हैं, क्या वे सही हैं ?

श्री विजय कुमार---

वाहिद अली को दिनांक 23 अगस्त, 1974 को उसकी बिक्री की गई।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

क्या कैश मेमों पर वाहिद अली के सही दस्तखत हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

दस्तखत उसमें हैं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि मन्त्री जी तो यही बता सकते हैं कि उसमें दस्तखत हैं। वह कैसे बता सकते हैं कि फर्जी हैं ?

श्री राम सुन्दर पांडय--

यही कह दें।

श्री अध्यक्ष--

नया बाजार बेचता है.....

श्री राम सुन्दर पांडेय--

इसमें परेशानी यह है कि जिस दिन उपभोक्ता सहकारी संघ ने उसकी बिक्री की, उसी दिन वाहिद अली को यह फ्रिज बेचा गया। मैं यह जानना चाहता था कि उससे कौन सा ऐसा सम्बन्ध था कि एक ही दिनमें कानपुर में रहने वाले को मालूम हो गया कि फ्रिज बिक रहा है और उसे खरीद लिया। यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका अनुमान है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

हमारे पास इसका सबूत है कि उसी दिन बेचा गया।

श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्पेशल सेक्रेटरी का नाम घसीटा जा रहा है वह किसी द्वेषवश किया जा रहा है ताकि वह स्वच्छन्द हो कर काम न कर सकें ? क्या कुछ लोगों ने उनसे कोई स्पेशल काम कराने के लिए चिट्ठी लिखी है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

अगर आपको कोई जानकारी हो तो बतायें, जरूर करायेंगे।

श्री सोहन लाल धुसिया--

क्या उनका नाम किसी द्वेशवश घसीटा जा रहा है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

आप बतायेंगे तो जांच करायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरे पास श्रीमन्, श्री राम सुन्दर पांडेय की एक चिट्ठी है जो कि बहुगुणा जी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी की है। इससे मालूम होता है कि इसमें सारा जाल बट्टा है और मन्त्री जी ने कुछ और ही उत्तर दिया है। अब यहां कहा जा रहा है कि श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा किसी द्वेशवश नाम घसीटा जा रहा है। तो यह एक अहम सवाल है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस सारे मामले की जांच करायें ताकि त य सदन के सामने आयें। क्योंकि मेरे पास जो चिट्टी है, उससे कुछ और मालूम होता है। यह सारा सहकारिता संघ जो है अच्छा-अच्छा सामान मंगा कर अपने आफिसरों को बेच देता है। मैं इसका घोर विरोधी हूं कि विभाग के लोग ऐसा करें। मैं चाहता हूं कि ऐसा नियम बना दिया जाय कि विभाग के अधिकारियों को अच्छे-अच्छे आइटम खरीदने का अधिकार न हो। क्योंकि जो अच्छा-अच्छा सामान आता है, वह रख लेते हैं कस्टम विभाग से जो सामान आता है वह कम आमदनी वालों को मिलना चाहिए, आफिसरों को नहीं। आपकी आज्ञा हो तो मैं वह पत्र पढ़ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर पत्र पढ़ कर क्या करेंगे ? आपने पत्र को पढ़ा होगा, जो तथ्य हो, उन पर सवाल करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वाहिद अली का नाम लिया गया कि माल रोड कानपुर का आदमी है, क्या वह फिक्टीशस आदमी तो नहीं है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मुझे बड़ी तकलीफ है कि श्री काशीनाथ जी का जो सवाल है उसमें सेक्रेटरी का नाम घसीटा जा रहा है। मैं डैफिनिटली कह सकता हूं और आज भी कहता हूं कि उनके पास नहीं है उन्होंने नहीं खरीदा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा प्रश्न यह है कि क्या वाहिद अली कोई फिक्टीशस आदमी तो नहीं हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

आपने जो सवाल पूछा, उसमें नाम आ गया। मैं कैटेगोरक्ली कह सकता हूं कि सेक्रटरी ने नहीं खरीदा। उनके पास आज भी कोई फ्रिज नहीं है। जहां तक सामान की बिक्री का सवाल है वहां एक स्टोर है, वहां से चीजें बिकती हैं, जिसमें हमारे अधिकारियों का कोई सम्बन्ध नहीं, वहां पर बाबू बेचा करते है। कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कि इस चीज को कोई नहीं खरीद सकता है। आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। आफिसर चाहे तो वह भी खरीद सकते हैं। अगर वहां कोई विशेष चीज बिकती है तो उसे बाहर के लोग भी खरीद सकते हैं। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि जो चीजें बिकती हैं, उनसे यह पता लगे कि फलां चीज कौन खरीद ले गया। आज सुपर बाजार में हजारों चीजें बिकती हैं। मैं जानता हूं कि वहां पर कुछ इम्पोर्टेड मिक्सीज हैं जो चाहे उसे खरीद सकता है। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, इस बाजार में और बाहर के बाजार में अन्तर है।]

श्री अध्यक्ष--

श्री भीखा लाल को मैंने सवाल पूछने के लिए कहा है (व्यवधान)।]

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या यह वेरीफाई किया गया कि वाहिद अली कानपुर में माल रोड में रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने जैसा बताया कि उन्हें दुख है कि एक सचिव का नाम घसीटा गया है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित हूं क्योंकि वह मेरे जिले में दो तीन साल तक कलेक्टर रह चुके हैं। तो वह एक ईमानदार आदमी हैं। मैं चाहूंगा कि वह क्या बात की जांच करायेंगे कि एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, मिर्जापुर जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। (व्यवधान)।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इसका यहां क्या सम्बन्ध है?

श्री अध्यक्ष--

बीच में इस तरह बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--]

यह क्या तरीका है कि आप दूसरे को न बोलने दें।

श्री भीखा लाल--

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को डिसमिस कर दिया, इसीलिए सेक्रेटरी को घसीटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब सवाल यह है कि इसमें दो राय हो गयी हैं। यह किसी सदस्य महोदय के आचरण के सम्बन्ध में या क्यों उसने पूछा, द्वेषगत भाव से पूछा, लेकिन सवाल उठ खड़े हुए। मैं यह निवेदन करूंगा कि विधान सभा को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। किसी एक अधिकारी के बारे में जो प्रश्न आया, तो यह समझ कर यह स्वीकार किया गया कि इसमें शायद कोई भ्रष्टाचार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो। लेकिन एक सामान्य से अलग ढंग से किसी एक व्यक्ति पर एक नहीं अनेक बार इस तरह के आक्रमण करना, ठीक नहीं है, जब कि मन्त्री जी का यह कहना है कि वह व्यक्ति व अधिकारी ईमानदार है, उसके घर में फ्रिज नहीं है। क्या माननीय सदस्य इस कथन को मानने के लिए तैयार हैं? मन्त्री जी कह रहे तो आप खुद देख सकते हैं, उसके यहां फ्रिज नहीं है। माननीय सदस्यों के बीच में जो ध्वनि आई है कि वह सदस्यों की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना सुन लें। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिये हूं। हमारी बात सुन लें आप। यह तो एल0 पी0 फार्म भरा गया है। भाड़ा देकर गया है, ये सारी घटनाएं हुई हैं, आप जरा इन्क्वयारी कीजिए, फ्रिज कहां है, वह जरूर दिया है, उसके घर में है या नहीं। हमको आप से ज्यादा, जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं, उससे मोहब्बत है।

श्री अध्यक्ष—

हम कोई निर्णय नहीं देना चाहते।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

माननीय मन्त्री जी अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं व्यक्ति विशेष के कारण नाराज होकर सवाल कर रहा हूं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदस्य को और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा किसी भ्रष्टाचारी को रोकने या बचाने का नहीं है। आज हमारा जो यहां एक उपभोक्ता संघ है, जो सरकारी बाजार के नाम से है, जहां ये चीजें बिकती हैं। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि वहां पर सभी अच्छे ही हैं, खराब काम करते नहीं हैं, लेकिन साधारण नियम यह है कि बाहर से कुछ कन्फेस्टीकेटेड गुड्स आते हैं, वह चीजें लोगों को बेची जाती हैं। जो कोई चीज बाजार में बिकने आएगी, कोई भी खरीददार आकर खरीद सकता है। हो सकता है कि उस बाबू ने किसी अपने जान-पहचान वाले को दे दिया हो या किसी और को दे दिया हो। तो यह जरूर आवश्यक है कि फ्रिज किसी को बेचे तो उसका पता लिख ले, उसके दस्तखत ले ले। इसमें यह भी हो सकता है कि 'फार' करके भी खरीद लिया जाय। इसमें जाना हमने आवश्यक ही नहीं समझा। स्पेशल सेक्रेटरी ने खरीदा या नहीं, उसको मालूम कर लिया। उसकी ईमानदारी पर मुझ को विश्वास है। उसने कहा कि हमने फ्रिज ही नहीं खरीदा, और यहां तक कि फ्रिज का पानी तक नहीं पिया और आज तक नहीं पिया; तो उस पर मुझे विश्वास है? यदि किसी क्लर्क की आप शिकायत करें तो उसकी मैं जांच करवा लूं, उसको सजा दे दूं, लेकिन ऐसे आदमी की शिकायत करें, जो दोषी नहीं है, तो उस को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना हमारा अधिकार है। दो वर्ष पहले फ्रिज बिक गया, आप कहिए कि किसको-किसको बिके, पता लगाइए तो यह चीज बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आप कहेंगे कि तो वह भी हम कर देंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

उसमें कमीशन 15 परसेंट और उससे भी अधिक लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

काफी हो गया, अब इसमें किसी प्रश्न की इजाजत नहीं है।

श्री रवीन्द्र पाल सिंह, सचिव, जिला सहकारी संघ, अलीगढ़ द्वारा गबन एवं गिरफ्तारी

*5—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित) तथा श्री त्रिवेणीसहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि 13 सितम्बर, 1975 या उसके आस-पास जिला सहकारी संघ, अलीगढ़ के सचिव, रवीन्द्र पाल सिंह को 1 लाख 30 हजार रुपए का घपला करने के आरोप में पुलिस की विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) ने गिरफ्तार किया? यदि हां, तो मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां। 13 सितम्बर, 1975 को श्री रवीन्द्र पाल सिंह, सचिव, जिला सहकारी संघ, अलीगढ़ को रुपया 87,111.22 पैसे धन अपहरण करने के आरोप में बन्दी बनाया गया था। यह गिरफ्तारी जिला सिविल पुलिस, अलीगढ़ ने की थी। अब अग्रिम विवेचना विशेष अनुसन्धान शाखा सहकारिता, आगरा द्वारा की जा रही हैं।

बलिया बीज भन्डार के प्रभारी श्री के० के० यादव की हत्या तथा बीज भंडार में गबन

*6—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में प्रभारी, बीज भन्डार, श्री के0 के0 यादव की हत्या दिसम्बर या जनवरी, 1975 में हो गई हैं और उस हत्याकान्ड में एक इन्चार्ज बीज भन्डार भी फंसे हैं? यदि हां, तो क्या उन बीज भन्डार की जांच करने हेतु जिला कृषि अधिकारी, बलिया ने उप निदेशक, वाराणसी को पहले लिखाया और वे उस दिन गए जिस दिन उक्त इन्चार्ज श्री यादव की हत्या कर दी गई? क्या यह भी सत्य है कि वे बिला जांच किए चले आए? क्या यादव परिवार को सरकारी सहायता दी गई और उक्त बीज भन्डार में कितने का गबन श्री यादव के जाने के पहले था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। श्री के0 के0 यादव, प्रभारी बीज भन्डार सियर की हत्या दिनांक 2/3 जनवरी, 1975 को हो गयी। इस हत्याकांड में श्री अनिरुद्ध प्रताप नारायण सिंह, भूतपूर्व प्रभारी, बीज भन्डार, सियर पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिए गए।

जी नहीं। जिला कृषि अधिकारी, बलिया ने जांच के लिए कोई पत्र नहीं लिखा था। उप निदेशक (कृषि), वाराणसी सीमान्त कृषक योजना की बैठक में भाग लेने हेतु बलिया दिनांक 4 जनवरी, 1975 को गए थे। जिला कृषि अधिकारी, बलिया ने उन्हें इस घटना की सूचना दी।

हत्या का मामला था, पुलिस केस बन गया तथा इसकी जांच भी पुलिस द्वारा आरम्भ कर दी गयी थी। इसलिए विभाग की किसी अधिकारी द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता था।

जी हां। श्री यादव के परिवार को दिनांक 7 जनवरी, 1975 को मु0 रुपया 500 की सहायता दी गयी?

श्री यादव के चार्ज लेने से पूर्व गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया था, बल्कि श्री यादव के हत्याकान्ड के बाद कृषि निदेशालय के सम्प्रेक्षण दल द्वारा सियर बीज भन्डार के लेखों का सम्प्रेक्षण करने पर श्री अनिरुद्ध प्रताप नारायण सिंह के समय का मु0 रु0 01,24,816.25 का गबन फरवरी, 1975 में प्रकाश में आया।

श्री ऊदल—

क्या माननीय कृषि मन्त्री जी इस बात को देखने की कृपा करेंगे कि आखिर जो 1,24,816.25 रुपए का गबन फरवरी, 1975 में प्रकाश में आया, इसके सम्बन्ध में श्री के0 के0 यादव ने विभाग की जानकारी कराई थी, इसीलिए उसकी हत्या हुई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह मैंने मालूम किया, अपने अधिकारियों से। मुझे यह बताया गया कि इस प्रकार की कोई सूचना श्री यादव ने अपनी हत्या के पूर्व कृषि विभाग के अपने अधिकारियों को नहीं कराई थी ?

श्री ऊदल—

इस गबन के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की गई और वह किसके द्वारा की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

भूतपूर्व प्रभारी अधिकारी और कामदार के विरुद्ध पुलिस में अप्रैल, 1975 में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और अब पुलिस में केस चल रहा है। दोनों अधिकारी निलम्बित हैं। हत्या का मामला अलग है और गबन का मामला अलग है और उसमें भी पुलिस कार्यवाही कर रही है। जांच अधिकारी उप निदेशक (कृषि) नियुक्त कर दिए गए थे। उसको आरोप-पत्र देने पर चार्जेज का उत्तर नहीं मिला। मालूम हुआ कि इरादतन ये 7 महीने तक वह भागे फिर रहे हैं। एक दिन वह मिल गए और उन पर सर्व कर दिया गया, जो आरोप-पत्र था। अब अग्रिम कार्यवाही शीघ्र करायी जाएगी।

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला 1975 में प्रकाश में आया, तो यह गबन किस समय का है और किस वर्ष से होता आ रहा है। तथा फरवरी, 1975 से कभी जांच की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह प्रभारी अधिकारी 1971 से अगस्त, 1974 तक वहां पर रहे और 3 वर्षों में 1 लाख 24 हजार आठ सौ सोलह रुपए 25 पैसे का गबन सम्प्रेक्षक द्वारा प्रकाश में आया। मैंने स्वयं अधिकारियों से पूछा कि यह गबन वहां पर 3 वर्ष तक चलता रहा और किसी अधिकारी ने उसे पकड़ा नहीं, उसकी जांच की गयीं या नहीं की गयी। तो उसके लिए मैंने आवश्यक कार्यवाही के लिए आज ही आदेश दे दिए हैं।

उप-निदेशक, कृषि वाराणसी द्वारा किए गए दौरे का विवरण तथा बड़ाबाग बीज भंडार गाजीपुर में गबन

*7—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक कृषि, वाराणसी सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक प्रत्येक माह में कितने दिनों कहां-कहां दौरा किए और कितना टी0 ए0, डी0 ए0 लिया तथा कितने लीटर पेट्रोल, मोबिल खर्च हुआ ? क्या उन्होंने इस दौरे में बड़ाबाग बीज भन्डार, गाजीपुर की भी जांच की, जहां दो लाख के ऊपर का गबन हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उप निदेशक (कृषि), वाराणसी ने सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक प्रत्येक माह में संलग्न तालिका के अनुसार दौरा किया, टी0 ए0, डी ए0 लिया तथा पेट्रोल व मोबिल आयल का खर्चा हुआ।

उन्होंने उपर्युक्त दौरों में बड़ाबाग बीज भन्डार, गाजीपुर की जांच नहीं की।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 771–772 पर।)

श्री ऊदल—

मान्यवर, वाराणसी से गाजीपुर जाने पर बड़ाबाग पड़ता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बड़ाबाग क्यों नहीं गये जहां पर 2 लाख से ज्यादा का गबन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह तो मुझे जानकारी नहीं हैं कि बड़ावाग, वाराणसी से गाजीपुर जाने के बीच में पड़ता है लेकिन 14-14, 15-15, दिन निरन्तर उन्होंने दौरा किया और गाजीपुर गए।

श्री ऊदल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल के आखिर में पूछा है कि 2 लाख से ज्याद का गबन है, क्या यह बात सही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, 2 लाख से ज्यादा नहीं लेकिन 2 लाख से जरा-जरा कम हैं। लगभग, 1 लाख 90 हजार का है।

श्री ऊदल--

यह जो 2 लाख से जरा-जरा कम है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? और जिन अधिकारियों ने सतर्कता नहीं बरती है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, यह अभय नारायण सिंह के अधिकार में बीज गोदाम था। जब कभी कार्यवाही होती थी तो वह भाग जाते थे इसलिये जुलाई, 1974 में ससपेंड कर दिया गया। चार्ज होता रहा 2 महीने तक तो यह अभिलेख लेकर भाग गये तो दुबारा अभिलेख बनाने प ड़े और तब यह पता चला कि 1 लाख 90 हजार का गबन किया है। एक बात की मुझे भी शिकायत हैं कि इतनी बड़ी रकम का गबन है और सवा साल बाद संप्रेक्षण चालू किया। इस सम्बन्ध में मैंने जवाव तलब किया है और पुलिस में इसकी कार्यवाही चल रही है। 7-8 बार पुलिस अधीक्षक को लिखा जा चुका है कि कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में जिले के पुलिस अधीक्षक अधिक सक्रिय नहीं हैं। इसलिये मैंने सोचा है कि आई0 जी0 को लिखा जाये कि इसकी जांच की जाये और कार्यवाही की जाये।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला वाराबंकी)--

म यह जानना चाहता हूं कि मुकदमा कायम हुआ है अथवा नहीं ? और इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

2-4-1975 को रिपोर्ट लिखाई गई और जब मामला गबन का प्रकाश में आया तो 31-7-74 को ही निलंबित कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है पुलिस इस मामले में थोड़ी ढिलाई कर रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें शीघ्र कार्यवाही की जा सके। ऐसे बड़े मामले में अगर बड़े आदमी बर्खास्त किए जा सकते हैं तो किए जायंगे और उनके विरुद्ध प्रोसीक्यूशन के केसेज भी चलाये जायंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गाजीपुर से लेकर बलिया तक जितने भी बीज भंडार हैं उनमें 1 लाख 90 हजार रुपये के गबन के मामले में कई बार शिकायत आई हैं और जो इन्चार्ज हैं, उनको मौत्तल भी किया गया, तो क्या कारण है कि इसको सतर्कता अधिष्ठान को क्यों नहीं सौंपा जा सकता है और जो लोग इसके दोषी हों उनसे सारा रुपया वसूल करके उनके ऊपर प्रोसीक्यूशन का मामला भी दायर किया जाए ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सतर्कता अधिष्ठान के पास इतने केसेज हैं कि इसमें कई साल लग जायेंगे, इसलिये लोकल पुलिस में ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि इसमें शीघ्र कार्यवाही करके प्रोसीक्यूशन करें।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

सवा साल बाद यह मामला प्रकाश में आया तब यहां से आडिटर्स भेजे गये। तो इन आडिटर्स को कौन भेजता है और कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं? इस मामले में ऐसा मालूम पड़ता है कि उस अधिकारी ने भी इसको जानबूझ कर दबाया है। क्या सम्बन्धित अधिकारी से सरकार ने कोई जवाब तलब किया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कृषि निदेशक द्वारा ही सम्प्रेक्षक की टोली भेजी जाती है। इस मामले में चूंकि सम्प्रेक्षक की टोली इतनी देर बाद भेजी गई, इसलिये मैं जवाब तलब कर रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

कृषि निदेशालय में भी एक पुलिस सेल है तो जब लोकल पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है तो इसे पुलिस सेल को क्यों नहीं सिपुर्द कर दिया गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आपत्ति तो कुछ नहीं थी लेकिन ऐसे मामले में लोकल पुलिस जितनी जल्दी जांच करके प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही कर सकती है उतनी जल्दी यहां से नहीं हो सकती है। दूसरे अगर यहां से जांच करा भी ले तो भी प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही हेतु लोकल पुलिस को ही मामला भेजा जाता। चूंकि यह मामला गम्भीर है, इसलिये लोकल पुलिस को जांच करने और मामले को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो सकती है।

*8--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

[6 अप्रैल, 76 को तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर उत्तरित।]

*9--श्री बाबूलाल वर्मा--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

*10--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

*11--श्री श्रीनारायण--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले में सहकारी ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

*12--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तेरह डेरी फार्मिंग योजनाएं पिछड़े जिलों में खोलने हेतु विगत वर्ष प्रस्तावित थी जिसमें बहराइच जिला भी था? यदि हां, तो वर्ष 1975 में किन-किन जिले में डेरी फार्म्स खोले गये? बहराइच जनपद में डेरी फार्मिंग लागू न करने के क्या कारण हैं?

पशुपालन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

पंचम पंच वर्षीय आयोजना-काल में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 12 सहकारी ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1974-75 में इनके लिये 12 स्थान चुने गये थे किन्तु उनमें से किसी में भी केन्द्र अभी नहीं स्थापित हुआ हैं।

उक्त 12 चयनित स्थानों में बहराइच जनपद सम्मिलित न था क्योंकि वहां दुग्ध उपलब्धता का सर्वेक्षण बाद में पूरा हुआ।

*13--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 34 पर स्थानान्तरित।]

देवरिया की गन्ना विकास समिति, लक्ष्मीगंज द्वारा उर्वरक का अवंटन

*14—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

विधान सभा प्रथम सत्र 1976 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 11 के क्रम में क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1974 में गन्ना विकास समिति लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ने पुराने दर का 63,840 रुपये का उर्वरक अपने ही चेयरमैन तथा संचालक मंडल के परिवार के मात्र 65 व्यक्तियों को वितरित किया जिसमें से कुछ लक्ष्मीगंज जोन के बाहर भी रहते हैं जबकि लक्ष्मीगंज जोन में 15,000 गन्ना उत्पादक रहते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। अपितु शासन के निर्णयानुसार गन्ना विकास समिति, लक्ष्मीगंज के समस्त उर्वरक का स्टाक दिनांक 31-5-74 को स्थानीय खंड विकास अधिकारी, रामकोला ने लेवी वसूली पर वितरण हेतु सुरक्षित कर लिया था और उन्ही कृषकों में वितरित किया गया जिनके लिये गेहूं वसूली योजना के अन्तर्गत उक्त अधिकारी द्वारा परमिट जारी किये गये।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेट के दुग्धचूर्ण को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की घटना और की गई कार्यवाही

*15—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या यह बात सही हैकि दिनांक 19-2-1975 को लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि0 का दुग्धचूर्ण (इम्पोर्टेड) संस्था के एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के घर से ट्रक पर लद कर बिक्री के लिये ले जाते समय चौकी चांदगंज, थाना महानगर, लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया ? यदि हां, तो यह दुग्धचूर्ण कितना था और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां। किन्तु घटना की तिथि 19-5-1975 है।

दुग्ध चूर्ण 160 बोरे था और एक बोरे दुग्ध चूर्ण का औसतन भार 25 किलोग्राम होता है।

सम्बन्धित कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गई और सहकारिता विभाग की विशेष पुलिस अनुसंधान शाखा द्वारा मुकदमा रजिस्टर किया गया है।

*16—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—

क्या यह बात भी सही है कि उक्त पकड़े गये पाउडर की जांच तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

की गई कार्यवाही का वर्णन प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में कर दिया गया है।

*17-18—श्री त्रिवेणी सहाय—

[11वें सोमवार में तारांकित प्रश्न-संख्या 9-10 पर स्थानान्तरित।]

ग्राम प्रधान ग्राम जोगन, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*19—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम प्रधान, ग्राम जोगन, तहसील व जिला देवरिया के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार तथा भूमि वितरण में धांधली बरतने और हरिजन को भूमि पर निजी नलकूप व खलिहान लगाने के आरोप सम्बन्धी शिकायती पत्र मुख्य मंत्री, जिलाधिकारी और परगनाधिकारी को दिनांक 5-10-74 व 14-3-76 को प्राप्त हुये हैं। यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

केवल दिनांक 5–10–74 का शिकायती पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था। उसकी जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) गौरी बाजार द्वारा कराई गई। शिकायत निराधार पाई गई।

फतेहपुर सेन्ट्रल उपभोक्ता भन्डार द्वारा बेची गई सीमेंट

*20—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 37, दिनांक 23–3–76 के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सेन्ट्रल उप–भोक्ता भंडार को 73–74 तथा 1974–75 में कितनी बोरी सीमेन्ट परमिट पर बेचने को दी गई और उनमें से कितनी परमिट द्वारा बेची गई? क्या यह सही है कि 1973–74 में किसी नन्दकिशोर नाम के व्यक्ति को उधार (क्रेडिट) पर एक ठेला सीमेन्ट दी गई थी? यदि हां, तो किसके आदेश से बिना जमानत सीमेंट उधार दी गई? क्या उक्त उधार की रकम वसूल हो गई? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*21—श्री रघुनाथ—

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित।]

इटावा जिले के कृषि विभाग के छटनी किए गए कामदार की पुनर्नियुक्ति

*22—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकर को पता है कि कृषि रक्षा अधिकारी, इटावा ने 1975–76 में रिश्वत लेकर कृषि विभाग के छटनी किये हुये (छटनी शुदा) कामदारों में से जूनियर कामदारों को नियुक्त कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार जूनियर कामदारों की नियुक्तियों को तुरन्त रद्द करके वरिष्ठता के आधार पर नियुक्तियां करवाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। छटनी किए गऐ कामदारों में से केवल एक कामदार की नियुक्ति क्षेत्र परिचारक के पद पर की गई है जो इटावा जनपद के छटनी किए गये कामदारों में ज्येष्ठतम था। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*23—श्री दीप नारायण पान्डेय—

[23 मार्च, 76 को तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाओं में किराए की वृद्धि

*24—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 1975 में बसों के किराये में 160 प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे निगम को काफी हानि उठानी पड़ रही है? और अधिकांश किराया वृद्धि को सरकार वापस लेने का विचार कर रही है?

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

15 मई, 1975 से परिवहन निगम को ग्रामीण बस सेवाओं में 160 प्रतिशत की नहीं बल्कि 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के कारण न तो निगम को कोई क्षति उठानी पड़ रही है और न ही दूरगामी बस बेकार पड़ गई हैं। किरायावृद्धि को वापस लेने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*25—श्री रघुनाथ—

[33वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

सहायक कृषि निरीक्षक चरदा, विकास खंड नवाबगंज, बहराइच द्वारा उर्वरक की उधार बिक्री

*26—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक चरदा, विकास खंड नवाबगंज, जिला बहराइच ने अन्न बीज भंडार, गगबल पर 32,000 रुपये की उर्वरक की गलत तौर पर बिक्री दिखाई, जब कि उक्त बिक्री के आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये थे? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, सहायक निरीक्षक, चरदा, विकास खंड नवाबगंज द्वारा बीज भंडार, गगबल पर रु0 34,507.78 पैसे की उधार बिक्री की थी, जो विभागीय आदेश के विपरीत थी। इस धनराशि में से रु0 15,849.45 पैसे की वसूली की जा चुकी है। इस अनियमितता के लिये सहायक कृषि निरीक्षक को 27-3-76 से निलम्बित कर दिया गया है।

जिला सहकारी बैंक लि०, एटा के सचिव, श्री बी० बी० पान्डे का निलम्बन

*27—श्री मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, एटा के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री छोटे लाल पालीवाल एवं सचिव, श्री बी0बी0 पान्डे आदि के विरुद्ध सीनियर आडीटर (श्री मूल राज सिंह) सहकारी अपराध अनुसंधान शाखा, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जांच करने के उपरान्त धारा 409 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30-10-75 को थाना कासगंज, जनपद एटा, लिखाई गई, जिसमें श्री पान्डेय के विरुद्ध सरकारी धन का दुरुपयोग एवं गबन करने एवं गम्भीर अनियमिततायें करने के गम्भीर आरोप थे? यदि हां, तो सचिव उपरोक्त को आज तक निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं? और कब तक स्वच्छ प्रशासन हेतु उसको निलम्बित कर दिया जायगा?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

जी हां।

प्रथम सूचना रिपोर्ट 30-10-75 को नहीं, अपितु 30-11-75 को लिखाई गई।

दिनांक 23-4-76 को बैंक के सचिव (श्री बी0 बी0 पाण्डे) को निलम्बित कर दिया गया है।

ग्राम सभा कुढ़ार के प्रधान के विरुद्ध जांच

*28—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेंगी कि ग्राम सभा कुढार, विकास खंड सोंरो, जनपद एटा के भूतपूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान ग्राम सभा कुढार द्वारा किये गोल माल, अनियमिततायें, गबन आदि के सम्बन्ध में लिखित शिकायत दिनांक 14-7-76 को परगनाधिकारी, कासगंज को दी थी? जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी, सोरों जनपद एटा द्वारा की गई? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां।

उक्त शिकायत की जांच खंड विकास अधिकारी, सोरों द्वारा नहीं की गई। जांच परगनाधिकारी करा रहे हैं।

केन सोसाइटी, स्यौहारा, जिला बिजनौर द्वारा गन्ना किसानों से वसूल की गयी धनराशि

*29—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन सोसाइटी स्यौहारा, जिला बिजनौर ने गन्ना किसानों से कितनी धनराशि 1973–74 से 1974–75 व 1975–76 तक सड़क के लिये प्राप्त की और सरकार द्वारा कितनी धनराशि इन तीन वर्षों में अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। कुल कितनी धनराशि हुई और उसमें से किन–किन सड़कों पर कितनी खर्च हुई और निकट भविष्य में किन-किन सड़कों पर खर्च करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

प्रश्नगत समिति को गन्ना किसानों से वर्ष 1973–74 से नहीं अपितु 1972–73 से 26–2–76 तक अन्तर्ग्रामीण सड़क एवं पुलियों के निर्माण योजना के अधीन 6.97 लाख रुपया प्राप्त हुआ तथा उपरोक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान में से वर्ष 1974–75 तक 2.86 लाख रुपया प्राप्त हुआ (वर्ष 1975–76 में धनाभाव के कारण शासकीय अनुदान नहीं दिया जा सका।) इस प्रकार कुल 9.83 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसमें 1972–73 में निम्नलिखित सड़क निर्माण हेतु चुनी गयीं:

(1) दौलताबाद सतवई,
(2) मलकपुर मिजौलीपुर,
(3) वहेलपुरी,
(4) किवाड़ खथा
(5) टांड़ा

उपरोक्त सड़कों के निर्माण पर अब तक 6.05 लाख रुपया व्यय हुये। निकट भविष्य में संलग्न सूची के अनुसार अतिरिक्त चुनी गयी सड़कों का निर्माण किया जाना है और जिन में से कुछ पर मिट्टी व ईंटों के खड़न्जों का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 773 पर।)

*30—श्री राज किशोर तिवारी—

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

हाफ-ए-मिलियन जाब योजनान्तर्गत प्रशिक्षित इन्जीनियर्स की सहायक परिवहन अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति

*31—श्री लटूरी सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाफ-ए-मिलियन जाब योजना के अन्तर्गत कुछ ग्रेजुएट मैकेनिकल इन्जीनियरों को प्रशिणण देने हेतु बुलाया गया था और उन्हें 9 मास की ट्रेनिंग के बाद सहायक परिवहन अभियन्ता के पद पर कर दिया जबकि समकक्ष योग्यता रखने वाले तथा 3–4 साल पुराने अनुभव प्राप्त कार्यरत उत्पादन अभियन्ताओं को नहीं रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन हाफ ए-मिलियन जाब योजनान्तर्गत जिन ग्रेजुयेट मैकेनिकल इन्जीनियर्स को प्रशिक्षण दिया गया था, उनको योजना के अनुसार प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार देना आवश्यक था, इसलिये निगम द्वारा उनको सफल प्रशिक्षण के उपरान्त सहायक परिवहन अभियन्ता के ऊपर तदर्थ रूप मे नियुक्त किया गया हैं, जबकि वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्त उत्पादन अभियन्ताओं को कोई ऐसा आश्वासन निगम द्वारा नहीं दिया गया हैं।

तहसील कायमगंज, फर्रुखाबाद में लघु कृषक विकास योजना

*32 श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में लघु कृषक विकास योजना तहसील कायमगंज तथा सदर तहसील में पिछले वर्ष लागू की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना सदर तहसील के सात विकास खण्डों के लिये बनाकर शासन को भेजी गई थी ? लेकिन कायमगंज तहसील के तीन विकास खण्डों में यह लागू की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जनपद फर्रुखाबाद में गत वर्ष लघु कृषक विकास योजना केवल कायमगंज तहसील में लागू की गयी थी।

उक्त जिले के सभी 14 विकास खंडों के लिये योजना शासन को भेजी गई थी। चूंकि यह योजना भारत सरकार से वित्त पोषित है। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार केवल कायमगंज तहसील के तीनों विकास खंडों में ही योजना लागू की गई है।

श्री अनवार जमील—

लघु कृषक योजना गरीब किसानों के लिये है और कायमगंज ब्लाक जहां यह चलायी जा रही है, वह सबसे ज्यादा खुशहाल इलाका है, तो यह योजना किसने बनायी और कायमगंज क्यों लिया गया जबकि पूरे जिले में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहां पर यह योजना चलायी जानी चाहिये थी ?

श्री अध्यक्ष—

केन्द्र की है। यह कई जगह है।

श्री अनवार जमील—

मेरा मकसद यह है कि कायमगंज के तीन विकास खंडों में जो लागू की गयी, तो यह तो स्टेट से लिख कर जाता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम सवाल को साफ कर देते हैं। लघु कृषक योजना केन्द्रीय सरकार की है, लेकिन जनपद के अन्दर किस ब्लाक में और किस तहसील में चलायी जाय, यह मंत्री जी के विभाग का काम है.....

श्री अध्यक्ष—

प्रतापगढ़ में लघु कृषक विकास योजना है और सारी कोशिश के बाद 3 ब्लाक में नहीं करा सके। केन्द्र मानता ही नहीं। मैंने तो आलोचनात्मक ढंग से लिखा था और केन्द्र को भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत यह योजना केन्द्र के आदेश से चली या आपके विभाग द्वारा ? और केन्द्र से किस आधार पर आदेश जारी किये जाते हैं कि मुक्तलिफ ब्लाक पर योजनाएं चलाई जायं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जिले में प्रत्येक ब्लाक में कितने लघु कृषक हैं, कितना सीमान्त कृषक हैं, कितने खेतिहर मजदूर हैं? उन सबकी संख्या केन्द्र को भेज दी जाती है और केन्द्रीय सरकार को एक समिति होती है जिसमें प्रदेश के कुछ हमारे अधिकारी जाते हैं, वह भी मिले हुए ब्लाक्स में संख्या के आधार पर इस प्रकार का चयन करती है। जो लिस्ट मैंने देखी तो उसमें मुझे भी यह नजर पड़ा कि कुछ ब्लाक्स ऐसे जरूर हैं, जिसमें लघु कृषक, सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूरों की संख्या तीन ब्लाक्स जो लिये गये हैं इनसे दूसरों की ज्यादा है फिर भी यह भारत सरकार का अधिकार है। उन्होंने किस आधार पर छांटा, यह उन्हीं का अधिकार है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या आपके विभाग से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया गया कि फर्रुखाबाद जनपद में ये-ये ब्लाक और तहसील हैं जहां पर लघु कृषक और सीमान्त कृषक ज्यादा तादाद में रहते हैं और वहीं पर योजना ज्यादा कारगार हो सकती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पहले सारे जिले के लिये बताया था कि 14 के 14 ब्लाक्स ले लिये जायं। फिर इन तीन ब्लाक्स को लिखा गया कि बुद्धपुर, मुहम्मदाबाद और राजेपुर और कमाल गंज विकास खंडों को भी ले लिया जाय। भारत सरकार का आया है कि 1976-77 पर विचार किया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

शासन में गड़बड़ी कहां होती है ? आपने कुछ लिखा और भारत सरकार की तरफ से कुछ तो उसका डायरेक्ट प्रोटेक्स्ट आपकी तरफ से जाना चाहिये था कि आपके साधन सीमित है और वह इतने ब्लाक में ही चले जाते हैं और जो सबसे ज्यादा मुसीबतजदा किसान जहां बसते है वहां पर कुछ नहीं हो पाता। तो इस तरह का कोई परिपत्र वहां गया या नहीं ? आपने कहा कि हमने जोड़ने के लिये सिफारिश की थी ?

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि यह प्रयोगात्मक है और हम भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या इनका माप-दण्ड है। जैसे प्रतापगढ़ के तीन ब्लाक नहीं लिये गये, लेकिन रायबरेली पूरा जिला ले लिया गया, कहीं एक ही ब्लाक लिया गया। इसमें जो केन्द्र के अधिकारी हैं उन्हीं का हाथ रहता है और वह किसी की सुनते नहीं। कुछ प्रयोग शायद वह कर रहे हैं।

श्री अनवार जमील--

मननीय मंत्री जी ने बड़पुर, कमालगंज और राजेपुर ब्लाक के लिये जो कहा है क्या उसके लिये कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप कह रहे हैं कोशिश कीजियेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वह तो मैंने बताया कि लिखा था। भारत सरकार का यह उत्तर आया कि 1976-77 के बाद इन पर विचार किया जायगा।

*33--डाक्टर धर्मपाल सिंह--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*34--श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री राम रति बिन्द--

[6वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिला परिषद् के लोक सेवा आयोग द्वारा नामुसंशित अभियन्ता

1--श्री हरिकेवल--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला परिषद् में कौन से ऐसे अभियन्ता हैं जो लोक सेवा आयोग के द्वारा एप्रूव नहीं हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

श्री शंकर प्रसाद तिवारी ही ऐसे अभियन्ता थे जिनको लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित नहीं किया था। जिला परिषद् ने उनको कार्यभार से मुक्त कर दिया है।

बाराबंकी जिले के ग्राम किठुरी के प्रधान के ऊपर कत्ल का मुकदमा

2—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम किठूरी, परगना दरियाबाद, तहसील राम सनेही घाट, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी के प्रधान के ऊपर कत्ल का मुकदमा पिछले 1 वर्ष से चल रहा है? यदि हां, तो प्रधान को अब तक निलम्बित न करने के क्या कारण हैं?

श्री रामजी लाल सहायक—

थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी में दर्ज अपराध संख्या 110 अन्तर्गत धारा 120बी/302/342/201/203/218 भा0 दं0 वि0 में यह अभियुक्त हैं।

अपराध अनुसंधान विभाग की विवेचना के अनुसार उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टा अभियोग सिद्ध हैं। लेकिन आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल न किये जाने के कारण उन्हें अभी निलम्बित नहीं किया गया है।

3—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

4—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध कृषि सामानों के अपहरण की शिकायत के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1, दिनांक 6 अगस्त, 1974 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 12, दिनांक 29 अप्रैल, 1975 के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो मन्डलीय दल सम्प्रेक्षण हेतु भेजा गया था उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मण्डलीय सम्प्रेक्षण दल द्वारा किए गए सम्प्रेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जो विचाराधीन है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के लाभ का विवरण

5—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में राजकीय सड़क परिवहन निगम को कितने रुपए लाभ होने का अनुमान था और कितना वास्तविक लाभ हुआ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

वर्ष 1975–76 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को रुपये 174.18 लाख का लाभ होने का अनुमान था, परन्तु वर्ष 1975–76 के मासिक लाभ–हानि के आधार पर प्रश्नगत वर्ष में 224.30 लाख रुपये का लाभ हुआ है, जिसमें अभी अनुग्रह भुगतान, अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं अन्य मदों से संबंधित समायोजन करने शेष हैं। इसके उपरान्त ही लाभ की अन्तिम स्थिति बताना संभव हो सकेगा।

6—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[5 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित।]

प्रदेश में जिला परिषद्वार मोटरें तथा जीपें व उनमें खर्च हुए पैट्रोल की धनराशि

7—श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बताएगी प्रदेश के प्रत्येक जिला परिषद् में कितनी मोटर और जीप कारें हैं और नवम्बर, 1974 से दिसम्बर, 1975 तक के अन्तर्गत कितने–कितने रूपए का पेट्रोल प्रत्येक जिले में व्यय हो चुका है? क्या ये गाड़ियां जिले के बाहर भी इस्तेमाल की जाती हैं?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 774–775 पर।)

आजमगढ़ की दुग्ध योजना

8—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में लागू होने वाली दुग्ध योजना की प्रगति क्या है और अब तक की प्रगति के अनुसार "दुग्ध योजना" वर्तमान वर्ष में चालू हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

आजमगढ़ की दुग्ध योजना के भवन निर्माण का कार्य दरवाजों तक पूर्ण हो चुका है। संयंत्रों एवं परिवहन के क्रय करने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा 95 प्रारम्भिक दुग्ध समितियों का गठन किया जा चुका है ।

आशा है यह योजना दिसम्बर, 1976 तक चालू हो जायेगी ।

फर्रुखाबाद के अमृतपुर-जरियनपुर मार्ग पर बस सेवा चालू किए जाने की मांग

9—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के राजेपुर ब्लाक की अमृतपुर–जरीयनपुर मार्ग जो राजपुर तक निर्मित हो चुका है उस पर निजी बस सेवा जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये चलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था होने की आशा है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

अमृतपुर-जरीयनपुर मार्ग का अमृतपुर से राजपुर तक का कुछ भाग अभी भी निर्माणाधीन है । जैसे ही यह भाग भी मोटर चलाने योग्य हो जायगा, इस पर बस सेवा चालू करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

एक्स-मिलिटरी मैन तथा बेरोजगार इन्जीनियरों को मिनी क्वीन बस के परमिट दिए जाने की कथित योजना

10—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक्स मिलीटरीमैन तथा बेरोजगार इन्जीनियरों को क्वीन मिनी बस का परमिट देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जाएगा ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद में आलू से स्टार्च बनाने के कारखाने की कथित स्थापना

11—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित स्टार्च का कारखाना लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस पर कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं ।

कानपुर के ग्राम सिठरा के प्रधान द्वारा स्कूल भवन की धनराशि का घोटाला

12—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड डेरापुर केअन्तर्गत ग्राम पंचायत सिठरा के प्रधान ने विकास खंड की ओर से मिली हुई स्कूल भवन मरम्मत की धनराशि का घोटाला किया है जिसके कारण उक्त विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं की जा सकी ? प्रधान द्वारा की गई घोटाले की धनराशि वापस लेने के लिये क्या उपाय किए गए और उक्त प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां।

सम्बन्धित धनराशि वापस करने हेतु परगनाधिकारी, डेरापुर के न्यायालय में कार्यवाही चल रही है।

तहसील पड़रौना तथा हाटा, देवरिया की गन्ना समितियों में गबन

13—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गन्ना विकस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में पडरौना, हाटा तहसील में कितनी गन्ना समितियों में वर्ष 1973 से 1975 तक गबन के कितने मामले पुलिस थानों में दर्ज किए गए और उन पर अब तक क्या कार्यवाहियां की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

देवरिया जनपद में पडरौना एवं हाटा तहसीलों में तीन गन्ना समितियों में वर्ष 1973 से 1975 तक गबन के तीन मामले पुलिस थानों में दर्ज किये गये जिन पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

फर्रुखाबाद के ग्राम लखरोआ के प्रधान के विरुद्ध भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कथित शिकायत

14—डाक्टर धर्म पाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान ग्राम सभा लखरोआ, सदर तहसील, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायतें हाल में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं, भूमि आवंटन के सम्बन्ध में हाल में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक, देवरिया का किसानों पर बकाया ऋण

15—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद के प्रत्येक जिला सहकारी बैंकों का कुल कितना ऋण 20 मार्च, 1976 तक किसानों पर बकाया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां।

देवरिया जनपद के जिला सहकारी बैंक/शाखाओं में दिनांक 20-3-76 तक कुल 305.78 लाख रुपया का ऋण किसानों पर बकाया था।

16—श्री रघुनाथ—

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

सहकारी प्रशिक्षण कालेज, देहरादून के प्रशिक्षित सीनियर मिल्क इन्सपेक्टर

17—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजपुर कोआपरेटिव ट्रेनिंग सेन्टर, देहरादून से 1974 में जिन 34 सीनियर मिल्क इन्सपेक्टरों को दीक्षा दी गई तथा उन्हें दीक्षा काल में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमान्चल प्रदेश, हरियाना, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का टूर कराया गया, उनके दीक्षा की क्या शर्तें थी तथा उनके दीक्षा तथा भ्रमण में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ तथा उनमें से कितनों को अब तक सरकारी सेवायें प्राप्त हैं और कितनों को नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सहकारी प्रशिक्षण कालेज, राजपुर, देहरादून में वर्ष 1973–74 में 36 सीनियर मिल्क इन्सपेक्टरों ने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा काल में प्रशिक्षार्थियों को केवल गुजरात व उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराया गया।

दीक्षा की कोई शर्तें नहीं थी। उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की रोजगार क्षमता व तकनीकी ज्ञान बढ़ाना था।

दीक्षा पर सरकार का कुल 49,707.85 रुपये तथा भ्रमण पर सहकारी प्रशिक्षण कालेज का 12,660.98 रु0 व्यय हुआ।

दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों में 8 को सीनियर मिल्क इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया तथा 28 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हुई।

प्राइवेट मिनी बसों को नगर बस सेवा में चलाने की योजना

18—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या यह सही हैं कि शासन ने अभी हाल में प्राइवेट मिनी बसेज को प्रदेश के मुख्य नगरों में चलाने का निर्णय लिया हैं ? यदि हां, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां। शासन ने प्राइवेट बसों को नगर बस सेवा में चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें कान्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में न चलाकर नगर बस सेवा में स्टेज कैरिज के रूप में चलाई जायेंगी। विस्तृत रूप रेखा शासन के विचाराधीन है।

बांदा जिले में त्वरित योजनान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण

19—श्री चन्द्र भान आजाद (जिला बांदा)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि बांदा जनपद में बरई मानपुर (शेरपुर), खुरहन्ड स्टेशन रोड जो कि त्वरित योजना के अधीन बनी थी, का कुछ भाग बनाना बाकी है और जो हिस्सा बना है वह बहुत खराब है तथा टूटने लगा है ? यदि हां, तो सरकार मामले की जांच करवायेगी तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दन्डित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बांदा जनपद में त्वरित योजनान्तर्गत बरईमानपुर (शेरपुर) खुरहण्ड स्टेशन, रोड नामक कोई सड़क नहीं बनी है। वास्तव में उक्त योजनान्तर्गत (1) खुरहण्ड स्टेशन फीडर रोड 1 कि0 मी0, (2) खुरहण्ड गिरवां रोड 10 कि0 मी0, तथा (3) गिरवां–शेरपुर रोड 5.14 कि0 मी0 के तीन मार्गों का निर्माण जिला परिषद् बांदा, द्वारा कराया गया था यह तीनों मार्ग एक दूसरे को इस प्रकार जोड़ते हैं कि खुरहण्ड स्टेशन से शेरपुर एक ही मार्ग से जुड़े प्रतीत होते हैं। केवल खुरहण्ड स्टेशन फीडर रोड का एक किलोमीटर का हिस्सा पूर्ण है। जो भी कार्य हुआ है वह न तो खराब है और न कहीं टूटा हुआ है। केवल आधे किलोमीटर

की लम्बाई में मार्ग के दोनों ओर धान के खेत तथा तालाब होनेके कारण पानी रसने (वाटर सीपेज) तथा मार्ग में अधिक ट्राफिक चलने के कारण कुछ खराबी आ गई है। अतएव इस समय किसी व्यक्ति को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

झांसी के ऐराच घाट में बस दुर्घटना और दी गई सहायता

20—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद झांसी के ऐराच घाट में कोई बस दुर्घटना मार्च, 1976 के दूसरे सप्ताह में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए ? उनको क्या-क्या सहायता प्रदान की गई ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां, दुर्घटना 20 मार्च, 1976 को 3 बजे रात्रि में हुई, जिसमें 6 व्यक्ति मरे और 5 व्यक्ति घायल हुए। घायल व्यक्तियों को चिकित्सा के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल व्यक्तियों को रु0 40 की सहायता दी गई तथा बस्ती से भोजन, दूध आदि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों से चन्दा करके रु0 250 की धनराशि घायल व्यक्तियों को और दी गई।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण तथा निगम के वर्ष 1972-73 के महालेखाकार उत्तर प्रदेश का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण को तथा निगम के वर्ष 1972-73 के महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को स्टेट फाइनेन्शल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 को क्रमशः धारा 38 की उपधारा (3) तथा धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन†

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में 11वां वार्षिक प्रतिवेदन 1974-75 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 †

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1974-75 को लेखा विवरण सहित कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1976††

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1810 (एस0टी0) 36-ए-127(एस0 टी0)-76, दिनांक 18 मार्च, 1976 द्वारा प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग, अनुभाग–5 की संख्या 3791(वि0)/36–5–2092(टी0 डी0) 71, दिनांक 19 मार्च, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश फक्ट्रीज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की–अधिसूचना संख्या 2101 टी0 तीस–4–11–पी0–72, दिनांक 13 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 3858 टी तीस–4–3–पी0–75, दिनांक 15 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, 1975†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 812–टी तीस–4–97–डब्लू0–63, दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, 1975 को मोटर वेहिकिल्स ऐंक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले माल का संग्रह, अग्रेषण तथा वितरण करने के कारबार में लगे हुए अधिकर्त्ताओं को लाइसेन्स देने की नियमावली, 1975†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, मै आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 3614–टी/तीस–4–4–पी0–70, दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले माल का संग्रह, अग्रेषण तथा वितरण करने के कारबार में लगे हुये अधिकर्ताओं को लाइसेंस देने की नियमावली, 1975 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा सदस्य, श्री हरीश चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदन को यह सूचित किया जाता है कि श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल, लोक पक्ष दल, जो पहले जन संघ में थे, अब वे निर्दल हो गये हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 28—शिक्षा तथा अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,79,36,19,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87-ऋण और अग्रिम-शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, शिक्षा प्रगति की कुंजी है । सारी प्रगति चाहे वह मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, वह सब इसी पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की शिक्षा देश में जारी है। पहले शिक्षा का बजट 3 करोड़ 18 लाख के करीब था और अब यह करीब 214 करोड़ 95 लाख का हो गया है । शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इस समय पूरे बजट का 23.8 परसेन्ट हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं । जो इस समय हमारे सामने चुनौतियां हैं और जो बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या है उसको देखते हुये यह बजट थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे साधन भी सीमित ही हैं ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन को सूचना देना चाहूंगा कि इस वक्त प्राइमरी पाठशालाओं में करीब 1,23,62,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, मिडिल स्कूलों में 28 लाख 3 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूलों में 17 लाख 44 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और डिग्री कालेजों में 2 लाख 69 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में 68 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं । इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए अक्सर ऐसा महसूस होता है । इतने बड़े प्रदेश के लिये जितने बजट का प्राविधान किया गया है वह काफी नहीं है लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जितना भी इम्प्रूवमेन्ट लाया जा सकता हो, लावें । इसके पूर्व कि मैं शिक्षा जगत में हुई कुछ उपलब्धियों से सम्मानित सदस्यों को सूचित करूं, केवल एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं ।

इसके पहले जब कि इमरजेन्सी लायी गयी, शिक्षा क्षेत्र की एक अजीब हालत थी। पूरे देश और प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ था, जिसमें विद्यार्थियों को आह्वान किया जा रहा था कि अपना दर्जा छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो और बाहर आ जाओ । इस तरह से पूरे देश और प्रदेश में एक दुर्दशा की स्थिति थी । फिर इमरजेन्सी आयी। इमरजेन्सी से जो फायदे हुए उनका जिक्र इस वक्त मैं करना मुनासिब नहीं समझता हूं लेकिन शिक्षा जगत में उसका सब से ज्यादा फायदा हुआ । पूरे देश और प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में हमेशा नारे सुनायी देते थे, हमेशा कहीं न कहीं स्ट्राइक होती रहती थी लेकिन अब इमरजेंसी लगने के बाद से सब जगह इम्तहान समय से हो रहे हैं । पूरा शिक्षा सत्र गुजर जाने के बाद भी कहीं से इस तरह की शिकायत सुनने में नहीं आयी कि कहीं पर पढ़ाई में कोई रोक लगायी गयी हो । इसका पूरा श्रेय हमारी माननीय नेता श्रीमती इन्दिरा जी को जाता है । इस प्रकार से जैसा कि मैंने कहा, इमरजेंसी से सबसे ज्यादा शिक्षा जगत को ही फायदा हुआ है । पिछले साल 88 जूनियर बेसिक स्कूल, 30 सीनियर बेसिक स्कूल, 10 हाई स्कूल और इस तरह से और कितने नये इन्स्टीट्यूशन्स खुले हैं । इसी तरह से आप देखें कि हमीरपुर में भी विभाग की तरफ से

[श्री अम्मार रिजवी]

कुछ कालेज व नये इंस्टीट्यूशन्स खुले हैं। इसी तरह से ग्रान्ट्स इन एड 452 सीनियर बेसिक स्कूलों में दिये गये हैं और 266 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 19 डिग्री कालेज को भी ग्रांट दिये गये हैं। 36 नान गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को प्राविशियलाइज किया गया है।

आपको ज्ञात ही होगा और सम्मानित सदस्य इससे पूरी तरह से परिचित हैं कि बी0 एड0 के दाखिले में क्या-क्या बुराइयां थीं। हर लड़का जिसे बी0 एड0 में ऐडमिशन लेना होता था उसे अधिकारियों को कुछ पैसा देना पड़ता था। अब हमने इसके लिये सक्रिय कदम उठाया है और इसके लिये ऐसा रूल ऐंड रेगुलेशन बनाया है कि बी0 एड0 में जो भी ऐडमिशन हो वह मेरिट के आधार पर ही हो। यह एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी रोकने का हमने पूरा प्रयास किया है। लेकिन इस काम को सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसमें आप सबों का हमें सहयोग चाहिये। अगर कहीं पर माननीय सदस्यों को इस तरह की कोई शिकायत मिले तो वे हमें सूचित करें, ऐसे मैनेजमेंट के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

पापुलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम को स्कूल व कालेजों में वरीयता दी गयी है। हम चाहते हैं कि छात्र और टीचर्स भी देश और प्रदेश की आबादी को कन्ट्रोल करने में हमारा साथ दें। क्योंकि कोई भी देश या प्रदेश बिना आबादी पर कन्ट्रोल किये तरक्की नहीं कर सका है। हमारा पूरा प्रयास है कि वे समाज के अन्दर जाकर इसका महत्व लोगों को बतला सकें। हमें कुछ इसमें प्रशासनिक कठिनाई भी पेश आती थी। जिला लेविल पर डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स और बेसिक शिक्षा अधिकारी, दोनों के अधिकारों का कोई साफ जिक्र नहीं था। जिला निरीक्षक जो सर्वोत्तम अधिकारी जिले का है, इसके साथ ही उसे डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिसर भी बनाने को सोच रहे हैं और यह नाम देने को सोच रहे हैं।

इसके बाद श्रीमन्, पिछले साल बहुत से महत्वपूर्ण कायदे कानून बनाये गये हैं। जो कालेज की प्रापरिटी होती थी उसकी जो जायदाद होती थी उसका ज्यादातर दुरुपयोग होता था। उसके ऊपर रोक लगाने का अधिनियम बनाया गया। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिनियम बनाया गया और इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में तब्दीलियां की गयी हैं और इसी तरह से बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इसके साथ-साथ शिक्षा में, बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन में समाज के सब तबको को पूरा स्थान दे सकें, पूरी जगह दे सके जिससे कि यह महान संस्था, जो संसार की सबसे ब ी संस्था है, उसमें पूरी तरह से सबको प्रतिनिधित्व दे सकें, ऐसा प्रयास किया है।

श्रीमन्, इसी तरह से प्राइमरी एजूकेशन का जिक्र आता है, तो बहुत से प्रश्न सामने आते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्राइमरी शिक्षा बुनियादी शिक्षा होती है और सेकेन्डरी एजूकेशन इसी के ऊपर निर्भर करता है। श्रीमन्, आपको ज्ञात होगा कि इसके लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम बनाया गया और बेसिक शिक्षा को इसके अन्दर लिया गया। इस समय श्रीमन्, गंभीरता से हम सोच रहे हैं कि किस तरहसे जिला परिषदों को इसके अन्दर सक्रिय रोल दिया जा सकता है। इस सिलसिले में कमेटीज बनायी गयी हैं और हो सकता है कि बहुत से सम्मनित सदस्य इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि जिला परिषद् को पूरा अधिकार नहीं नहीं दिया है। लेकिन मान्यवर, इस बात का पूरा प्रयास किया है कि ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे इसके अन्दर जिला परिषदों और सरकारी अधिकारी मिलकर इसका पूरा नियंत्रण कर सकें।

दूसरा सवाल यह है कि बेसिक शिक्षा के स्कूल्स वगैरह की जो हालत होनी चाहिये वैसी नहीं है। बिल्डिंग्स का अभाव है। फर्नीचर नहीं है और जो बहुत सी सहूलियत देना चाहिये वह हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि एक दम से इतना ज्यादा पैसा देने की हमारी वित्तीय क्षमता नहीं है। सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं है। इसके लिये प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ तरीका निकालें जिससे बहुत थोड़ी सी रकम एक रुपया,

दो रुपया हमें लोगों से लेना पड़े या बच्चों से लेना पड़े। इस तरह से हम फेज्ड प्रोग्राम बनाकर प्राइमरी स्कूलों की इमारते बनवाने का प्रयास करेंगे। हम इस तरह से पूरे प्रदेश के बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि बगैर छतों के स्कूलों में पढ़े, वगैर इमारतों के स्कूलों में पढ़े, जाड़ों में जमीन के ऊपर बैठ कर पढ़े, हम इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा। श्रीमन्, इसी तरह से सैकेंडरी एजूकेशन में जो इम्तहान होते हैं, हाई स्कूल वगैरह के उनके रिजल्ट में काफी देर होती थी और गल्तियां भी होती थीं।

मान्यवर, अबकी हम एक नया तजुर्बा कर रहे हैं, कम्प्यूटर सिटस्म का कम्पयूटर लगा रहे हैं जिससे इम्तहान का नतीजा जल्दी से जल्दी आ सके और जो गल्तियां अक्सर हो जाती थीं, जो आरोप लगाये जाते थे, वह न लग सकें। इस वक्त हम 45 हजार बच्चों का रिजल्ट आई0 बी0 एम0 द्वारा कम्पयूटर से निकलवा रहे हैं। इसको देखकर हम और ज्यादा बच्चों का रिजल्ट निकालेंगे जिससे गल्ती के इमकान न हों। यह भी देखा गया है कि जो बच्चे पूरी तरह से टेलेंन्टेड हैं, चाहे वह गांव के हों या वह शहरों के हो, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उन लोगों के साथ कम्पीटीट नहीं कर सकते हैं जो शहरों में रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने यह निश्चय है एक ऐसी एकेडमी खोलेंगे, ऐसे विद्यालय बनायेंगे जहां कि प्रदेश भर के टेलेन्टेड स्टूडेन्ट्स वहां रह सके। हम उनको रखेंगे और उन शिक्षा आदि पर जो खर्चा होगा वह प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस तरह से टेलेन्टेड बच्चों के सामने जो आर्थिक कमियां आती हैं तो इस तरह की कोई रुकावट नहीं रहेगी। इसी तरह से सवाल यह भी है कि जो 10+2+3 में केरीकुलम की बात आती है। इसके अन्दर विषयों की बात आती है। यह व्यापक प्रश्न है। यह प्रश्न प्रदेश के सामने ही नहीं है बल्कि पूरे देश का सवाल है। इसमें हमें, निर्देश है, गाइड लाइन्स भारत सरकार से मिली हैं, यह कि हम जिस प्रकार का सिस्टम लागू करे, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर भी मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य बताना चाहें वह बता सकते हैं ताकि शिक्षा का भविष्य कैसा हो, उसे हम देख सकें। दूसरी बात साइन्स बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दूसरे देशों में विज्ञान की शिक्षा शुरू से ही दी जाती है और 10+2 में भी विज्ञान कम्पलसरी रखा गया है। इसके बाद प्रश्न आता है लेबोरेटरी कि कहां होगी, कितनी होंगी जिसके लिये टीचर्स कैसे मिलेंगे? इसमें हमें वित्तीय कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ेगा और लगभग 23 करोड़ रुपया इसमें लेना पड़ेगा। चूंकि यह शिक्षा का सवाल है तो उसको हम देखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे प्रदेश आगे बढ़ सके। इस पर एक और सवाल आयेगा कि बहुत से ट्रेन्ड टीचर्स बेकार हैं। इसीलिये हमने बहुत सी बी0 टी0 सी0 यूनिटें और प्राइवेट यूनिटों को खत्म कर दिया है और साथ ही साथ बी0 टी0 सी0 का कोर्स दो साल का कर दिया है। इस पर हम रोक भी लगा रहे हैं कि मास प्रोडक्शन जो ट्रेन्ड टीचर्स का है, वह खत्म हो जाय। जब तक कि बेकार ट्रेन्ड लोगों को न ले लें।

श्रीमन्, नान फारमल एजूकेशन के ऊपर प्रधान मंत्री जी का प्रयास है कि हर जगह नान फारमल एजूकेशन हो। इसमें 25 एडल्ट स्कूल और 35 पार्ट टाइम कक्षायें खोली हैं। श्रीमन्, शिशु मंदिर की बात आती है तो वह विद्यालय या वह शिक्षा संस्थायें जो कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रही थी जिससे एक खास तौर पर वह सोचे। सारा देश हमारा सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता की ओर जा रहा है, अतः आवश्यक था कि उस पर रोक लगायी जाय। इसलिये उन संस्थाओं पर रोक लगायी गयी और उस पर हमारा नियंत्रण है। किस प्रकार बच्चों का भविष्य होगा यह बात शासन के विचाराधीन है। सरकार कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि शिक्षा संस्थायें ऐसा वातावरण पैदा करें कि वह जहर फैलायें और जो फिर इन्सान को ही खत्म कर दें।

श्रीमन्, भारत वर्ष में 3 साइन्स रिसर्च सेन्टर हैं और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया इस बात के लिये राजी हो गयी है कि एक सेन्टर इलाहाबाद में खोला जाय और इसके लिये 10 लाख

[श्री अम्मार रिजवी]

रुपया उन्होंने ग्रान्ट दिया है। उर्दू पढ़ने लिखने का इन्तजाम किया है। उर्दू एकाडमी ने इनमें सहयोग दिया है और उर्दू टीचर्स की नियुक्ति की है। एक करोड़ 62 लाख रु0 इनके प्रोत्साहन के लिये और संस्कृति के लिये रखा गया है। साथ ही साथ 50 लाख रु0 संस्कृत यूनिवर्सिटी को दिया है ताकि इससें इस महान जुबान पर पूरी तरह जोर दिया जा सके। श्रीमान् शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें बराबर परिवर्तन किया है और हम ऐसी मंजिल पर आ गये हैं कि पूरी मंजिल तय कर लेंगे। आज शिक्षा का जहां तक इन्सपेक्शन का सवाल है वहां कन्सालीडेशन का सवाल भी है। तो शिक्षा बढ़ रही है लेकिन साधन सीमित होने के कारण पूरी तरह कन्सालीडेट नहीं कर पाये हैं। बहुत से सदस्य कहते हैं कि यहां पर स्कूल और कालेजेज खोलने चाहिये लेकिन साथ ही साथ बताते हैं कि वहां बिल्डिंग नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सीमित साधन हैं उन्हीं को देखते हुये शिक्षा भी हम बढ़ा सकते हैं और जो भी इस सम्बन्ध में सुझाव आयेंगे और जो माननीय सदस्य कहेंगे मैं उसके बाद में निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

*श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम-शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी शिक्षा बजट पर माननीय सदन ने शिक्षा मंत्री जी का भाषण और जो चिन्ता उन्होंने व्यक्त की और कुछ उत्साहवर्द्धक घोषणाएं की उनको सुना। शिक्षा मंत्री जी ने यह बताया कि शिक्षा का जो बजट इस बार पेश किया है वह पहले जैसा ही रखा गया और घटाया नहीं गया है। लेकिन जब आंकड़े पेश किये तो उनमें घटी हुई संख्या पेश की। साथ-साथ जो हमारे शिक्षा जगत की दुर्दशा है विद्या मंदिरों की दुर्दशा है उसकी भी मंत्री जी ने स्वीकारोक्ति की। मान्यवर, मंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त की और शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिये कुछ उत्साहवर्द्धक घोषणाएं की उनका मैं और मेरा दल स्वागत करता है। लेकिन जो कुछ भी अभी कहा गया उससे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी खुद भी आश्वस्त नहीं हैं कि समस्याओं का कुछ समाधान हो सकेगा। आज हमारे समूचे देश में आम तौर पर और हमारे राज्य में खास तौर पर शिक्षा की समस्या अत्यधिक गम्भीर है। आज इसने एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया है यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हम शिक्षा के बजट पर विचार कर रहे हैं तो हमारे देश में आजादी के 29 वर्ष बाद भी साक्षरता की जो स्थिति है उस पर गौर करें। पूरे देश में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर साक्षरता 39.45 प्रतिशत थी। उत्तर प्रदेश में जो कि 9 करोड़ की आबादी का एक महाराज्य है और एक देश जैसा है इसके अन्दर साक्षरता 21.70 प्रतिशत है। यह पूरे राज्य की साक्षरता है अगर इस राज्य के विभिन्न जिलों को लें और देखें तो मालूम होगा कि राज्य के अन्दर अक्षर ज्ञान रखने वालों की कितनी संख्या है।

तो मान्यवर, कुछ हमारे जिले ऐसे हैं जिनकी स्थिति पर बहुत ही अफसोश होता है। उनकी बड़ी ही सोचनीय स्थिति है। अगर हम रामपुर को लेते हैं तो वहां 12.90 प्रतिशत, बदायूं 12.86 प्रतिशत और बहराइच 12.19 प्रतिशत है। यह क्या स्थिति है। बड़ी शिक्षा का सवाल नहीं है। केवल प्रतिशत का सवाल है। केवल—अक्षर ज्ञान रखने वाले लोगों की शिक्षा का सवाल है। आजादी के 29 वर्षों के बाद हमारी यह स्थिति बनी हुई है। यह जो आंकड़े मैंने पेश किये हैं वह आज की स्थिति को बताते हैं। हमने अपने संविधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह घोषणा की थी कि हम निश्चित अवधि के अन्दर निरक्षरता के कलंक को मिटा देंगे, जिसमें हम सफल नहीं हो पाये हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस चिन्ता का अहसास है और यह एक गम्भीर मसला है।

मैं कुछ बातों की तरफ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहला सैद्धान्तिक प्रश्न तो यह है कि इस शिक्षा की बुनियादी समस्यायें क्या हैं? हम पात-पात को लें और जड़ को न लें तो उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा। यह जो शिक्षा प्रणाली आज चल रही है जिसमें हम सभी पढ़े-लिखे हैं इस शिक्षा के ढांचे को अंग्रेजों ने इसलिये बनाया, उनका यही उद्देश्य था कि यहां पढ़-लिखकर लोग बाबू बनें जो जनता से नफरत करें, नीचे वालों पर रोब गालिब कर सकें और बड़ों की जी हुजूरी करते रहें। जो हमारे यहां आज भी प्रचलित शिक्षा प्रणाली है यह उसी बुनियाद पर टिकी हुई है। सारे परिवर्तनों के बावजूद भी, लम्बी चौड़ी इच्छाओं और घोषणाओं के बावजूद भी वह पहले वाला ढांचा बरकरार है। ऊंचे-ऊंचे अधिकारी और राज नेता रोज ही यह घोषणा करते हैं कि शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन का करना आवश्यक है। कौन रोके हैं उनको ऐसा करने से, क्यों यह परिवर्तन नहीं होता है? यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है और आज हमको इस माननीय सदन में इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना है। हमारी शिक्षा महंगी होती जा रही है, दिनों दिन महंगी होती जा रही है। ऐसी शिक्षा जिसमें पूर्णरूपेण ऊपर से नीचे तक अराजकता बनी बनी हुई है, जिसका उद्देश्य कुछ भी नहीं, कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं।

कोई सामान्य नीति नहीं। यह जो स्थिति है इसने हमारे देश और राज्य के अन्दर, शिक्षा जगत के अन्दर अराजकता पैदा की है। यह सब क्यों है? आज हम चाहें प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा लें, विश्वविद्यालय को लें, हर स्तर पर दृष्टिपात करने से हमें यह पता चलता है कि इस शिक्षा का हमारे जीवन की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं। पढ़ने-लिखने के बाद हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या काम मिलेगा शिक्षा से, इसका कोई वास्ता नहीं? इसीलिये आज ये विद्या मन्दिर बेकारों तथा बेरोजगारों की फौज पैदा करने के कारखाने बन गये हैं और सुरसा की तरह बेकारी का मुंह फैलाता जा रहा है जिसमें समुचित राष्ट्र और प्रदेश समा जायेंगे। इस शिक्षा जगत में बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है, राष्ट्रीय संकट की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिसका समाधान खोजने के लिये आज हमारे इस सदन को विचार करना है।

अब आजादी के तत्काल बाद का सवाल नहीं। जो काम आजादी के तत्काल बाद होना अपेक्षित था आज 29 साल के बाद भी वह सम्भावना नहीं है और हमारे बीच प्राइमरी स्कूल जितने होने चाहिये थे वे नहीं हैं। जो हैं भी उनकी क्या हालत है? अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मकान नहीं, बैठने को टाट-पट्टी नहीं, किताबें नहीं, कुर्सियां नहीं अध्यापकों के लिये, हमारे बहुत से नेतागण भाषण करते हैं, उपदेश देते हैं कि भाई यह प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति का देश है। इसमें बड़े-बड़े महलों की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिये जंगलों में जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो और जमीन पर बैठ कर शिक्षा लो और दो। आज का वैज्ञानिक युग है इसमें इस तरह के कोरे उपदेश और लफ्फाजी कारगर नहीं होंगे। जब तक हम अपने बच्चों को टाट-पट्टी बैठने के लिये, बरसात के अन्दर बैठने के लिये, छत और गुरुओं के बैठने के लिये मूढ़े व कुर्सी और छात्रों को किताब व कापी मय्यसर नहीं करा सकते तब तक शिक्षा बेमानी हो जाती है, एक तरफ हमारे नन्हें-मुन्ने इस तरह के प्राइमरी स्कूलों में बैठें और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूलों के नाम पर बड़े-बड़े लोगों के बच्चे अय्याशी का जीवन बितायें तब शिक्षा पायें तो इस तरह की असमानतायें हमारे शिक्षा जगत में बहुत गंभीर और पेचीदा समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। प्राइमरी शिक्षा की हालत यहीं तक सीमित नहीं है। अध्यापकों का वेतन बहुत कम है। 50 मील दूर उनका स्कूल है। ऊपर से अन्दरूनी गुटबाजी अफसरों की रिश्वतखोरी, तो वे पढ़ायेंगे खाक? फलस्वरूप टालमटोल करके, अपने

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

कर्त्तव्य के प्रति तथा छात्रों के प्रति गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करने के लिये वह विवश होते हैं। यदि इस प्राइमरी शिक्षा के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है और स्कूलों में जरूरी सुविधायें नहीं मिलती हैं, टीचरों का स्तर नहीं उठाया जाता है, उनकी नौकरी की गारंटी नही की जाती, घर के निकट रहने की व्यवस्था उनके लिये नहीं की जाती है तो यह अराजकता की नीति शिक्षा में चलती रहेगी। लाखों घोषणायें मंत्री जी यहां पर बैठकर कर दें, लाखों कागजी पत्ते रंग लें लेकिन कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

मान्यवर, आज हम अभी चन्द दिनों पहले से एक नई घोषणा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से सुन रहे हैं कि दस साला योजना होगी। वह दस साला योजना शिक्षा के लिये पेश की गई है। बड़ी अच्छी बात है। हमारे छोटे-छोटे नन्हे मुन्ने से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने लिखने वाले किशोर जीवन के आवश्यक ज्ञान की जो बातें हैं उन्हें वे सीखें। क्यों कि आदमी को सिर्फ स्पेशलाइज्ड ही नहीं बनाना है एक विषय में पारंगत ही नहीं बनाना है बल्कि उसे जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के जो विभिन्न अंग हैं उनमें भी कुशल बनाना है और कम से कम मोटे तौर पर उनकी जानकारी उसे करनी है। इस तरह की जो घोषणायें और सद्इच्छायें हैं उनका हम स्वागत करते हैं लेकिन आज हम देखते हैं कि इसकी बड़ी आलोचना होती है। इसका बड़ा डर है और वह डर आधारहीन नहीं है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे आज भी जिनके दिमाग पर बड़ा बोझ है आज बगैर सबेरे खाये स्कूल में जायं, दिन भर स्कूल में किताबों में माथा पच्ची करें, उनको रोटी तक नसीब नहीं उनको बगैर किसी तैयारी के इतना बोझ लाद दिया जाय तो यह उचित नहीं है। हमारे समाज और शिक्षा के विकास के लिये पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में आलोचक जो तर्क देते हैं उनका जो डर है उनसे अपने को सम्बद्ध नहीं करता लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि इस दस साला योजना के तहत जो 16 विषय बच्चों के ऊपर लादने की स्कीम है क्या उसकी पूर्व तैयारी की गई है। हमारे छोटे-छोटे बच्चों को इतने ज्यादा विषयों की शिक्षा देने की कोशिश बगैर पूर्व तैयारी के, बगैर अध्यापकों को भली प्रकार से ट्रेन्ड किये हुये क्या यह मुमकिन है? और अगर मुमकिन नहीं है तो क्या यह सिर्फ एक प्रयोग है? अगर प्रयोग है तो क्या यह प्रयोग हम अपने छोटे-छोटे किशोरों के ऊपर लादना चाहते हैं?

मान्यवर, अगर इस तरह का मजाक बच्चों के साथ किया गया तो यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे शिक्षा जगत में होगी, यह मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि यह योजना लागू न हो। लेकिन योजना के लागू करने से पहले भली प्रकार से प्रशिक्षित अध्यापकों की लम्बी फौज तैयार की जाय और उनके लिये जो मुनासिब सुविधायें हों वे मुहैय्या की जायं। बिना इसके यदि यह पद्धति लागू की जायेगी तो वैसे ही होगा जैसे कि चौबे जी छब्बे होने के लिये गये थे और दुबे होकर चले आये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये पूर्व तैयारी अपेक्षित है। आज के वैज्ञानिक युग में जहां खेती भी वैज्ञानिक पद्धति से होती है और कल जो हमारा देश बनने वाला है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह बगैर वैज्ञानिक तौर-तरीकों के नये भारत का निर्माण नहीं कर सकते। उसमें हम फिर अपने राज्य के अन्दर सिर्फ 21–22 फीसदी साक्षर और कुछ थोड़ी सी तादाद में माध्यमिक, कालेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने गिनाई है उनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या कहा जाय? तरस आता है किसी इत्मिनान की यह बातें नहीं हैं।

मान्यवर, आज चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा या चाहे यूनिवर्सिटी शिक्षा हो कहीं पर भी हमको यह दिखाई नहीं देता है कि बच्चा जिस माहौल में अपने जीवन का अधिकतर भाग बिताता है अपने मां बाप के बीच, अपने अभिभावकों के बीच रहता है उनका भी सहयोग, उनका भी कोआपरेशन लेने की कोशिश की जाती है कि नहीं? नहीं की जाती है। थोड़े समय के लिये बच्चा स्कूल में जाता है वहां उसे कुछ रटी रटाई बातें

सिखाने की कोशिश की जाती हैं और उसके बाद बच्चा घर आया और घर का वही माहौल जिसमें, वह स्कूल में जो कुछ सीख कर आता है वह भी भूल जाता है। तो मान्यवर, हमारे बच्चों का शिक्षा में चौमुखी विकास हो इसके लिये जरूरी है कि अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाय ताकि घर और स्कूल में शिक्षा जो है, उसका अविभाज्य अंग बन जाय। तभी हमारी शिक्षा का चौमुखी विकास हो सकता है।

अब मान्यवर, पाठ्यक्रम का प्रश्न है। उसके लिये हमारे शिक्षा मंत्री बहुत आतुर और चिंतित हैं और बहुत परेशान मालूम होते हैं कि किस तरह से उसमें परिवर्तन किया जाय। लेकिन क्या यह जो हमारा पाठ्यक्रम है यह ठीक है? यह उसी ढांचे में चल रहा है जो कि हमें अंग्रेजों ने दिया था। हमारे यहां जो इतिहास पढ़ाया जाता है, मैंने भी इतिहास पढ़ा था, उस समय जो पुस्तकें दी जातीं थीं उसी तरह के आज भी उनमें पाठ पढ़ाये जाते हैं। इन पुस्तकों में यह लिखा होता है कि मुसलमानों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया। लेकिन चीन ने हमला किया वह नहीं लिख जाता है, अंग्रेजों ने हमला किया, फ्रांसीसियों ने हमला किया, पुर्तगालियों ने हमला किया, वह नहीं लिखा जाता है। लेकिन थोड़े से मुसलमानों ने हमला किया और उन्होंने हिन्दुस्तान को जीत लिया। अब मान्यवर, उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुसलमान बच्चा सोचता है अरे थोड़े से हम लोग थे और इस महान देश को जीत लिया पर फिर हमको सत्ता से गिरा दिया गया। एक प्रतिशोध की भावना पैदा होती है और सोचते हैं कि हम उनके मुकाबले में ताकतवर हैं, ज्यादा बहादुर हैं। तो यह भावना पैदा होती है। दूसरी तरफ हमारे हिन्दू बच्चों में क्या भावना पैदा होती है कि हमारी आजादी छीनने वाले कौन थे? यह मुसलमान थे। तो हम लाख कोशिश करें राष्ट्रीय एकता जगाने की वह नहीं आ सकेगी। हमारी प्रधान मंत्री रोज उपदेश देती हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में इस तरह का जहर घुला हुआ है। अगर इस जहर को निकाल बाहर नहीं किया जाता है तो यह घोषणा, यह उपदेश निष्फल होंगे। यह राष्ट्रीय एकता नहीं ला पायेगी और यहां पर एकता की जड़ काटने वाली छुरी हमेशा पलती रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज जो छठी कक्षा की किताब चल रही है उसमें स्पेन की सिविल वार का हवाला दिया है और उस फौजी जनरल की बहादुरी की प्रशंसा की गई है। मान्यवर, एक अजीब बात है जिस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लोगों ने खुलकर वहां की जनता की पैरवी की थी, उनकी तरफदारी की थी, वहां आज आजाद देश के पाठ्यक्रम में एक फासिस्ट सेनापति की तारीफ की जाती है। उसकी देशभक्ति की बात की जाती है।

मान्यवर, आप रेजीडेन्सी में जायं। आज भी वहां अंग्रेजों की बहादुरी के कारनामे लिखे हुए हैं। इन सब बातों को देखने की हमको फुर्सत नहीं है कि उसको हम लीप दें और उनकी जगह पर अपने स्वतंत्रता संग्राम के बहादुरों का नाम लिख दें। इस बात की हमें फुर्सत ही नहीं है कि रेजीडेन्सी में अंग्रेजों की बहादुरी के क्या कारनामें लिखे हुए हैं? आपने शहीद स्मारक बना दिया, लेकिन उससे केवल काम चलने वाला नहीं है। आज अंग्रेजों के काले कारनामें, विरुदावली के रूप में, आजाद हिन्दुस्तान में, बड़े गौरव पूर्ण ढंग से उल्लेख हुए हैं। उनके प्रति हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम उनको पोत दें। यही नहीं हमारा कर्तव्य है कि हम उनका नामों निशान मिटा दें, जिससे हमारे बच्चे यह न समझें कि अंग्रेजों ने इस देश में जो कारनामें किये वह वीरता के किये, बल्कि वह ये समझें कि वे विश्वासघाती थे और उन्होंने लुटेरों के काले कारनामें किये।

माध्यमिक शिक्षा के अन्दर बहुत दिनों से राष्ट्रीयकरण का सवाल चल रहा है। शिक्षा जगत से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्र अध्यापक, विद्यार्थी हो, सभी का यह पूरा विचार रहा है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, आपकी सामान्य नीति थी कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं, जिनके प्राइवेट मैनेजमेंट हैं, उनको उनके चंगुल से छुड़ाया जाए और सरकार उसे अपने हाथ में ले। लेकिन इस दिशा में कोई भी कारगर कदम अभी तक नहीं उठाया

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

गया है। पिछली बार कुछ इसमें लीपापोती हो गई, लेकिन आज भी क्या उस पर पूरे तौर पर अमल हो रहा है ? अध्यापक और मैनेजमेंट के झगड़े और उनका शोषण क्या आज समाप्त हुआ है ? ऐसे सकड़ों के सैकड़ों आवेदन पत्र शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं। अध्यापक निकाल दिए जाते हैं, उनको हैरेस किया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको हर तरह से तबाह करने का प्रयास किया जाता है। तकलीफ तो तब विशेष होती है, जब जिन्हें ऐसे लोगों पर चोट करनी चाहिये, वे जिम्मेदार अधिकारी लोग प्राइवेट मैनेजमेंट के साथ मिली भगत करके इस ओर से उदासीन हो जाते हैं और वे उनके सहायक नहीं होते। हमारे मैनपुरी जिले में एक जिला विद्यालय निरीक्षक थे, जो अब नहीं हैं, यह खुशी की बात है, माननीय हरीशचन्द्र तिवारी, उनके कारनामों के बारे में कम से कम 20–25 बार शिक्षा मंत्री जी से मिला, डाइरेक्टर से मिला, शिक्षा सचिव से मिला, जिससे मिला सबने यह कहा कि उससे ज्यादा बद्जात आदमी शिक्षा जगत में नहीं होगा। लेकिन सारी स्वीकारोक्ति के बाद साल भर तक वह अफसर वहां टिका रहा और लाखों के वारे-न्यारे करता रहा और जब वह सब कुछ अपने काम कर चुका तो साधारणतया, जैसे अधिकारियों को इधर-उधर भेजा जाता है, उसको भी स्थानान्तरित कर दिया गया। मेरे पास अध्यापकों की बहुत सी शिकायतें मैनेजमेंट कमेटियों की और शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ यहां हैं।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और वहीं के एक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अनेक आरोप फरवरी और मार्च में शिक्षा मन्त्री और दूसरे अधिकारियों को दिए। वे बहुत गम्भीर आरोप हैं। यदि उनको मैं यहां पर कहूं, तो शायद हममें से बहुतों की गर्दन शर्म से झुक जाएगी। लेकिन उनको कोई शर्म नहीं, कोई जूं नहीं रेंगी। आज इस सदन को इन सारी स्थितियों पर विचार करने की जरूरत है फैजाबाद में एक फार्मर्स इन्टर कालेज है। वह दम भरता है कि हम तो अल्पमत की संस्था हैं। वहां के अल्पमत के मुस्लिम अध्यापक हमारे पास आए हैं। उनकी शिकायतें मुनासिब हैं। विद्यालय की प्रबन्ध समिति के खिलाफ आरोपों की एक लम्बी लिस्ट अधिकारियों को दी गई, जिसे मैं शिक्षा मन्त्री महोदय को दूंगा। क्या मामला है, क्यों है, क्यों इसमें ढिलाई बर्ती जा रही है ? क्यों इसमें सख्ती से कदम नहीं उठाया जाता है ? ये जो हमारे बी0टी0सी0 ट्रेनिंग स्कूल हैं, अब इस बी0टी0सी0 का क्या मामला है ? 6-6, 7-7 साल ट्रेन्ड अध्यापक आज दर-दर घूमते फिर रहे हैं। जिलों में जगह खाली हैं, सैकड़ों जगह खाली हैं। एक तरफ शिक्षा की समस्या है, और दूसरी तरफ ट्रेन्ड अध्यापक मारे-मारे फिर रहे हैं। इधर ट्रेन्ड अध्यापक, उधर शिक्षकों की कमी, कहां पर गड़बड़ है ? इन दोनों का मेल नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, यह बहुत बुरी गम्भीर समस्या है। आज तो बी0 टी0 सी0 कम हैं, कल जब हम प्रचार और प्रसार करने जा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा का, तो ऐसे दस गुना अध्यापक प्रशिक्षित करने पड़ेंगे, तो कहां से उनको काम देंगे ? आज इस तरह से बी0टी0सी0 से सी0टी0 और सी0टी0 से एल0टी0 में प्रमोशन का सवाल है। एक अधिकारी का ट्रान्सफर करके प्रोमोशन किया गया, उसने सिफारिश पहुंचाई या शायद वह माननीय शिक्षा मन्त्री जी के पास पहुंच गया हो या शिक्षा निदेशक के पास पहुंच गया हो, अब इस सिफारिश से उसका ट्रान्सफर रोका गया और उसका प्रोमोशन बरकरार और दूसरे बेचारे की सिफारिश नहीं पहुंची, तो वह तो तत्काल ट्रान्सफर पर जाय और न जाय तो उसका प्रमोशन गड़बड़। एक अधिकारी के आगे इसमें एक दोहरी और सौतेली नीति क्यों ? इसे बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो मान्यवर, आज बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है और इस गम्भीर समस्या से निपटना पड़ेगा।

मान्यवर, एक बात उदाहरण के तौर पर यह जो भ्रष्टाचार का सागर है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूं। झांसी मन्डल में एक सी0बी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय है। उसके प्रधानाचार्य, रीजनल इन्सपेक्ट्रेस गर्ल्स स्कूल, इनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं। वहां पर तमाम विचारों के लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरे लोग जो हैं, उन्होंने

शिकायतें कीं, कोई कार्यवाही नहीं हुई उन पर और पिछले सत्र के अन्तिम दिन एक टीचर का ट्रान्सफर गोरखपुर के लिए कर दिया गया है, उसे तत्काल जाना पड़ा। लेकिन वह जो एक बाघ बैठा हुआ था, जिनके खिलाफ शिकायतों के अम्बार थे, उनके ऊपर किसी तरह की चोट नहीं, किसी तरह की पूछताछ नहीं।

मान्यवर, इसी तरह से हमारे अध्यापकों की पेन्शन का सवाल है, काफी घपले में पड़ा हुआ है। जो रिटायर हो जाते हैं उनका प्राविडेन्ट फन्ड और उनकी पेन्शन नहीं मिलती है। 5-5 और 7-7-साल तब बेचारे इन्तजार करते-करते उनकी आंखें पथरा जाती हैं। यह रिटायर होने के बाद उनको तुरन्त मिल जानी चाहिए लेकिन नहीं मिलती है। तो यह कब मिलेगा उनको कुछ पता नहीं है, क्या यह मरने के बाद मिलेगा ? मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज यह जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा है, इसकी हमारे सामने समस्या है।

मान्यवर, यह जो विश्वविद्यालय हैं और डिग्री कालेज हैं इनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज इन विश्वविद्यालयों को देखकर समझा जा सकता है कि वह देश कैसा बनेगा। हमारे यहां मान्यवर, विश्वविद्यालयों में साम्राज्य है और बहुत ही ज्यादा दखलन्दाजी है। बड़े प्रोफेसर, वाइस चान्सलर और बड़े-बड़े स्कालर आज उनकी लपेट के शिकार हैं। क्या मान्यवर, यह सोचा जाए कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री और हमारे रिजवी साहब को पता नहीं है ? मैं इसी सम्बन्ध में दो-एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय को लेना चाहता हूं। जब यह शुरू हुआ तो अंग्रेजों का चाहे जो कुछ भी आदर्श रहा हो लेकिन आज हमारा देश आजाद है, आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में आई0 ए0 एस0 अधिकारी वाइस चान्सलर बना दिए जाते हैं। मान्यवर, इस ज्ञान मन्दिर में शिक्षाविदों को वाइस चान्सलर बनाना चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है ? आप देखें कि ज्यादातर आई0 ए0 एस0 अधिकारी वाइस चान्सलर बने हैं। अगर इस पद्धति को आप आज नहीं बदल सकेंगे, आज इमरजेन्सी का जमाना है तो कब बदल पायेंगे ? तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह अजीबोगरीब हालत है। अगर मान्यवर, इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर ज्ञान के मन्दिर में दखलन्दाजी की जायेगी तो जो आपकी नियत है उस पर लोगों को शक होने लगेगा। इस चीज से आप बचने की कोशिश कीजिए और जो इन ज्ञान के मन्दिरों में आई0 ए0 एस0 अफसरों को बैठाया है उनके स्थान पर शिक्षाविदों को बैठायें।

मान्यवर, हमारे यहां पर कानपुर है। उसमें और यहां अन्य विश्वविद्यालयों में वाइस चान्सलर के पद के चयन हेतु एक-एक चयन समिति बनी हुई है। कानपुर में एक नहीं 2-2 और 3-3 नाम भेजे। इस प्रकार से 6 लोगों के नाम भेजे गए लेकिन किसी को नहीं चुना गया, क्यों नहीं चुना गया क्योंकि पसन्द नहीं आए। तो चयन समिति से नाम न मंगा-कर अपनी ओर से ही नाम भेज देते, उसे चयन समिति स्वीकार कर लेती। तो यह एक खिलवाड़ नहीं तो और क्या है ? लखनऊ में माननीय मुस्तफी साहब थे, कौन उन्हें नहीं जानता ? उनकी ईमानदारी और विद्वता को कौन नहीं जानता ? जिन्होंने यूनिवर्सिटी को सही दिशा में चलाने की कोशिश की, उनका एक घंटे में ट्रान्सफर कर दिया जाता है और ट्रान्सफर ही नहीं, उनको हटा दिया गया। इससे आज सारे के सारे शिक्षा जगत में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आई0 ए0 एस0 होने के नाते अगर उन्हें हटा दिया जाता तो कोई बात नहीं थी लेकिन उन्हें तो इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वे आपकी कितनी ही गलत नीतियों के मददगार नहीं हैं। आम तौर पर इस प्रकार की चीजें होती हैं, हमारा उनकी ओर ध्यान जाय या न जाय। कुछ लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, उन्हें हमें तसलीम करना चाहिए। श्री मुस्तफी ने आई0 ए0 एस0 होते हुए भी अच्छा काम किया है। बी0 एच0 यू0 को देखिए, उसमें श्रीमाली काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक और शानदार काम कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि बनारस यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा ? आज वे शानदार तरीके से निर्वहन कर

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

रहे हैं। तो ऐसे अच्छे लोग जो प्रशासन के दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं, उनका कुछ शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनके अन्दर आई० ए० एस० के अधिकारी का शिकंजा जकड़े हुए हैं, वह छोड़ा जायगा या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है।

दूसरे हमारे विद्यार्थियों के जो पाठ्यक्रम और शोध कार्य जो हैं, उनके बारे में देखिए। मैंने भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कालेज में पढ़ा तो चाहे पोलिटिकल साइंस पढ़ी चाहे इकोनोमिक्स पढ़ी सारी की सारी पढ़ाई-लिखाई ग्रन्थों द्वारा, पूंजीवादी देशों के वातावरण वाली पढ़ी। आज मुकाबले का समाजवादी शिविर बन जायगा। दुनिया तो बहुत बदल गई है। बहुत से देश विकसित हो गए हैं जिन्होंने तीसरी दुनिया बना ली है। आज जो हिन्दुस्तान में समाजवाद का दम भरने वाले देश में जो शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है, वह हमें कहां ले जायगी? यह कितनी शोचनीय बात है। समाजवाद की बात कर रहे हैं लेकिन समाजवाद लेनिन से नहीं पढ़ेंगे। इकोनोमिक्स किसी दूसरे समाजवादी विचारक से नहीं पढ़ेंगे। मैं यह नहीं कहता कि उनको निकाल दें, साम्राज्यवाद को उनके जरिए से पढ़े, पूंजीवाद को उनके जरिए से पढ़े और समाजवादी विचार को समाजवादी विचारकों के जरिए से पढ़े तो संतुलित विकास और संतुलित अध्ययन होगा। फिर शोध कार्यों में एक बहुत बड़ा स्कोप है। सारी दुनिया आज इतनी नजदीक आ गयी है और बड़ी-बड़ी समस्याओं को खोजने के लिए, जैसे नए आजाद देशों की समस्या, उसके अन्दर विकास की समस्या, हमारे उनके रिश्तों की समस्या, हमारी समाजवाद की ओर बढ़ने की जो संभावनायें हैं, उनकी समस्या—इन सबको शोध कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में किया जा सकता है। मैंने जिक्र किया कि हमारे विश्वविद्यालयों में किस तरह की घुसपैठ गहरी और शर्मनाक हो रही है।

एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिससे हमारी आंखें खुल जाएं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर लोक प्रशासन विभाग की काफी प्रशंसा अखबारों में हुई। यह अमेरिकी सहायता से शुरू किया गया। खैर, कहीं से सहायता मिले, लेनी चाहिए और हमने ली, लेकिन इसलिए नहीं कि हम उनकी राष्ट्र-प्रभावी साजिशों को भी स्वीकार कर लें और यह सब हो रहा है। इस विभाग के वर्तमान विभागाध्यक्ष और अवकाश प्राप्त भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे, वह दोनों के दोनों अमेरिकन पैसे से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कहीं से भी ट्रेनिंग हासिल करके आएं। लेकिन काम करो तो देश के लिए करो। क्या कर रहे हैं आप यहां? हमारे यहां उन्होंने एक समझौता किया अलग से अमेरिकन शिक्षाविदों से बिना यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर और सरकार के जाने हुए . . . कुछ रुपए का। पता तब चला उपकुलपति को और सरकार को जबकि वह पैसा विभागाध्यक्ष को, लोक प्रशासन विभाग को मिल गया। अब इसकी बड़ी चर्चा हुई। इसी फरवरी में इंग्लैन्ड के अन्दर एक ब्राइटन शिक्षा संस्थान है, वहां से एक प्रो० डेविस को बुलाया गया। अच्छी बात है, हमारे देश के अन्दर बड़े-बड़े विद्वान आए, अपनी बात सुनाई। लेकिन जब इनको बुलाया गया तो उपकुलपति से पूछा गया। पहले नहीं पूछा गया। हमारी सरकार से पूछा गया कि हम बुलाना चाहते हैं। आप इनको स्वीकार करें और सरकारी तौर पर बुलाने की स्वीकृति दे दें कि सरकारी मेहमान हों। सरकार न नहीं माना। उपकुलपति ने भी स्वीकार नहीं किया। अब पहले से ही निमन्त्रित कर दिए गए थे तो वह आ गए। जब आ गए तो उनको देश की विभिन्न जगहों की सैर करायी गयी और मुख्य शासन के अधिकारियों से उनको मिलाया गया। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात जो हुई वह यह कि लोकप्रशासन विभाग के कुछ शिक्षाविद् और डायरेक्टर में बातचीत हुई तो विभाग के अध्यक्ष महोदय ने डेविस साहब से कहा कि हमारे विचार में हिन्दुस्तान का शासन कुछ दिनों ठेके पर ब्रिटेन को सौंप दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह वार्ता सुनने वाले कौन थे? उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक, अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि यह बात कह नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

कोई भी भारतीय नागरिक शर्म से मर जायगा, उसके मुंह से यह बात नहीं निकल सकती है जैसा कि लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष ने कहा। प्रोफेसर मसलदान और प्रोफेसर जहीर वहां पर थे। शर्म से उनका सिर झुक गया। (व्यवधान) मान्यवर, आज हमारे लोक प्रशासन के अन्दर दो ट्रेनिंग सेन्टर और चल रहे हैं—एक रूरल ट्रेनिंग सेन्टर और एक अरबन ट्रेनिंग सेन्टर। इन दोनों ट्रेनिंग सेन्टर्स को लाखों रुपए की सहायता दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों ट्रेनिंग सेन्टर नहीं आते। लेकिन फिर भी यह सहायता दी जा रही है। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके जरिए हमारे देश की आजादी की जड़ में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में एक शासकीय आदेश का कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह आदेश 27 मार्च का है। इसमें भी लिखा है :—

"मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रशासन विभाग के तत्वावधान में संचालित अरबन एवं रूरल ट्रेनिंग सेन्टरों के लिए प्लान बजट में चतुर्थ योजनाकाल से प्राविधान हो रहा है और अनुदान की स्वीकृति प्लान बजट से क्रमश: नगरपालिका विभाग एवं पंचायत राज विभाग द्वारा दी जा रही है। शिक्षा विभाग का इन सेन्टरों के साथ व अनुदान आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इन सेन्टरों का बजट विश्वविद्यालय के किसी विभाग का बजट नहीं है।"

तो यह सब फ्राड है जिसके जरिए लाखों रुपए लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष और उनके थैले के चट्टे-बट्टे डकार रहे हैं और इस तरह से हमारी जनता के मेहनत की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

आपातकालीन स्थिति के बाद माननीया प्रधान मन्त्री जी ने एक 20-सूत्रीय कार्य-क्रम रखा जिसमें विद्यार्थियों के सम्बन्ध में उनको कम कीमत पर पुस्तकें दिलवाने, सस्ते रेट पर मेस में भोजन की व्यवस्था आदि करना भी शामिल था। पूरे प्रदेश में इस ओर कहीं कोई शुरुआत नहीं की गयी है। आज वह सब समूचे प्रदेश में एक मखौल बन कर रह गया है। यूनिवर्सिटी के अन्दर आज भी एक विद्यार्थी को एक बार भोजन का डेढ़, पौने दो रुपया देना पड़ता है। क्या यह रेट एक रुपया या अठ्ठारह आने नहीं हो सकता है ? मैं चाहता हूं 20-सूत्रीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों से सम्बन्धित जो बातें कही गयी हैं उनकी ओर माननीय शिक्षा मन्त्री जी का विशेष ध्यान जाना चाहिए।

इसके साथ ही एक और समस्या की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। तिब्बिया कालेज और आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। उत्तर प्रदेश में कई इसके कालेज हैं—एक भारतीय कालेज, जौनपुर में है, एक गोविन्दनगर आयुर्वेदिक कालेज, पन्तनगर का है, एक आजमगढ़ में है, कानपुर में भी है। (व्यवधान) इसका सम्बन्ध शिक्षा विभाग से भी है इसलिए कह रहा हूं।

एक सदस्य—

चिकित्सा वाले अनुदानों पर कहना चाहिए था।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

पहले सरकार ने यह फैसला किया था भारतीय चिकित्सा पद्धति के जरिये इन छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान करने का निश्चय किया गया था। किन्तु कुछ समय बाद सरकार ने कानून द्वारा वह अधिकार छीन लिया। कानपुर यूनिवर्सिटी से इनको सम्बद्ध कर दिया। उसकी कोई सूचना लड़कों को नहीं दी गयी। लड़कों ने अपना एडमीशन भी ले लिया। उसके बाद 20 अगस्त, 1975 को गजट हुआ। उसके बाद 27 मार्च, 1976 को विद्यार्थियों को सूचना दी गयी। तब तक उनकी भर्तियां हो चुकी थीं। अब 436 लड़कों के सामने समस्या यह है कि वे कहां जायें ? अत: मेरा निवेदन है कि सरकार उनकी समस्या पर विचार करे और इन विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ न किया जाय।

[जगदीश नरायन त्रिपाठी]

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा से ले कर यूनिवर्सिटी की शिक्षा तक पूरी शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन की जरूरत है। एक-एक अंग पर विचार करके कोई योजना बनायी जाय। शिक्षा को पुनर्गठित किया जाय। जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है वह पूरा हो ऐसी शिक्षा नीति हो। मान्यवर, जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य था—समता जनवाद, धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद आज हमारे बहुत से माननीय मित्र समाजवाद के नाम पर हंस रहे हैं। समाजवाद जिनकी रचना, जिसका निर्माण हमें अपने देश में करना है, सरकार ने एलान किया है सारे देश का यह युगधर्म हो गया है फिर इसमें हिचकिचाहट और शर्मनाक बात क्या है। अगर हम इस देश में आजादी की रक्षा करना चाहते हैं, इस देश के अन्दर जनवाद को मजबूत करना चाहते हैं, धर्मनिर्पेक्षता को दृढ़ और मजबूत करना चाहते हैं और समाजवाद की रचना करना चाहते हैं तो इस शिक्षा पद्धति के इस अंग को पुनर्निर्मित करना पड़ेगा, यह राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव को माननीय सदन स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष :—

माननीय भगवती प्रसाद जी, कल भी आपने कहा था कि हमारा कटौती का प्रस्ताव है और आज भी आपके नाम है। आमतौर पर एक कटौती का प्रस्ताव रख दिया जाता है तो मान लिया जाता और सबकी तरफ से वह रखा हुआ माना जाता है। लेकिन अगर आप चाहते तो रख दीजिए या उठ कर बोलें।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शिक्षा का सम्बन्ध समाज के नव-निर्माण और राष्ट्र के विकास से है। अगर देखा जाय तो हिन्दुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है, उसके अन्दर 28 साल स्वराज्य होने के बाद और इसके पहले अंग्रेजी जमाने से भी उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है। आज जब हम समाज के विकास की तरफ जाना चाहते हैं, जब राष्ट्र के नव-निर्माण की तरफ जाना चाहते हैं तब हम इस शिक्षा पद्धति में इतनी असमानता पाते हैं, इतना अन्तर पाते हैं कि हम देखने में विकासशील हैं, आज देखने में राष्ट्र का नव-निर्माण हो रहा है। मगर अगर उस पर सोचा जाय तो दुनिया के समाजवादी मुल्कों में और दुनिया के कई मुल्कों में जिनके आधार पर जहां कि पश्चात्य मुल्कों की शिक्षा है, हम बहशियाना समाज में जा रहे हैं, जिस समाज के अन्दर इन्सान-इन्सान नहीं बन सकता है, बल्कि वह जंगली अवस्था में कहा जाता है।

(इस समय बजकर मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, पीठासीन हुए।)

यह सही है कि शिक्षा में हमने तरक्की की है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन अगर कुछ मुल्कों को भी देखा जाय तो हिन्दुस्तान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है और वहां की जो हालत है, चाहे बेकारी को ले लें या चाहे वहां के लोग उद्योग को ले लें, चाहे वहां की सरमायेदारी को ले लें, हम जमीन आसमान का अन्तर पाते हैं। शिक्षा प्रणाली को हिन्दुस्तान में है, आज गांव समाज को देखें और दूसरी तरफ शहर के नागरिकों को देखें—दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। शिक्षा का वह भाग, शिक्षा की वह लाइन, शिक्षा का वह खंड, शिक्षा का वह आधार गांवों में नहीं पहुंचा है, शहरों में पहुंचा है। जहां बड़े-बड़े आई० सी० एस० अफसर रहते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं इस समाज के नव-निर्माण के ठेकेदार जो आज शहरों में रहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अन्तर आज पैदा हो रहा है। आज यह कहना कि नगरों के शिक्षित लोग, नव-निर्माण कर्ता, राष्ट्रीय लोगों में समता ला रहे हैं, गलत है।

मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आप डाक्टर को ले लीजिए। गांवों में जो डाक्टर भेजते हैं वह गांवों से आकर शहरों में शिक्षित होता है और उसी को फिर गांवों में भेज दिया जाता है। इसी आधार पर यहां पर सचिवालय के सचिवों के लड़के जब डाक्टर होकर निकलते हैं तो वह शहरों में जाते हैं। लेकिन यही लोग जिनको समाज का हित करने वाला कहा जाता है असल में समाज को बहशियाना समाज की ओर ले जाते हैं। आज जो शिक्षा दी जा रही है वह नव निर्माण के लिए, राष्ट्रीय निर्माण के लिए उचित नहीं है। जो तौर तरीके हैं वह ठीक नहीं हैं। हम उनको वेतन देते हैं, सरकार सभी इखराजात उनको देती है, उनको मकान देती है, लेकिन जो आदमी गांवों में जाता है उसको इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

माननीय सदस्य शिक्षा पर बोल रहे हैं या स्वास्थ्य पर।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी भूमिका बता रहे हैं। (हंसी)

श्री भगवती प्रसाद—

अब मेडिकल कालेजों में जो शिक्षा-विद् निर्माण करते हैं, डाक्टर जो वहां से निकलते हैं वह उस समाज का निर्माण करते हैं जिसमें कोई नियम नहीं था। वह घर में, अपने प्राइवेट रूम में, अपनी प्राइवेट डिस्पेन्सरी में बैठकर अधिक से अधिक पैसा लेते हैं और मेडिकल कालेज में एडमीशन देते हैं, तो पैसा लेकर देते हैं। माननीय मन्त्री जो इसकी मजाक बना रहे हैं लेकिन यह मजाक नहीं है। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

मजाक नहीं बना रहें। मन्त्री जी का यह ख्याल है कि यह जो बहस हो रही है, वह शिक्षा पर हो रही है।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं स्वास्थ्य पर नहीं बोल रहा हूं। कल तो आपने मौका ही नहीं दिया। मैं शिक्षा में जो असमानता है उस पर बोल रहा हूं। शिक्षा में कितनी बड़ी असमानता है और हम भूले हुए हैं कि शिक्षा की तरक्की हो रही है। असल में शिक्षा का जो मौजूदा तरीका है, जिस तौर तरीके से शिक्षा दी जा रही है उससे इस देश और प्रदेश में एक नए समाज का बहशियाना समाज का, निर्माण हो रहा है। आप बेकारों को बनाकर बाहर भेजते हैं। जिनको हम शिक्षित कहते हैं, जिनको नव निर्माणकर्ता कहते हैं वह आज बहशियाने समाज की रचना कर आसमान पर जा रहे हैं। चाहे कृषि के शिक्षा-विद हों, निर्माण के शिक्षा-विद हों, स्वास्थ्य के शिक्षा-विद हों, चाहे वह अमरीका से शिक्षा पाकर आए हों या कनाडा से शिक्षा पाकर यहां आते हैं, इस देश में वह लोग ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं जिससे समाज में नव-निर्माण और राष्ट्रीय उत्थान नहीं होता है। बल्कि राष्ट्र को अराजकता की राह पर ले जा रहे हैं। आज शिक्षा पाने वालों ने असमानता पैदा की है और समाज को दो टुकड़ों में बांट दिया है। समाज को उस हालत में पहुंचा दिया है जिसका सुधरना मुश्किल है। जो लोग आज शिक्षाविद और नव निर्माणकर्ता कहे जाते हैं, वह न तो चैतन्य हैं और न जागरूक हैं।

हमारे शिक्षा मंत्री जी समझदार हैं। चूंकि वह उस कुर्सी पर हैं जहां से उनको देखना और समझना पड़ता है और शिक्षा समाज को उस दिशा में ले जा रही है जहां बहशियाना तौर तरीका है। गांव के लोग जो बड़े मेहनत से अपने बाप की जिन्दगी को बेचकर विद्यालय में पढ़ते हैं और बावजूद उसके उनको ठोकरें खाना पड़ता है। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। यह सरकार हरिजनों और पिछड़े वर्ग जिन्होंने हजारों सालों से राहत नहीं पायी है, उनकी बात करती है। मैं मन्त्री जी का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं कि बारबार इसी सदन

[श्री भगवती प्रसाद]

में राष्ट्रीयकरण की बात उठी। लेकिन आपने किन भावनाओं के तहत राष्ट्रीयकरण की बात को टाला। दूसरी तरफ आप कमजोर वर्ग के शिक्षा के जरिए उत्थान की बात करते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में या उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी ऐसी शिक्षा संस्थायें नहीं हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं, इस सदन के सदस्यों के हाथों में हैं या इजारेदारों के हाथों में हैं? मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि करीब 10 इन्टर कालेजों में ढूंढ़ा है तो 5 हरिजन मास्टर भी नही हैं। हमारे यहां एक इन्टर कालेज है जो कि डिग्री कालेज होने जा रहा है, वह है सोहैय्या कालेज जिसकी सारी मान्यतायें आपके सामने रखी गयी हैं। वहां 60 अध्यापक हैं। कानपुर से पढ़ा हुआ एक लड़का जो हमारे मुकाबले लड़ा था, उसको रखा गया। सुल्तानपुर में ट्रेनिंग के लिए उसको भेजा गया और उसके बाद रखा गया लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया। वहां के मैनेजर ने कहा कि तुम्हे कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। एम0 ए0 का लड़का जो आज दरदर की ठोकरें खा रहा है।

हमारे यहां आचार्य नरेन्द्र देव इन्टर कालेज में सबसे बड़े विद्वान् वहां के प्रिंसिपल थे लेकिन प्राइवेट कालेजों की व्यवस्था से जो कि समाज के शोषक हैं, उन लोगों ने कुछ गुन्डों से सांठ-गांठ करके गुन्डों ने प्रिंसिपल को हटवा दिया। उसके बाद हाई कोर्ट तक मुकदमा चला और वह बहाल हुए। वह पांडे हैं जिनको घर बैठे सरकार 800 रुपए वेतन दे रही है। वह कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। तो क्या वजह है कि वह बाहर हैं लेकिन सरकार उनको वेतन दे रही है? वह कुर्सी पर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यह शिक्षा के स्तर का नीचे और ऊंचे होने की बात है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी बात को आप ले लें तो वहां की हालत यह है कि हमने देखा और हमारी एक लड़की है जो कि 10 साल की है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाती है तो हम देखते हैं। मैंने कहा कैसा कागज चाहिये। उसने कहा कि बैठने के लिए बरसाती कागज चाहिए। मैंने कहा कि वहां टाट नहीं है? तो उसने कहा टाट नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइमरी स्कूल का कोई मास्टर ऐसा नहीं है, हेड मास्टर ऐसा नहीं है जिसके घर में नया टाट न हो। बच्चा जाता है तो वह अपने घर से टाट-बोरा ले जाता है। यह हालत आज प्राइमरी स्कूलों में है। लेकिन लखनऊ शहर में जहां नर्सरी स्कूल हैं और जहां टाटा बिड़ला के बच्चे, आई0 सी0 एस0, पी0 सी0 एस0 अफसरों के बच्चे, एम0 एल0 ए0 और मन्त्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाकर देखें तो हमारा विधान सभा की साज सज्जा भी मात खा जाय।

मान्यवर, पौष्टिक आहार दिया जाता है। मैं बस स्टैन्ड पर बैठा था तो एक बोरे में से एक मास्टर ने दलिया निकाला। मैंने उससे पूछा कि क्या इसमें शकर भी पड़ेगी? उसने कहा शकर नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार शकर नहीं देती। मान्यवर, यह पौष्टिक आहार देश के गरीब लोगों को, शहर में मूंगफली बेचने वालों को दिया जाना चाहिए जिनको जरूरत है। लेकिन दिया उनको जाता है जो लोग दौलत कमाते हैं, सरकार को लूटते हैं। ऐसे लोग देश का निर्माण नहीं करते बल्कि ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां कि देश आराजकता के कगार पर खड़ा है। छात्रों के लिए आपने बुक बैंक की व्यवस्था की है। 10 लाख रुपया आपने रखा है। लेकिन 10 लाख में कितने छात्रों को देंगे। फिर आपने कहा कि 64 हजार छात्रों को उचित मूल्य पर राशन देंगे। यह भी डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय के लड़कों को देंगे लेकिन देहात के कमजोर वर्ग और वहां के इन्टर कालेज वंचित रहेंगे। आप केवल शहरों में ही सीमित हैं और बड़े धन्नासेठों और अफसरों के दबाव में हैं। आपकी योजनाएं बड़े-बड़े लोगों के लिए हैं न कि गांव की जनता के लिए, जहां से समाज का नव निर्माण हो सकता है और जहां मानव नेचुरली बेईमान नहीं है, समाज को लूटने वाला नहीं है। माननीय मन्त्री जी आप की नीयत है कि आप शिक्षा में तरक्की करना चाहते हैं क्योंकि आप स्वयं विद्वान् हैं, शिक्षा जगत में रह चुके हैं। लेकिन जैसा त्रिपाठी जी ने कहा हमारी शिक्षा साम्प्रदायिकता की ओर जा रही है।

मैं जब जेल में था तो डिग्री कालेज के एक प्रोफेसर भी थे। वह आर0 एस0 एस0 के थे। मैंने कहा कि आप विद्वान् है, डाक्टरेट लिए हैं, आर0 एस0 एस0 में क्यों हैं?

उन्होंने कहा कि समाज का उत्थान तभी होगा जब हम ऐसे लोगों को जो हिन्दुस्तान पर हमला करते आए हैं और हमारी संस्कृति को तबाह किया है उनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन उनको पैरोल पर आपने छोड़ा। उसके बाद भी आपने उनको सर्विस से नहीं निकाला।

मान्यवर, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप फिर से इस पर विचार करें और हमारी कैबिनेट और शिक्षा मन्त्री को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। हर एक प्राइमरी जूनियर और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के अन्दर आज एक भावना प्वाइजन की काम कर रही है। एक आनन्दमार्गी हमारे साथ था। वह बड़ा विद्वान् था और कोई चीज छिपाता नहीं था। उसने मुझे बताया जिससे कि मुझे दुख हुआ कि आपके आई0 सी0एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों में 50 फीसदी तक आनन्दमार्गी और आर0 एस0 एस0 के लोग पाए जाते हैं। इतनी बड़ी तिकड़म उन लोगो ने कर ली है।

हम तो विरोधी पक्ष के हैं। हमारे चौधरी साहब और जनसंघ के नेता विधान सभा में नहीं आ रहे हैं और उन्होंने सदन का बहिष्कार किया है आप इसपर विचार तो करें। मैं एक और बात आपसे कहूंगा, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्थिति है उसको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। आप तो शासक दल की सीटों पर विराजमान हैं और आपको भी नहीं भूलना चाहिए, मैं तो भूल ही नहीं सकता, कि हमको सबसे पहले हिन्दुस्तान की जनता, इस हिन्दुस्तान की सरजमीं पर जो इन्सान गांवों में रहते हैं, उनकी जिन्दगी किस तरह से बीत रही है जिसके पास न कोई शिक्षा जाती है, न उसके पास जीने के साधन हैं और जो हिन्दू समाज के अन्दर भी जो तरीके हैं वे लोगों को शिक्षित नहीं करके दूसरे रास्ते पर ले जाने वाले हैं। वहां एक थानेदार जाता है जो आपकी ही शिक्षा पद्धति से शिक्षित है। ऐसे लोगों को शिक्षा दूसरी तरह की मिलती है और जो कमजोर वर्ग है उसको किसी दूसरी तरह की ही शिक्षा मिलती है।

मान्यवर, आपको इस शिक्षा के तरीके को बदलना पड़ेगा। इतने डिग्री कालेज हैं जिनमें से जो शिक्षित युवक निकलता है उसकी बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं है। उसके लिए कोई काम नहीं है। इस शिक्षा को देकर आप उसको नौकरी नहीं दिला सकते हैं। आज हम बदनाम हो रहे हैं। हमारे कमरों में नौकरी लेने वाले कितने लोग आते हैं। आप इस दिशा से समाज का नव-निर्माण करेंगे ? क्या यह सम्भव है ? आप इस शिक्षा को देकर शिक्षित समाज को फिर गुलामी के जमाने में घसीट लाना चाहते हैं। इस शिक्षा से इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है।

मैं अन्त में आपसे निवेदन करूंगा कि गांव में जो इन्टर कालेज हैं उन पर गौर किया जाय। चकिया में एक कालेज है जिसके मैनेजर लाल बिहारी सिंह हैं। वह जितना पैसा पाते हैं जिला स्तर से उस सबकी शराब पी जाते हैं और एक भी मास्टर को वेतन नहीं मिलता। एक बात मुझे यह ही अन्त में कहनी है कि शिक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, उनको ईमानदारी बरतनी चाहिये। जो जिले का इंस्पेक्टर होता है, वह इतनी दौलत कमाता है जैसे पुलिस विभाग में डी0 आई0 जी0 और इंस्पेक्टर कमाता है। प्राइवेट स्कूलों में मैनेजिंग कमेटी में भी हरिजनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये और उनकी 18—25 प्रतिशत तक उनका एप्वाइन्टमेंट होना चाहिये। शिक्षा के तौर-तरीके में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है उसके प्रति मेरी आस्था है लेकिन पहले छोटी इकाई पर गौर किया जाय, फिर बड़ी इकाई पर गौर किया जाय।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। शिक्षा का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन फिर भी कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं। इस समय जो शिक्षा का कार्य चल रहा है वह अजीब ढंग से चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय जो शिक्षा दी जा रही है, यह गांव के लोगों को गुलाम बनाने के लिये और शहर के लोगों को गांव के लोगों पर हमेशा

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी]

शासन करते रहने के लिये दी जा रही है। आज देश की आजादी को इतने वर्ष हुए हैं। 29 वर्ष हुए हैं लेकिन जो थोड़ा बहुत गांव की तरफ ध्यान दिया जाता था उसे अब भुलाते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी वैसे तो बड़े विद्वान हैं और हमको वह समाजवादी लगते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार गांव के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। आप देखें कि गांव की प्राइमरी शिक्षा पर कितना खर्च होता था और अब कितना हो रहा है? एस0 डी0 आई0 5 वीं कक्षा के सभी परीक्षार्थियों को पास कर देते हैं। यह भी एक भ्रष्टाचार का तरीका है। फिर 8 वीं की परीक्षा जिला विद्यालय इन्स्पेक्टर पहले लेते थे लेकिन अब उस तरीके को खत्म करके स्कूल के मास्टर अपने यहां ले लेंगे। यह परीक्षा इंसपेक्टर के माध्यम से होनी चाहिये लेकिन इसको खतम कर दिया गया है। या तो हमारी सरकार में यह हिम्मत हो कि यह प्राइमरी शिक्षा को हाई स्कूल की शिक्षा मान ले और जहां प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में उनको दसवीं कक्षा तक परिणत कर दे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम समझते हैं कि हम सब गांवों के साथ विश्वासघात करते हैं।

मैं यह भी माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे जानते हैं कि आज जो सरकारी सेवाओं में स्थान हैं उनमें कितने प्रतिशत किस तरह के लोग हैं। आज आई0 ए0 एस0 का लड़का ही आई0 एस0 एस0 होता है, डाक्टर का लड़का डाक्टर होता है और वकील का लड़का वकील ही होता है। इसी फारमूले को मानकर गांव के किसान का लड़का किसान ही होगा और मजदूर का लड़का मजदूर ही होगा। अगर समाजवाद का यही फारमूला है तब तो हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर गांव के किसान का लड़का राष्ट्रपति और ऊंचे से ऊंचे स्थान पर आप रखना चाहते हैं तो इस पद्धति में आपको क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जूनियर हाई स्कूलों की क्या हालत है?

मैं रायबरेली जिले से चुनकर आता हूं जहां कि प्रधान मंत्री के निर्वाचन का क्षेत्र है। वहां से डलमऊ में एक स्कूल है जो कि 20 मील के फासले पर है। इस एरिया में कोई भी जूनियर हाईस्कूल न परिषद् का है और न सरकार का है। कुछ लोगों ने प्राइवेट ढंग से वहां पर स्कूल खोल रखा है। मैं भी दुर्भाग्य से एक स्कूल का मैनेजर हूं। हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यह हम ही जानते हैं। हमारे यहां एक जूनियर हाई स्कूल बरारा बुजुर्ग है, उसका मैं मैनेजर हूं। दो साल से लगातार सरकार को लिखता आ रहा हूं कि हमारे इस स्कूल को मान्यता दी जाय। इसमें तीन सौ बच्चे पढ़ते हैं और 7 मास्टर उसमें हैं, रोड पर वह बना है, अभी तक मान्यता नहीं दी गई। इंदिरा जी का 20सूत्री कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। 3 साल पहले वहां पर शिलान्यास किया गया था, 3 कमरे पक्के बनाये गये लेकिन आज कानून बदल गया है कि 3 कमरों पर जो कि पक्के हैं, उन पर जूनियर हाईस्कूल को मान्यता नहीं मिल सकती है जब कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उसमें कुछ देना लेना नहीं है। जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता छप्परों में तक दी गई है। हमारे मंत्री जी इस बात को जानते होंगे, दस साल पहले ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गई। गांवों के बच्चों की शिक्षा जो है, वह सब अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। माननीय मंत्री जी समाजवादी विचाराधारा के हैं वे ऐसा कानून बनाते हैं जिससे गांव की शिक्षा समाप्त हो जाय। इस गम्भीर बात की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे इसे अच्छी तरह से सोचें। बरारा बुजुर्ग गोविन्दपुर, नरेन्द्रपुर, धूता आदि वहां पर चार-पांच जूनियर हाईस्कूल चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शासन सेवा करने वालों को पुरस्कार न दें। जो भवन बनाये हैं उनको आधा अनुदान दे दें। यदि 20 हजार की इमारतें हैं उसमें 10 हजार ही दे दें तो फिर हम 20 हजार की इमारत बनाकर दे सकते हैं।

इन्स्पेक्टर के दफ्तर में जाइये तो पैसा नहीं मिलता। रायबरेली के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर जो इंसपेक्टर है, 6 महीने तक लोग दौड़ते रहते हैं लेकिन काम नहीं होता है। वहां इंसपेक्टर महोदय को जो मैनेजर गेहूं और घी नहीं पहुंचा सकता उसका वे विरोध करते हैं। मैनेजिंग कमेटी से झगड़ा करते हैं कि हमने कानून बना रखा है।

मैं डलमऊ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने एक ऐसे आदमी को प्रिंसिपल बना दिया है जो उस पद के योग्य नहीं है और फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं। जब इंसपेक्टर से यह बात कही गई तो उन्होंने कह दिया कि मैनेजिंग कमेटी झगड़ा करती है। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो तो इस प्रकार के कर्मचारियों को नहीं रखना चाहिये। आप चाहते हैं मन से कि भ्रष्टाचार समाप्त हो यह मैं जानता हूं लेकिन जो लोग शासन में है वह नहीं होने देते हैं।

बछरावां में एक कालेज है। आप लखनऊ से इलाहाबाद जब जायं तो रायबरेली के बार्डर में यह पड़ता है। जिसके मैनेजर श्री राम शंकर त्रिपाठी हैं उसमें भी इस इन्स्पेक्टर ने झंझट लगा रखा है। तो जो ईमानदार मैनेजर है उनके खिलाफ यह कोई न कोई झंझट लगा देते हैं जो कि उनको गेहूं, घी नहीं देते हैं। एक स्कूल हरचन्दपुर, बछरावां के पास है वहां भी झगड़ा करा दिया है। इस बारे में भी हमारे मंत्री जी को सोचना चाहिये।

मैं तो सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप प्राइमरी स्कूल से चपरासी नहीं बनाना चाहते हैं तो इन प्राइमरी स्कूलों को फौरन 8 वीं कक्षा तक कर दीजिये। आपके पास इस समय शिक्षकों की काफी फौज है। गांवों में लोग बी0 ए0, इन्टर लड़के अच्छे ट्रेंड मिल जायेंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 8 वीं तक की शिक्षा निःशुल्क की जाय। इसी प्रकार जो मान्यता देने का आधार है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई स्कूल उस मापदंड में नहीं आता है तो आप उसे अपने हाथ में ले लीजिये क्योंकि जहां पर तीन सौ और पांच सौ लड़के हों उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैनेजमेन्ट नहीं चला पा रहा है तो आप अपने हाथ में स्कूल को लें और उनको पूरी फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिये। अगर आप यह नहीं कर पायेंगे तो यह सरकार के लिये शर्म की बात है। अगर किसी स्कूल में तीन सौ लड़के हैं या पांच सौ लड़के हैं वहां पर कोई झंझट लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये कि फलां चीज नहीं है, यह नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। इसकी जिम्मेदारी आप पर है।

एक बात और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल खोलने का मापदंड है वह क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि आप सर्वे करायें कि नये स्कूल कहां पर खोलने चाहिये। जो इस बात को देखे कि वहां पर कितनी जनसंख्या है, कितने बच्चे मिल सकते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि कोई एम0 एल0 ए0 ज्यादा जोरदार है तो उसके यहां स्कूल खोल दिया और जो हम जैसा कमजोर आदमी है उसके यहां स्कूल नहीं खोला।

एक बात मैं और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। बेचारे बड़े-बड़े सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, डाक्टरेट करते हैं तब कहीं जाकर डिप्टी डायरेक्टर आदि बनते हैं। लेकिन उनका काम क्या है दफ्तर में बैठकर क्लर्क का काम करते हैं। मुझे आप माफ करें अगर कभी यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर आये वैसे मेरे ऊपर आने वाली नहीं है लेकिन अगर कभी मेरे जैसे लोगों को मौका मिला तो वह एक हाई स्कूल पास क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर का काम करा सकता है क्योंकि उसका इतना पढ़ना लिखना बेकार है न वह गांव में जायेगा, न पाठशाला देखेगा, न वह बेचारा कुछ कर सकता है। इतनी आपने उसके क्लर्की सौंप रखी है। क्लर्की का काम क्लर्क से लिया जाए, लेकिन इतने विद्वानों से यह काम न लिया जाए। उनसे कहिए कि वह गांव-गांव में जाएं, जहां भारतवर्ष बसा है, वहां वह अपनी बुद्धि का उपयोग करे। यदि उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करने का अवसर मिले तो मुझे विश्वास है कि देश और प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। आप मान्यता, दे देते हैं, तो एक तरीका उसका बना लीजिए। सितम्बर या अक्तूबर तक मान्यता दे दीजिए। हर दूसरे-तीसरे महीने जो आप फीस वगैरह का पैसा देते हैं, उसको देते रहें। जिससे आपके 80 या 100

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी]

रुपये पाने वाले जो फर्स्ट क्लास अध्यापक हैं, उनको पैसा मिल सके और समय पर मिलता रहे। थोड़ा बहुत जो भी उन्हें वेतन मिलता है, वह समय पर मिलता रहे। यह कोई कठिन काम नहीं ह। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का दिल से समर्थन तो करता ही हूं, यह कहना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हमारी आत्मा को ठेस लगेगी और इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बजट का समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये, उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं शुरू-शुरू में बधाई देता हूं शिक्षा मंत्री और एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को जो इतना भारी बोझा लेकर वे चल पाते हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है हिन्दुस्तान में—इक्वल टू थ्री स्टेट्स और तब भी वह चल पाते हैं। इसको सोचते हुए मेरा तो खून सूख जाता है और मेरा खून और सूखता है इसको देखते हुए कि अब एक नया कैरिकुलम तैयार हो रहा है। इसको सोचते हुए कि यह कैसे होगा, रुपया कहां से आएगा और क्या होगा, मेरी जान सूख जाती है। फिर भी ये लोग जान रखे हुए हैं, यह बड़ी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को थोड़ा सुझाव भी देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी डिमाण्ड शिक्षा की है। एजूकेशन इज दि बिल्डर आफ बाडी ऐण्ड सोल। शिक्षा के साथ हमारी फेमली प्लानिंग नहीं होगी तो न शिक्षा होगी, न गल्ला रहेगा। इसलिये मेरी राय यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी उस पर सोच लें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स जो हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि सरकार का इरादा है कि इन लोगों को मैनुअल लेबर का एक्सपीरिएंस मिलना चाहिये। इसके लिये वह सोचते हैं कि वह कैनाल खोदे या ऐसा ही अन्य कोई काम करें। इसके स्थान पर मेरा सुझाव है कि उन्हे शार्ट टर्म फर्स्ट एड की शिक्षा दी जाए मेडिकल और हेल्थ की। ये लोग देहात में जाएं और फर्स्ट एड का कार्य वहां शुरू करें और उन लोगों को सिखाएं। इसके लिये लड़के तथा लड़कियों के लिये अलग-अलग टीम बने। गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में यह विद्यार्थी देहात में जाकर सिखाएं। नाट ओनली फर्स्ट एड, फायर सर्विस और फेमली प्लानिंग के बारे में भी सिखाएं कि फेमली प्लानिंग क्या होता है। यह वह करें तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री, मुख्य और प्रधान मंत्री जो कहते हैं, उससे हजार गुना फायदा उन लोगों को होगा। यह लड़के देहातों में मैसेज स्प्रे करेंगे, तो उन लोगों को थोड़ी बुद्धि आएगी।

इतना कहते हुए मैं और आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं, जोकि अब 4,300 हाई स्कूल हैं, उनमें से 2,500 साइंस के है। यह 680 बायलोजी के हैं। तो यह इतना भारी प्रोग्राम है। वह होना मुश्किल हो जायगा 5–6 साल तलक। तो मेरी राय यह है कि जो रूरल एरियाज हैं, प्रत्येक काम बंद कर दो, जितने अर्बन में हैं उसे चलने दो, अर्बन आपके ठीक ढंग से चल रहे हैं, जहां आपको ज्यादा इम्फैसिस देना है, वह रूरल में देना है। रूरल अनएजूकेटेड होता जा रहा है। जब तक आप मासेज एजूकेटेड नहीं करेंगे, तब तक आपका हिन्दुस्तान एजूकेटेड नहीं होगा। तब तक समाजवाद आ नहीं पायेगा। एजूकेशन से सब कुछ आता है। इलिटरेसी से हिन्दुस्तान बरबाद हो जायगा। तो मेरा यह ख्याल है कि आप इम्फैसिस रूरल को दे सकते हैं। वह रूरल में दिया जाय। जितने स्पीकर्स हैं, वह यही कहते हैं, जो रूरल एरियाज से आते हैं। उनके पास बैठने का भी इन्तजाम नहीं है। तो क्या फायदा है? जो आप लाखों, हजारों रुपये एजूकेशन, पढ़ाने में और लाखों बच्चे जो विलेजेज में हैं उनको किसी किस्म की शिक्षा न मिले, तो हमारे दिमाग में यह आ नहीं रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने नेशनालाइजेशन आफ बुक्स कर दिये हैं। पहले क्लास से 8 तक यह हो गया है। परन्तु इसमें हमें डिफिकल्टी पड़ रही है। आप जानते हैं कि क्रिश्चियन्स स्कूल्स 300–250 हैं। सब नेशनालाइज किताबें तो हैं, पर टीचर्स

गाइड बुक्स, टीचर्स रिफरेंस बुक्स एक भी नहीं हैं। जो कालेज से पढ़ कर आते हैं एक साल, दो साल कालेज में रहे, वही इक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं तो 10—20 साल की सर्विस हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, परन्तु नो रिफरेंस बुक्स। अंग्रेजी में गाइड बुक्स हैं। हिन्दी में आपने कुछ नहीं किया। मेरी राय है कि थोड़ा सा रुपया खर्च करके गाइड बुक्स टीचर्स को दीजिए। मुझे आपको थोड़ी सी राय देना है, यह जो नान—फार्मल ड्रापल्स जो हैं, जोकि सीख नहीं पाते हैं, सुपिरियारिटी कम्प्लेक्स हो जाता है, यह ज्यादातर शहरों में है। अब एक स्कूल ले लीजिए। स्कूल के समय के बाद आपको बिल्डिंग मिल जायगी, आपको फर्नीचर मिल जायगा, आपको साइंस की चीजें मिल जायंगी। आपको थोड़े से टीचर्स जो हैं उनको थोड़ा सा आनरेरियम देकर यह कर सकते हैं। 11 से 15 साल के जो बच्चे हैं वह सबसे डेंजर्स साइक्लोजिकल पीरियड होता है। उनको बेसिक शिक्षा जरूरी जरूर पढ़ाना है मोर दैन 15 इयर्स के बाद फेमिली प्लानिंग की हाईजीन जरूर सीखना चाहिये। दूसरे आपने एक बदल दिया है सोशल एजूकेशन। पहले एडल्ट एजूकेशन होता था। अब आपने उसको बदल कर सोशल एजूकेशन कर दिया है। सोशल एजूकेशन 15 और 25 साल के बीच में होता था। यह भी साहब बहुत जरूरी है। जितना रुपया एडल्ट एजूकेशन पर लग सकता है उसको लगाइये। उस पर भी इम्फेसिस दी जाये। वहां पर आबादी यानी पापुलेशन कन्ट्रोल हो जायेगा।

हमें एक थोड़ी बात और कहनी है। आपका हाईस्कूल बोर्ड का नया ऐक्ट आ गया है। हमें उम्मीद है कि आपका हाई स्कूल बोर्ड सोचेगा। आपके कोठारी कमीशन तथा और जो कमीशन हैं उन्होंने कहा है डिवीजन न दो। तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि हाईस्कूल बोर्ड में डिवीजन न देकर ग्रेडिंग दी जाय। लेकिन यहां पर जो पुराने लोग बैठे हैं वह इसको करने नहीं देते हैं वे नई लाइन पर सोच ही नहीं सकते हैं। तो नयी थिंकिंग बहुत जरूरी है। ग्रेडिंग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाय उसको भी सार्टिफिकेट देना चाहिये। आप उनको सार्टीफिकेट नहीं देते हैं जो फेल हो जाते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाये उसको सार्टीफिकेट दे दी जाय लेकिन वह इंटरमीडिएट की कक्षाओं में दाखिल न हो सके। इससे एक प्राफिट यह होगा वह टेक्निकल एजूकेशन में या कामर्स में स्थान पा जायेंगे लेकिन ये लोग इंटरमीडिएट में नहीं जा सकते हैं। तो 50 प्रतिशत लड़के जो हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं वह दोबारा इम्तहान में बैठने से बच जायेंगे। इंटरमीडिएट में भी आप ऐसा ही कीजिये, वह लोग भी इसी तरह से डी0ए0 में दाखिला न ले सकेंगे। इस प्रकार से जो लोग बार-बार परीक्षा में बठते हैं वह नहीं बैठेंगे और किसी अदर प्लेस पर जाकर काम करना प्रारम्भ करना शुरू कर देंगे।

इस बात पर सरकार को थिंक करना चाहिये। यह मेरा सजेशन है। और मैं कहता हूं कि इससे स्थिति ठीक होगी। मेरे भाई साहब ने कटौती के प्रस्ताव को रखा और उनकी बहस को मैंने सुना। वह कह रहे थे कि नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। शायद उनको पता नहीं है नेशनलाइजेशन हो चुका है। आज किसी भी अध्यापक को बिना सेलेक्शन कमेटी के नहीं रखा जा सकता है। मैंने कल या परसों देखा कि एक इन्टरमीडिएट कालेज है, वहां के प्रिन्सिपल को हटा दिया गया। क्योंकि उसका एप्वाइंमेंट सेलेक्शन कमेटी के खिलाफ हुआ था। तो यह नेशनलाइजेशन तो क्रिश्चियन स्कूल में भी हो गया है। आर्टिकिल 30 में हम नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे यहां तो पहले ही हो गया है। हम हुक्म के पाबन्द रहते हैं। अब तो केवल ढोल बजाना है। सरकार ने अन्दर-अन्दर से कर दिया है। अगर कोई अन्धा हो भले ही वह न देख सके लेकिन जिनकी आंखों में रोशनी है, वे तो देख सकेंगे।

यहां पर इतिहास के बारे में कहा गया कि हिस्ट्री में लिखा है कि कुछ थोड़े से मुसलमानों ने भारत पर हमला किया और आये, इसी प्रकार से कुछ अंग्रेज यहां आये।

[श्री ए० सी० ग्राइस]

अगर हिस्ट्री रखनी है तो ये बातें तो अवश्य आयेंगी। कम्युनिज्म में बन्द करना हो तो ठीक है लेकिन हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगी।

पेन्शन के बारे में भी यहां पर कहा गया कि बहुत दिन के बाद मिलती है। यह बात सही है और जब मिलती भी है तो डी० आई० ओ० किसी न किसी बहाने से 6 महीने तक देते हैं और फिर 6 महीने तक नहीं देते हैं। एक श्री एच० एन० डेविड हैं, वे बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा 25 और लोग भी हैं जिन्हें पेंशन सेंक्शन भी हो गई लेकिन फिर भी डी० आई० ओ० ने उन्हें रोक दिया। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इसके लिये कुछ न कुछ इलाज करे। दूसरे जो पेंशन मिलती भी है, वह इतनी कम होती है कि उसके खाने के लिये भी पर्याप्त नहीं हो पाती है। आखिर वे भी अन्य लोगों के समान सरकार को अपनी जिन्दगी देते हैं उन्हें भी जीने का अधिकार है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के मद के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने सदन का बहुत समय लिया।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं कुछ बात सम्बद्ध एवं शैक्षिक विश्वविद्यालयों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ?

कुंवर श्रीपाल सिंह—

आप मुझे बता दें कि कितना समय देंगे, मैं उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लूंगा।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, इस विषय पर आप कब तक बहस चलाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर अंतिम बहस 5 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये। इसके पहले मंत्री जी को उत्तर देना है और कटौती मूव करने वाले के लिये भी समय चाहिये। इसलिये इसमें आप करीब 4 बजे तक बोल सकते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, इन दो विश्वविद्यालयों से शुरू करना चाहता हूं। आजकल हमारे यहां जो विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबद्ध बहुत से महाविद्यालय हैं। जो शिक्षा विश्वविद्यालय हैं जहां पढ़ाई होती है और संबद्ध महाविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में एक बड़ा भारी झंझट यह पड़ जाता है कि उनके आंतरिक झगड़े इतने अधिक हैं कि वे उसी में उलझे रह जाते हैं। और परिणाम भोगना पड़ता है उन महाविद्यालयों को जो उनसे संबद्ध हैं। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में केवल 32 लड़के ऐसे थे जो चाहते थे कि इम्तहान न दिये जायं और उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों में 7 लाख लड़के ऐसे थे जो चाहते थे कि इम्तहान हम दें। लेकिन उन 32 लड़कों ने वाइसचांसलर को घेर कर कुर्सी पर धूप में 5 घंटे खड़ा किया। कभी रजिस्ट्रार के दफ्तर को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने तमाशा खड़ा किया कि 32 लड़कों ने 7 लाख लड़कों के इम्तहान को रोक दिया। तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया ऐसा करें कि संबद्ध विश्वविद्यालयों को ही महाविद्यालय को सौंप दें और पढ़ाने वाले शिक्षा विश्वविद्यालयों को अफिलिएशन न दिया जाय, यानी वह अपने अन्दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी महाविद्यालय को न रखें। क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत बोझा बढ़ गया है। अवध विश्वविद्यालय खुल जाने से थोड़ा बीच का हिस्सा उसमें गया लेकिन पूर्वांचल का हिस्सा उन्हीं में पड़ा हुआ है और दशा यह है कि एक चिट्ठी भेजिये तो 20 रिमाईंडर्स भेजने पड़ेंगे। और उसके बाद भी उत्तर नहीं आयेगा, आदमी भेजना पड़ेगा। आदमी भी तीन चार बार और तब मालूम होगा कि आपकी फाइल गायब हो गयी। ओरिजिनल फाइल ले आइये। जब उसको ले जायंगे तो किसी तरीके से निर्णय होगा। आज ही देख लें कि इम्तहानों की क्या हालत हो रही है? 3 शिफ्ट करके इम्तहान ले रहे हैं, कोई चीज उनकी अपने निर्णय पर सही नहीं है। तो पूर्वांचल के नाम से एक अफिलिएशन वाली यूनिवर्सिटी, संबद्धक विश्वविद्यालय, काशी में खोल दिया जाय और उसके तहत जो जिले पड़ते हैं उधर पूरब के उनके महाविद्यालय उसमें लगा दिये जायं तो उससे इन महाविद्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ जायगी और काम भी सुचारू से चलने लगेगा।

एक चीज और निवेदन करूंगा। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि आपात स्थिति के लागू होने के बाद शिक्षा जो कुंठित होती जा रही थी, उसमें कुछ प्रगति आयी है। बिलकुल सही बात कही है। वह प्रगति आयी थी। आपात् स्थिति ने ने उन अवांछनीय तत्वों को रोका जो विश्वविद्यालय में केवल इसीलिए रुके रहते हैं कि कुछ गड़बड़ करें। ऐसे-ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो 17-17, 18-18 वर्ष तक उसी विश्व-विद्यालय में बने रहते हैं, किसी न किसी तरीके से वहीं रहेंगे, क्योंकि उनके हाथ में यूनियन का पैसा आता है। 40-50 हजार का उनका बजट होता है और उस रुपए को खर्च करने का अधिकार एकमात्र यूनियन प्रेसीडेन्ट के हाथ मेंरहता है। तो 40—50 हजार की रियासत एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत काफी है। इसको दूर करने का तरीका है और वह यह कि यूनियन वाले सिस्टम को सरकार कानूनन खत्म कर दे।

और उसके लिए सब से बड़ा तर्क यह है कि हमारे देश में संसदीय पद्धति है। तो अगर संसदीय पद्धति की ट्रेनिंग वहां से देना नहीं शुरू करेंगे, वहां दूसरी ट्रेनिंग हो और बाद में दूसरे प्रकार के राजनेता हो कर आयेंगे तो वह ठीक नहीं रहता है। यूनियन के स्थान पर वहां संसद हो और उस संसद के प्रेसीडेंट, विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर या महाविद्यालय के प्राचार्य हों। इन संसदों के सदस्य चुनाव में न हों बल्कि हर क्लास का जो सबसे तेज लड़का हो वह उसका सदस्य हो और सदस्य लोग एक मन्त्रि-मन्डल चुन लें और मन्त्री लोग प्रेसीडेन्ट को उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के इन्तजाम में अपनी राय दिया करें। इस तरह से जब चुनाव वाला वातावरण खत्म हो जायगा तो वहां पढ़ने का वातावरण बनेगा और साथ ही चूंकि हर क्लास का तेज लड़का सदस्य हुआ करेगा तो पढ़ने की भी होड़ लगा करेगी। लड़के भी समझेंगे कि हम हुल्लड़ करके नहीं आ सकते हैं, पढ़ कर ही आ सकते हैं।

एक छोटा-मोटा महाविद्यालय मैं भी चलाता हूं और उसमें मैंने इस प्रथा का अनुभव कर के देखा है। अपने मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, भगवान की कृपा से इमरजेन्सी लागू होने के पहले और उसके बाद की स्थिति में मेरे महाविद्यालय में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। इसका एक मात्र कारण मेरी समझ में यह आया कि वहां यूनियन वाला झगड़ा मैंने नहीं पैदा होने दिया। उनका मार्गदर्शन दूसरे ढंग से किया गया इसलिए उनके विचार कांस्ट्रक्टिव हुए, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सके।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक चीज और बड़ी गड़बड़ चल रही है। उनके जितने नियम हैं जिनके आधार पर वह नए विषयों को देते हैं। हम चाहें उन सारे नियमों को पूरा कर दें फिर भी हमें नया विषय नहीं मिलता है। मैं अपने यहां की बात जानता हूं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने के लिए एप्लायी कर रखा है और जो उसकी 15 हजार

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

रुपए फीस होती है वह भी जमा कर रखी है, अन्य जरूरतों को भी पूरा कर लिया है, बिल्डिंग भी बनवा ली है, मगर अभी तक वह पैनल नियुक्त नहीं हो पाया है। जिसे देखने के लिए आना था और अभी तक मुझे उसकी परमीशन नहीं मिली है।

गांव में अगर शिक्षा का प्रसार करना है तो इन कालेजों को शहरों की यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ देने में काम नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संस्थायें इस योग्य हैं कि वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चला सकती हैं, उनको उसकी आज्ञा मिलना चाहिए। आप उसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया बना लीजिए और उसके अन्तर्गत जब वे आ जाएं तो आप उसकी आज्ञा प्रदान कर दें। वरना अगर शिक्षा पर सीलिंग आप लगायेंगे तो देश की बुद्धि ही सील हो जाएगी। पास ही में अवध विश्वविद्यालय भी है जिसने ऐसी संस्थाओं तक को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की इजाजत दे रखी है, जिन्होंने आवश्यक जरूरतों को पूरा तक नहीं किया है। केवल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही पता नहीं क्यों ऐसा प्रतिबन्ध लगा रखा है कि वे इसकी आज्ञा देने को तैयार नहीं होते। पहले कापियां जांचने के लिए कुछ पैसा दिया जाता था। मगर अब वह बन्द कर दिया गया था। पैसा मिलने से वे लोग समझते थे कि वे बेगार नहीं कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन की फीस भी लड़कों से लेते हैं। तो फिर कापियां जांचने के लिए पैसा क्यों देना बन्द कर दिया गया? अब होता क्या है? कापियों के बंडल जब पहुंचते हैं तो वे कापियों में एक निशान इधर लगाया, एक उधर लगाया, उल्टी-पल्टी और बिना पढ़े नम्बर दे दिए। इससे एफीशिएन्सी पर भी असर पड़ा है। इससे हुआ यह है कि जो अच्छा लड़का होता है, जिसे फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए वह थर्ड पा जाता है और जो बुद्धू लड़का होता है वह फर्स्ट क्लास पा जाता है। अपने ही महाविद्यालय में मेरे यहां अभी जीव विज्ञान के लिए एक साक्षात्कार में एक विद्यार्थी आया जो 4 फर्स्ट क्लास लिए था। मगर उससे जितने भी प्रश्न किए गए एक का भी वह उत्तर नहीं दे पाया। जो एक्सपर्ट्स साक्षात्कार ले रहे थे वे भी अचम्भे में पड़ गए कि क्या बात है। यह 4 फर्स्ट क्लास रखता है और एक का भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नम्बर सही नहीं दिए जाते।

श्री रामायण राय--

जब उसने 4 फर्स्ट क्लास ली होंगी उस समय तो कापियां जांचने के लिए पुरस्कार देने की प्रथा थी, बन्द तो अब किया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

जब उनको पारिश्रमिक दिया जाता था उस समय तो उनकी यह दशा थी कि 4 फर्स्ट क्लास होने पर भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इस तरह से उनकी कापीज जांची गयी थीं। और जब वे पारिश्रमिक नहीं पायेंगे, बेगारी करेंगे तब तो और भी गड़बड़ी करेंगे। मैं भी बेगारी वाले जमाने का ही हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि बेगारी की खेती कैसी होती है। बेगारी जब होती थी तो मजदूरी उतनी ही होती थी जितनी मजदूरी आमतौर से मिलती थी मगर खेती उसकी ऐसी होती थी कि तीन-तीन हाथ में एक-एक पेड़ होते थे। अब यह स्थिति है कि कापीज देखने के लिए टीचर को पैसा नहीं मिलता है और अगर कहीं डेमरेज पड़ गया स्टेशन पर तो उसका पैसा उसे ही देना पड़ता है और यदि कापीज भेजनी हुई तो उसका पोस्टेज भी उन्हीं को देना पड़ता है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आप मुझे समय बतला दें ताकि उसी दायरे में बोलूं। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं आपका कृतज्ञ हूंगा यदि आप मुझे समय बतला दें कि कितने मिनट मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष--

शीघ्रता करें।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

यह तो डेमोक्रेटिक भाषा हो गयी। शीघ्रता के माने बहुत कुछ हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

4-5 मिनट में खत्म करें।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

बहुत अच्छा। चूंकि 4-5 मिनट का ही समय है इसलिए अब मैं अपने क्षेत्र पर आता हूं। बकिया जो चीजे हैं वे होंगी तो होंगी। अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनको मान्यता देनी है और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनको आपकी तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। एक स्कूल हमारे यहां एक साधु जजीरा बाबा का है जिसका नाम जजीर बाबा जूनियर हाई स्कूल, नरहरपुर है। आप समझ लें कि उस साधु ने किस तरह से उस स्कूल को बना रखा है। उसमें 8-10 कमरे हैं, पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उन सबको वह तनख्वाह भी कायदे से देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो उन साधु के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनको अवश्य सहायता दी जाय।

हमारे यहां एक और प्राइमरी स्कूल है जिसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे ही कालेज का पढ़ा हुआ एक लड़का आज कल जाम्बिया में है। वह वहां प्राइमरी स्कूल में टीचर है। अभी आया था तो उससे मेरी बातचीत हुई। उसने बतलाया कि उसकी तनख्वाह 8 हजार रुपए माहवार है। उसके पास मोटर है और उसके परिवार के रहने के लिए फ्री मकान है तथा घर आने के लिए हर तीसरे साल 50 हजार रुपए किराए के मिलते हैं। जाम्बिया जो अफ्रीका का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है वहां एजूकेशन प्राइमरी से लेकर अन्त तक फ्री है। किसी लड़के को कुछ नहीं देना पड़ता है? तो जो इतना बैकवर्ड है जिसको हम पिछड़ा हुआ देश कहते हैं, यदि वह ऐसा कर सकता है तो मेरा निवेदन है कि आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने टीचरों को 8 हजार रुपया माहवार दें, लेकिन इतनी तनख्वाह तो जरूर दीजिए ताकि बेचारें अध्यापकों को अपने काम करने में थोड़ी रुचि हो। भले ही उनको उन स्कूलो में रखें जो उनके घरों से दूर हों ताकि वे स्कूल से घर न आ सकें लेकिन उनको तनख्वाह पूरी मिले ताकि वे पढ़ाने में पूरी रुचि ले सकें।

मुझे अपने बचपन की याद है कि जब हम पढ़ते थे तब भी प्राइमरी स्कूलों में टाट-पट्टी और तख्ती हुआ करती थी और हमलोग तमाम बदन में धूल व कालिख लगाए रहते थे। एक लड़का था जो गोइता कहा जाता था उसको खा जाया करता था। तो इस किस्म के लोग थे मगर पढ़ाई जो उस वक्त की थी आज के मुकाबले अच्छी थी। उस समय का दर्जा 4 पास कोई आदमी आज के बी0 ए0 पास को पढ़ा सकता है। इसका एक मात्र कारण यह था कि गुरू लोग नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाते थे और न वह यह समझते थे कि हम नौकरी कर रहे हैं। उनमें नौकरी करने की भावना नहीं थी, इसलिए वह रुचि से पढ़ाते थे। लेकिन आज वह तभी हो पाएगा जब आप उनको इतना पैसा दें कि वह अपने लिए कुछ कर सकें। उनकी दशा सुधारना आवश्यक है।

एक चीज और निवेदन कर दूं। आपके जो इन्टरकालेजेज के अध्यापक हैं और जो डिग्री कालेज के अध्यापक हैं, उनकी तनख्वाहों में बड़ा अन्तर हो गया है। इस अन्तर को भी थोड़ा कम करने का प्रयास करें। कहने को तो बहुत बातें हैं लेकिन समय कम था इसलिए इतनी बातें कह कर समाप्त करता हू। जो कुछ बातें और करनी होंगी उसको मैं आकर निवेदन कर जाऊंगा।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं खड़ा हुआ हूं इस बजट का समर्थन करने के लिये इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कहा गया कि शिक्षा का महत्व इस देश के निर्माण में बहुत अधिक है। इसके स्तर और इसकी व्यवस्था में सुधार की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जहां तक हमारे प्रदेश का प्रश्न है और इसकी आवश्यकताओं का प्रश्न है, यह याद रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा प्रदेश और इस प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है तो कुछ न कुछ कमियां रह जायेंगी। लेकिन देखना यह होगा कि उन कमियों को दूर करने की दिशा में कितने कदम उठाए गए हैं? और मैं निःसंकोच कहना चाहता हूं कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, इस बात से सहमत होंगे कि इस अल्प समय में कितने क्रांतिकारी सुधार शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने में किए गए हैं. उनकी जितनी भी सराहना की जाय वह कम है और इसके लिए हमारे माननीय मन्त्री महोदय विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि जब से उन्होंने शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण किया है, अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं जिनको एतिहासिक कहा जा सकता है। (मेजों को थपथपाने की अवाज) और प्रदेश का अध्यापक वर्ग, प्रदेश के छात्र और शिक्षा संस्थाओं का संचालन करने वाले इन कदमों को सदैव याद रखेंगे ; तो यहां केवल आलोचना के लिए आलोचना करना मुनासिब नहीं है ।

इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसी हालत शिक्षा की खराब थी उससे सब परेशान थे। सब जानते हैं कि परीक्षायें समय पर नहीं होती थी और परीक्षाफल भी समय पर घोषित नहीं होता था और छात्रों में और विद्यालयों में जो असन्तोष था, जो वातावरण था उससे ऐसा लगता था कि प्रदेश का भविष्य अधंकार में है। तो इस मौके पर जो कदम उठाए गए हैं उसके लिए हमारे माननीय मन्त्री जी और उनके अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। कई वर्षों के बाद यह पहला शैक्षिक वर्ष हुआ है जिसमें सारे के सारे इम्तहान चाहे वह यूनीवर्सिटी के हों या हाई स्कूल के हों, समय पर शान्तिपूर्ण तरीके से समाप्त हुए हैं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर प्रवेश का शिक्षा विभाग गर्व कर सकता है।

हमारे माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि पिछले वर्ष जब परीक्षायें हुआ करती थीं तो पुलिस की विशेष मदद की आवश्यकता पड़ती थी और बिना पुलसि की मदद के परीक्षायें ठीक तरह से नहीं हो पातीं थीं। शायद यह पहला वर्ष है जब स्थान-स्थान पर परीक्षायें शान्तिपूर्वक हुयी हैं और पुलिस की सहायता नहीं लेनी पड़ी है। जहां पर पुलिस की सहायता लेनी पड़ी है तो केवल इसलिए कि वहां पर जो बाहर के असामाजिक तत्व मौजूद थे वह कोई गड़बड़ी न कर पायें, इसलिए पुलिस की सहायता ली गयी है।

इसमें भी कोई शक नहीं कि आज 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कई कार्य किए हैं जैसे बुक बैंक की स्थापना। इससे निर्धन वर्ग के छात्रों को लाभ होगा। एक बड़ी समस्या थी कि एक्सरसाइज बुक्स सस्ते मूल्यों पर नहीं मिल रही थीं। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों को कम कीमत पर वह मिलने लगीं। तो इनकी भी माननीय मन्त्री जी की सराहना होनी चाहिए।

श्रीमन्, हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के लिए कहा गया कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि निजी संस्थायें जो हैं, वह व्यापारिक केन्द्र बनी हैं। उनकी भावना प्रदेश में अच्छे शिक्षा के प्रसार की न होकर अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति है। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि उनके राष्ट्रीयकरण में कितने साधनों की आवश्यकता है। मुझे मालूम हुआ है कि 423 करोड़ रुपए की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी धनराशि इस गरीब प्रदेश के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुटाना मुश्किल होगा। इसलिए विकल्प यह है कि इन प्राइवेट संस्थाओं पर राज्य सरकार का इतना जबरदस्त अंकुश हो जाय कि राष्ट्रीयकरण की मंशा पूरी हो जाय। इस दिशा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और शिक्षा विभाग ने जो कार्य किए हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। इस जबरदस्त अंकुश से गड़बड़ी करने में अब मुश्किल होगी।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि ब्यायज फन्ड में बड़ी गड़बड़ी होती है इसलिए मैनेजमेंट पर अंकुश होना चाहिए। शिक्षा मन्त्री जी बड़े कुशल, समझदार और कर्मठ युवक हैं। आज इनको पार्टी की बैठक में एक माननीय सदस्य ने यह भी कह दिया कि इसके साथ-साथ मन्त्री जी बड़े खूबसूरत भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं इसलिए उनके आधार पर उनको खूबसूरत भी कहा जा सकता है। मेरा एक यह भी निवेदन है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को प्रमाण-पत्र मिलने में विलम्ब होता है इसलिए मन्त्री जी ऐसा प्रयास करें कि छात्रों को जल्दी ही सर्टीफिकेट मिल जाया करें।

मान्यवर, आज डिग्री शिक्षा में क्वान्टिटी बढ़ी है और अब सरकार की नीति है कि उसकी क्वालिटी में सुधार किया जाय। बहुत से ऐसे क्षेत्र पिछड़े हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अपने फर्रुखाबाद जिले में 9 डिग्री कालेज हैं। लेकिन कई वर्ष से निरन्तर प्रयास हो रहा है कि एक संस्था में बी0 एड0 की अनुमति मिल जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो डिग्री लेकर छात्र निकलते हैं उनको वहां बी0एड0 करने की सुविधा हो जाय इसलिए माननीय मन्त्री जी इस कार्य को करने का कष्ट करें।

श्रीमन्, बेसिक शिक्षा की अहमियत बहुत है। लेकिन जब तक इसका सुधार नहीं होगा तब तक राष्ट्र के नवनिर्माण में बाधा पड़ेगी। इसके लिए जबरदस्त प्रयास के बावजूद बेसिक शिक्षा में उससे सुधार नहीं हो पाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा की जो मांग होती है कि उसे जिला परिषद् को दे दिया जाय। उस सम्बन्ध में विभाग कोई ऐसी व्यवस्था निकाले जिससे बेसिक शिक्षा की ठीक से देख-रेख हो सके लेकिन जिला परिषद् को स्थानान्तरित न करें क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि जब जिला परिषद् के हाथ में बेसिक शिक्षा थी तो बड़ी गड़बड़ियां थीं और मास्टर लोग राजनीति में ही पड़े रहते थे।

मैं एक और निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी बड़े गतिशील हैं। बेसिक शिक्षा में कार्यरत जो अध्यापक रिटायर हो जाते हैं तो उनको जो भी पेन्शन मिलनी है उसमें बड़ा विलम्ब हो जाता है और यहां तक होता है कि बहुत से बेचारे मर जाते हैं और पैसा नहीं मिलता। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि एक निश्चित समय के अन्दर उनको पेन्शन और भविष्य निधि का पैसा मिल जाय।

माननीय मन्त्री जी ने एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया और आर0 एस0 एस0 द्वारा संचालित शिशु मन्दिरों को अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन आज भी ऐसी संस्थायें चल रही हैं जो आर0 एस0 एस0 के कार्यकर्ताओं और विघटनकारी तत्वों द्वारा संचालित हैं। इन संस्थाओं द्वारा राष्ट्र विरोधी पर्चे बांटे जाते हैं। पुलिस ने छापे मार कर पकड़ा भी है। हमारे यहां मूसा खिरिया में भी पकड़े गये। इसलिए ऐसी संस्थायें जो शिक्षा कार्य न करके विघटन कारी कार्य कर रही हैं, उनको भी सरकार को ले लेना चाहिए। आपका एडल्ट एजूकेशन का जो प्रोग्राम है, वह बिल्कुल बेकार सिद्ध हो रहा है। उसमें सिर्फ 50 रुपया पेन्शन अध्यापक ले रहे हैं। वह प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग में तो 30,000 जगह खाली हैं उन्हें भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। लगभग 30 हजार वेकेन्सीज हैं और 65 हजार ट्रेन्ड अध्यापक आपके पास हैं।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

मान्यवर, एक अन्तिम बात अपने क्षेत्र की कहनी है । हमारे यहां एक राजकीय जूनियर कन्या विद्यालय है। वह गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह बड़ी टूटी-फूटी इमारत में है । हो सकता है भवन इस बरसात में गिर जाय इसलिए विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि कोई दूसरा भवन तलाश करके उसकी उचित व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं केवल प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझाव रखना चाहूंगा। मेरी नीयत सरकार की आलोचना करने की नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मन्त्री नवयुवक हैं और उत्साही हैं और शिक्षा शास्त्री हैं। अत: आशा है हमारे विचारों पर गम्भीरता के साथ विचार करके कुछ परिवर्तन अवश्य करेंगे। जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है, विशेषरूप से ग्रामीण अंचलों के सम्बन्ध में मैं बात करना चाहता हूं। यह कहा गया कि जिला परिषद् से निकाल लेने के बाद बेसिक शिक्षा का अलग विभाग बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत आने के बाद कुछ सुधार हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालत बद से बदतर हो गयी। कभी-कभी तो अफसोस होता है कि 29 वर्ष की आजादी के बाद भी हर गांव में बेसिक शिक्षा संस्था नहीं खोली जा सकीं। जिन जगहों में बेसिक पाठशालायें (प्राइमरी स्कूल्स) खोले भी गए हैं वे कहीं तो चौपाल में हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे हैं। जब मैं गांवों में जाता हूं तो उन बेसिक पाठशालाओं को देखता हूं और देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है।

हमारी बेसिक शिक्षा की जो नीति है वह बड़ी ही अवहेलित स्थिति में है और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। टाट-पट्टी नहीं है, अगर बिल्डिगें हैं भी तो वे बड़ी ही खस्ता हालत में हैं। कई जगहों पर मैंने देखा है कि इमारतें ऐसी हैं जिनमें बैठकर पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। जिला परिषद् यह समझती हैं कि चूंकि इसके प्रबन्ध की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की है इसलिए जो आवश्यक चीजें हैं, उनका इन्तजाम वे ही क्यों करें। जिले में जो बेसिक शिक्षा समिति बनी है, उसका चेयरमैन आपने जिला परिषद् अध्यक्ष को बना दिया है, ठीक है लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक भी उसके सदस्य हैं। तीन और भी सदस्य हैं लेकिन वे ऐसे सदस्य हैं जिनका न तो सरकारी अधिकारियों पर कोई नियन्त्रण है और न उनका शिक्षा संस्थाओं से ही कोई सम्बन्ध है।

कानपुर में जो समिति है उसके एक सदस्य ब्लाक समिति के प्रमुख हैं, एक जिला परिषद् के सदस्य हैं। इसी प्रकार के लोगों को उनका सदस्य बनाया गया है। बात यह है कि मन्त्री जी के पास जो नाम लेकर आगया उसको उसका सदस्य बना दिया गया। यद्यपि ऐसे सदस्यों का बेसिक शिक्षण संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। गांव में उनको जाना नहीं हैं और शिक्षकों के सम्बन्ध में उनका कोई दखल नहीं है। मैं नहीं समझता कि बेसिक शिक्षा समिति में लोग रह कर क्या कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनमें जन प्रतिनिधियों को विशेषकर जनता के चुने हुए विधायकों को आप इन समितियों में अवश्य रखें जो गांव में जाते हैं और जनता से निकट सम्बन्ध बनाए रखते हैं। जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी क्या दशा है ? हम लोग गांव में महीने दो महीने में एक बार हर ग्राम में जाया ही करते हैं और उस समय सारी शिकायतें हमारे सामने आती हैं और उस समय हम लोग कभी जिला परिषद् के अध्यक्ष के पास, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास या इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई निश्चित अधिकार है ही नहीं।

मैं आपको दो एक उदाहरण दूंगा। अपने क्षेत्र के गड़ी कानपुर में बेसिक प्राइमरी पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए मैं गया हुआ था। वहां केवल एक शिक्षक

उस स्कूल में मिला और वह भी पेड़ के नीचे सो रहा था। जब हाथ पकड़ कर मैंने उसको जगाया और उससे पूछा कि हाजिरी का रजिस्टर कहां है, निरीक्षण पुस्तिका कहां है तथा अन्य सवालात उससे किए तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सारी चीजें तो प्रधान अध्यापक के पास ही होंगी और वे ही आकर आपको कुछ बतायेंगे। मैंने लिखकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक को भी दिया परन्तु अब दो वर्ष हो गए हैं उसके बारे में क्या हुआ। मुझे मालूम नहीं हो सका। यह अवश्य मालूम हुआ, कि वह शिक्षक उसी गांव के रहने वाले हैं जहां कि वह शिक्षण संस्था है। मुझे बतलाया यह गया कि 20 वर्ष से इसी स्कूल में डटे हुए हैं और अपने घर की किसानी करते हैं। स्कूल जब कभी चले आए लेकिन पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं, कोई उनको छू सकता नहीं। पहले जिला परिषद् के अध्यक्ष व सदस्यों के चाहते थे और अब डी0 आई0 ओ0 एस0, के, बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के लोग उनसे मिले हुए हैं। उनको पैसा दे दिया और उनका काम बन गया और कोई उनको छू नहीं सकता। जो शिक्षक पहले 50, 55 रुपए वेतन पाता था लेकिन आज 250, 300 रुपए वेतन पा कर भी उसका चौथाई भी नहीं पढ़ाता जितना पहले पढ़ाता था और न जिम्मेदारी महसूस करता है। तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, इस पर जरूर गम्भीरता से विचार करें और इस सम्बन्ध में मेरा तो यह सुझाव है कि जो शिक्षक अपने गांव के स्कूल में अथवा आज पास तैनात हैं, उनको अविलम्ब स्थानान्तरित कर दिया जाय और डी0 आई0 ओ0 एस0, बेशिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला परिषदों की इस सम्बन्ध में ऊपर से लिख कर भिजवाएं तभी कुछ हो सकेगा। इसमें जन-प्रतिनिधियों को जरूर सम्मिलित किया जाय। ऐसा नहीं करेंगे तो बेसिक शिक्षा में जो सुधार आप करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा में हमारे मौजूदा शिक्षा मन्त्री ने बहुत प्रगति की है। वह नौजवान हैं और इस क्षेत्र में रह चुके हैं इसलिए उनसे ऐसी आशा भी की जाती थी। सबसे ज्यादा प्रधान मन्त्री को श्रेय है जिन्होंने आपात्-कालीन स्थिति की घोषणा की जिससे लड़के कायदे से इम्तिहान दे देंगे वर्ना पहले मेज पर छुरा भोंक देते थे और नकल किया करते थे। विरोधी दल का अड्डा भी लड़कों के स्कूलों व कालेजों में हुआ करता था। वे उनको फुसलाते थे। बहकाते थे, पैसा और रुपया देते थे ताकि वे पढ़े नहीं और अपने बड़े लड़के को चाहते थे कि पढ़े। यहां तक कि देश के सबसे जिम्मेदार नेता जयप्रकाश जी ने भी वह नारा लगा दिया कि दो वर्ष तक लड़के न पढ़े।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भूमिका में ही पड़े रहें अथवा क्षेत्र की बात भी कहेंगे ?

श्री शिव कुमार पांडेय—

मैं गांव का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां की शिक्षा की दशा अत्यन्त दयनीय है। मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां के स्कूल में 8 अध्यापक हैं, लड़कों की तादाद भी काफी है लेकिन न कुर्सी है, न टाट पट्टी है। अपनी-अपनी तौलिया बिछा कर अध्यापक बैठते, हैं पढ़ाते हैं। यही हालत जिले भर के स्कूलों की है। बकरियों और जानवरों के रहने के लिए मकान हैं, कन्डे रखने के लिए जगह है लेकिन बच्चों के लिए आसमान की साया है अथवा पेड़ों की छाया और बरसात के दिनों में वह भी नहीं मिल पाती। इससे भी बुरी हालत कन्या स्कूलों की है। मेरे गांव में एक कन्या स्कूल है जिसमें एक मास्टरनी जो आठवीं पास भी नह है। न वह अंग्रेजी जानती हैं, न साइन्स जानती है। हर साल इम्तिहान होता है अ हर साल सब फेल हो जाती हैं। इस साल शायद पास हो जाएं क्योंकि बोर्ड की 8वों

[श्री शिव कुमार पांडेय]

परीक्षा आपने हटा ली है। लिहाजा इस साल रिजल्ट शायद अच्छा निकल सकेगा मास्टरनी की कृपा से। तो शायद अबकी रिजल्ट हमारे यहां का अच्छा हो जाय नहीं तो कभी भी एक भी लड़की वहां पास नहीं हुई है।

मान्यवर, आज स्कूलों की हालत यह है जिला परिषद् के अध्यक्ष स्कूलों का मुआयना करते हैं। पहले डी0 आई0 ओ0 एस0 और ब्लाक प्रमुख करते थे। अब मास्टरों की हाजिरी में कुछ सुधार हुआ है। हमारी जिला परिषद् के अध्यक्ष जो कि बाबू के0 एन0 सिंह डिप्टी मिनिस्टर के सगे भाई हैं, वे 4-5 स्कूलों का मुआयना करने गए, एक स्कूल का। उसमें उन्होंने पाया कि 4 अध्यापक गैर हाजिर हैं। उन्होंने लिखकर भी इस सम्बन्ध में दिया किन्तु किसी का आज तक जवाब तलब नहीं हुआ। यह बेसिक शिक्षा की हालत है। जब कि एक अध्यक्ष के मुआयना करने पर कोई गौर नहीं किया जाता तो कहीं हम लोगों को मुआयना करने का मौका दिया गया तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा और यदि हम कुछ लिख कर भी देंगे तो उसे फाड़कर फेंक दिया जाएगा। बेसिक स्कूलों में रोजाना कोई न कोई अध्यापक गैर-हाजिर रहता है। इम्तिहान की हालत है कि चार अध्यापक बैठ जाते हैं और परचे तैयार कर लेते हैं लड़कों से बता देते हैं कि फलां-फलां पाठ पढ़ा लो, यह-यह आएगा और ऐसा-ऐसा लिखा जाएगा। जब वे देखते हैं कि बच्चे तैयार हो गए तब उन्हें इम्तिहान में बिठाया जाता है नतीजा यह होता है कि सेन्ट परसेन्ट लड़के पास हो जाते हैं। यदि कोई बच्चा गैर-हाजिर रहता है तो वही फेल होता है।

मान्यवर, ये ही बच्चे जब हाई स्कूल में जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है यह सभी जानते हैं। वहां की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। क्योंकि बेसिक शिक्षा ही उनकी गड़बड़ होती है। मैं खुद ही नहीं जानता। मान्यवर, एक दिन मेरे यहां पर पान खाने से आप नाराज हो गए थे। मुझे पान की आदत भी मेरे मास्टर ने ही सिखलाई थी।

मान्यवर, गांव के स्कूलों को कोई सुविधा नहीं है। संविधान में यह है कि हर नागरिक की शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। शहरों की पढ़ाई में और गांवों की पढ़ाई में बड़ा अन्तर है। भाग्यवश ही कोई शहर में आ जाता होगा वरना गांव के बच्चे की स्कूली तालीम बहुत गड़बड़ रहती है। कहीं ऐसा है कि 10 अध्यापक हैं और 1 लड़का है और कहीं अधिक लड़के हैं तो अध्यापक कम हैं। होना ऐसा चाहिए कि जहा अध्यापक कम हों वहां उनको बढ़ाया जाय और जहां ज्यादा अध्यापक हों उन्हें दूसरे स्कूलों में जहां कमी हो, भेजा जाय। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को निमन्त्रण देता हूं कि वे हमारे सुल्तानपुर जिले में हमारे साथ चलें। 5 स्कूल भी कायदे से नहीं चल रहे हैं। उनमें सुधार होना चाहिए जैसे और लोगों ने कहा कि सुधार कर रहे हैं, हम भी तब कहेंगे।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और वह बजट जो 2 सौ करोड़ से अधिक का है यह बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ बनाया गया बजट है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं। गौर से देखा जाय सन् 1946-47 से लेकर 1975-76 तक तो हम पायेंगे कि हमारी प्राइमरी शिक्षण संस्थायें कुल 1946-47 में 20,048 थीं और आज सन् 1975-76 में 68,878 हो गई हैं। सीनियर बेसिक स्कूल सन् 1946-47 में 1850 थे, उनकी संख्या 10,068 हो गई और मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 1946-47 में 506 थी वह 4111 हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है और डिग्री कालेज की भी संख्या बढ़ी है।

एक और बड़ी प्रगति हुई शिक्षा जगत में, कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् बनी जो कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है परीक्षाओं का संचालन करती है। 1972 में

उसका एक उपकार्यालय मेरठ में खोला गया है। वह अच्छा काम हुआ है क्योंकि सुचारु रूप से काम नहीं हो पाता था। शिक्षा परिषद् का 1974-75 में तीन करोड़ रुपए का बजट था। 1975-76 में चार करोड़ से ज्यादा हुआ और अब वह इस वर्ष 5 करोड से ज्यादा है। तो उसके लिए व्यय का अच्छा प्राविधान हुआ है शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में। परन्तु फिर भी बड़े दुख की बात है कि शिक्षा विभाग को एक अनुत्पादक मद के रूप में लिया जाता है।

मान्यवर, यह 20-सूत्री कार्यक्रम का युग आया है। इस पृष्ठभूमि में हर विभाग के बजट को ध्यान में रखना है। इस कार्यक्रम में मितव्ययिता, असमानता की समाप्ति, भ्रष्टाचार की समाप्ति और पिछड़े क्षेत्रों की जिन्दगी में तेजी लाने की बात कही गई है जैसा कि सबको ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में गत वर्ष तक एक ही निदेशक रहे हैं। मेरा ऐसा मत है कि किसी भी विभाग में, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में एक विभाग का एक ही प्रधान होना चाहिए। अनेक प्रधान नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में भी एक ही निदेशक होना चाहिए। उसके नीचे अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक हो, वह वाजिब बात है परन्तु कई निदेशक हों, यह अच्छी बात नहीं है। इससे मितव्ययिता नहीं होगी; अच्छा काम भी नहीं होगा। जिसको मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को सोचना चाहिए। यह मितव्ययता की दृष्टि से भी और 20 सूत्री कार्यक्रम की दृष्टि से भी उचित नहीं है।

20-सूत्री कार्यक्रम के दौरान जो माध्यमिक स्तर की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, बुक बैंकों की स्थापना हुई है और इसी तरह से जो केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्रों की प्रणाली चली है यह अच्छी बात हुई है। उसको सुधार और उन्नति की संज्ञा दे सकते हैं। सन् 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया जा चुका है। मैं इस सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण प्रजातन्त्र में होना चाहिए। जन-प्रतिनिधियों के हाथों में अधिक से अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों को शिक्षा का काम क्यों नहीं दिया जाता है? आपको कौन सा डर लगता है? कौन-सा भय लगता है? अगर वह गलती करेंगे तो उसे ठीक करने का भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए। शिक्षा परिषद् का गठन करने में कौन सा सुधार हुआ? आज अध्यापक पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। आज स्कूलों की इमारतें नहीं हैं। जहां पर किराए की इमारतें हैं वह भी गिर रही हैं। मेरे जिले में तो कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी इमारतें गिर रही हैं। निरीक्षण का काम बन्द है। बाल आहार में भ्रष्टाचार है। तो फिर जिला परिषदों को क्यों शिक्षा नहीं देना चाहते हैं? सिद्धान्त रूप में उनको यह काम हस्तान्तरित होना चाहिए। यह प्रजातन्त्र की मुख्य बात है। जिला परिषदों का प्रभावी नियन्त्रण शिक्षा में होना चाहिए।

यह निर्णय किया गया है कि स्नातकोत्तर और स्नातक के छात्रों को राष्ट्रीय सेवा कार्य में लगाया जाएगा। यह एक अच्छा कार्य किया गया है अच्छा विचार सामने आया है कि स्नातक की उपाधि पाने वाले को लगभग 120 घंटे गांवों में काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इससे समाजवाद की भावना, राष्ट्रीय चेतना और नेतृत्व की भावना बच्चों में आएगी।

मान्यवर, बीस-सूत्री कार्यक्रम में असमानता दूर करने की बात कही गई है। बुन्देलखण्ड, पहाड़ी क्षेत्र और मिर्जापुर के इलाके पिछड़े हुए हैं। सन् 1947 के पूर्व वहां प्रदेश में 12 गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज थे और आज उनकी संख्या 24 है। लेकिन 6 मैदानी क्षेत्र में हैं और 18 पर्वतीय क्षेत्र में है। पिछले वर्ष दो नए डिग्री कालेज खोले गए—एक पर्वतीय क्षेत्र में और दूसरा मैदानी क्षेत्र में। बुन्देलखण्ड के हमीरपुर में खोला गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बुन्देलखंड में एक भी राजकीय महिला डिग्री कालेज नहीं है। यदि शिक्षा की प्रगति को देखा जाए, तो मालूम पड़ता है कि इसमें बड़ी क्षेत्रीय असमानता है।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

(लाल बत्ती जलने पर) अभी श्रीमन्, दो मिनट और चाहूंगा। आप देखें पश्चिमी क्षेत्रों में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या 1658 है, पूर्वी क्षेत्रों में 1402 हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में 390 और बुन्देलखण्ड में इनकी संख्या केवल 199 है। आप इसी से अन्दाजा लगा लीजिए कि बुन्देलखण्ड की कितनी उपेक्षा हो रही है। इसी तरह से सीनियर और जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या को देखिए, पश्चिमी क्षेत्रों में 41845, पूर्वी क्षेत्रों में 22006, पर्वतीय क्षेत्रों में 5530 और बुन्देलखण्ड में केवल 4361 हैं। इन सबसे आपको पता चलेगा कि बुन्देलखण्ड की हालत शिक्षा में कितनी खराब है।

हमीरपुर जनपद के 3 ब्लाक्स में कोई हाई स्कूल नहीं है—कुरारा जैदपुर और सरीला ब्लाकों में। इसी तरह से हमीरपुर की मौदहा तहसील में लड़कियों का एक भी हाई स्कूल नहीं है, न जूनियर न बेसिक और न गवर्नमेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल है। मजेदार बात यह है कि वहां पर एक जो बेसिक ट्रेनिंग स्कूल लड़कियों का चलता है, उसको पढ़ाने के लिए लड़कियां नहीं है। हमारे यहां जब माननीय मुख्य मन्त्री जी गए थे तो हमने उनसे मांग की थी हमीरपुर डिग्री कालेज में बी० एम-सी० की कक्षायें खोल दी जायें। उसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे विश्वास है कि वह उसे अवश्य खोलेंगे। वहां हमीरपुर में एक ट्रस्ट में चरखारी शिक्षा मन्दिर के पास 6 लाख रुपया रखा हुआ है, उससे एक शिक्षा संस्था आसानी से खोली जा सकती है। ट्रस्ट के संविधान में लिखा हुआ है कि डिग्री कालेज चलाया जा सकता है। इसी तरह से बी० एन० बी० डिग्री कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की मांग हो रही है वह वहां दे दी जाए, तो बहुत अच्छा काम चल सकता है। मुझे अन्त में एक ही बात कहनी है कि शिक्षा का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और जो 16 सबजेक्टस वाली बात सामने आ रही है, मुझे लगता है कि यह बड़ी अन्धेर की बात है। 8-9 या 10 वर्ष के बच्चे इसे कहां तक कर पायेंगे, यह प्रणाली कहां तक कारगर होगी। इस पर मुझे काफी सन्देह है। इसको बहुत सोच समझकर रखने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मन्त्री के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष जी, आपको पहले बधाई देता हूं कि बड़ी कसरत के बाद आपने मुझे टाइम दिया। उसके लिए धन्यवाद—

श्री उपाध्यक्ष—

थकान आ गई हो, तो बैठ जाएं

श्री रघुबीर—

शिक्षा मन्त्री जी ने जो शिक्षा अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैं दो-चार सुझाव देना चाहता हूं और वे भी खासकर प्राथमिक पाठशालाओं के बारे में। क्योंकि डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालय के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि आजादी के 29 वर्षों के बाद यह प्राथमिक जो प्राइमरी पाठशालायें हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है जो कहना मुश्किल और शर्मनाक बात है। उसको कहते हुए भी अपने को कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन आज जो बुनियादी हमारी शिक्षा है, उसी से छात्रों की एक बुनियाद बनती है और बिगड़ती है। आज जो हमारे छात्र गांव के बैठके में, चौपाल में, बगीचे में, खुली धूप में, बरसात में वह तालीम हासिल करते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा शास्त्री हैं, आप प्रिंसिपल रह चुके हैं। हम लोगों के कहने के बावजूद इन दिक्कतों को आप भली भांति समझते हैं। तो विशेष तौर पर प्राथमिक पाठशालाओं की तरफ, उनके जीवन स्तर को ठीक करने के लिये तालीम के मामले में कि वह मजबूती से आगे बढ़ सकें, वह हाई स्कूल में

डिवीजन ला सकें। इन्टरमीडिएट में अच्छे डिवीजन ला सकें। वह विश्वविद्यालय में अपनी अच्छी पोजीशन ला सकें, प्राथमिक पाठशाला की तालीम पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि खुली धूप में, गांव की चौपाल में, बाग में जो तालीम हासिल करेगा उसके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। आज मान्यवर, हालत यह है कि जहां आप उनका भवन भी बनाये हैं, उन भवनों की दशा यह है कि उनकी छत फटी हुई है, बच्चे उसमें बैठ नहीं पाते या टूटी है। लेकिन उसकी कोई देखरेख नहीं, न उस पर कोई सुधार का कार्य हो रहा है, न उनकी मरम्मत हो रही है कि वह बच्चे कम से कम उस पाठशाला में बैठ कर तालीम हासिल करें। यह मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को सुझाव दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस तरफ से आप इस चीज को हमारे शिक्षा मंत्री जी नोट करें कि उर्दू जबान जो है यह कोई फिरकापरस्ती की जबान नहीं है। बहुत से लोग इसको फिरकापरस्ती मानते हैं।

उर्दू जबान मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में या पूर्वी आंचल में भी देखें तो बहुत से हिन्दू उर्दू जबान पढ़े हैं, उनकी दीगर जबान हिन्दी रही है। कोई उसमें द्वेष की बात नहीं है। आज उर्दू पाठशालाओं को जो हैं; नेग्लेक्ट किया जा रहा है। उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करूं कि इस पर विशेष ध्यान दें और इस जबान को अल्प मत के बारे में सोचें। जो कुछ भी अल्प मत के स्कूल हैं, उसमें आपके हिन्दू बालक भी तालीम पाते हैं, उसमें हिन्दी भी पढ़ाई जाती है। तो इन पाठशालाओं के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए इनको काफी से काफी आप सहायता दें ताकि तालीम आगे बढ़े। यह जबान मजबूत हो। इस पर कोई द्वेष नहीं रखना चाहिये।

मैं अपने गाजीपुर के बारे में आपके चन्द मिनट लूंगा। जैसे वहां पर एक भड़कूड़ा स्थान है। वहां पर एक डिग्री कालेज है जहां पर छात्र आते हैं तालीम हासिल करने के लिये, लेकिन कोई छात्रावास नहीं है। वे गांव के किसानों के घर मारे-मारे फिर रहे हैं। वे किराये के मकान में ठहर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर छात्रावास कायम किया जाय।

बहादुरगंज जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर एक मिडिल स्कूल है और अंग्रेजों के जमाने में उसको विश्वविद्यालय कहा जाता था। आज उस स्कूल की हालत यह हो गयी है कि टीचर और विद्यार्थी हर समय सशंकित रहते हैं कि कब यह भवन गिर जायेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल जो हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जो भवन जर्जर हो गये हैं और गिरने वाले हैं, उनमें हमेशा खतरा बना रहता है और किसी भी समय अध्यापकों और विद्यार्थियों की मौत हो सकती है। मेरा निवेदन है कि इन भवनों का निर्माण होना चाहिये। अब मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि एक सुल्तानपुर और हाजीपुर बरेसर में एक जूनियर हाईस्कूल है। इसको भी आज तक मान्यता नहीं मिली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द मान्यता देने की कृपा करें। यहां पर बच्चे बहुत संख्या में हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

5-7 मिनट में आप अपनी बात कह लें।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि शिक्षा जैसे महत्व पूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यह इतना महत्वपूर्ण बजट है कि इतने लोग बोलना चाहते हैं। इसी से साबित है कि यह इतना महत्वपूर्ण बजट है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम काफी दिनों से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जायेगा लेकिन यह नहीं मालूम होता कि किस तरह का परिवर्तन किया जायेगा।

अभी हाल ही में कोठारी कमीशन ने और हमारे माननीय उप राष्ट्रपति, जत्ती साहब ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि शिक्षा के सम्बन्ध में कोई अगर सुनियोजित रूपरेखा न बनायी गयी तो जो समस्या पैदा हो गयी है, वह हल होने वाली नहीं है। हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

जनसंघ, आर0 एस0 एस0 और आनन्दमार्गी लोगों की इसमें बहुत हरकतें हैं। शिशु मन्दिरों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या वह दावे के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी हरकतों को समाप्त कर दिया है? मात्र कुछ लोगों के गिरफ्तार करने से और कुछ थोड़े परिवर्तन से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। जो जहर नवजवान के मष्तिष्क में डाल दिया गया है वह असानी से हटने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन ताकतों का समाना करना है तो शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज जो हमारे पिछड़े, क्षेत्र हैं, जहां पर शिक्षा का अभाव है, उनमें ऐसी ताकतें पनप रही हैं जिनसे फासिज्म का खतरा बढ़ा है।

शिक्षा के क्षेत्र में एक खास समस्या यह है कि इसका असमान रूप से विकास हुआ है। बुन्देलखंड के क्षेत्र को ले लें कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण हुआ है और कुछ की उपेक्षा की गई है। मान्यवर, हमारे जिले बांदा में केवल 18 प्रतिशत का प्रसार हुआ है और महिलाओं की शिक्षा में तो केवल 5 प्रतिशत का प्रसार हुआ है। बुन्देलखंड और खास कर बांदा में तो कोई महिलाओं का डिग्री कालेज भी नहीं है।

शिक्षा की एक अहम समस्या यह है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में संभवतः वर्ष 1948 में प्रदेश में सैनिक सेवा कोर चलाई गई थी, फिर इसे प्रान्तीय शिक्षा दल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें 11 व 12 कक्षा के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने का प्रयास किया गया था और उसमें 35 सहायक कमान्डेन्ट और 18 कमाडेंन्ट नियुक्त थे। इन सब के पदों को समाप्त कर दिया गया है। कमान्डेन्टस को शिक्षा अधिकारी, या विद्यालय निरीक्षक बना दिया गया है। लेकिन 35 सहायक कमान्डन्टस को कोई ऐसी जगहें नहीं दी गई हैं, जहां पर इनकी नियुक्ति हो सके। निदेशक साहब के दफ्तर में या जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालयों में य लोग क्लेरिकल पदों पर कार्य कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रदेश में फिर से एन0 सी0 सी0 आदि को चलाने की व्यवस्था की जाय जिसमें इन सहायक कमान्डेन्ट्स को उन वर्गों की सेवा में लगाया जा सके। मेरी प्रार्थना है कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें, तो सरकार की इस सम्बन्ध में जो नीति हो, उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

उर्दू शिक्षा के बारे में प्रचार तो बहुत किया गया लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित था, वह पूरा नहीं हुआ है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि वहां पर केवल 32 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो पढ़ने वालों की संख्या देखते हुए बहुत कम है। वहां पर उर्दू पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। प्राइमरी शिक्षा में भी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां हर जिला परिषदों के सम्बन्ध में भी बात आई। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको जिला परिषदों के अन्दर में कर दिया जाय। मैं इसका घोर विरोधी हूं क्योंकि इसके बहुत ही दुष्परिणाम निकले हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल्स की शिक्षा में जो त्रुटियां आ गई हैं, उनको दूर किया जाय लेकिन मैं इसके पक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं हूं कि इन्हें जिला परिषदों के अन्डर में फिर से कर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शिक्षा की मद के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय इतना कम है कि मैं आपको धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूं। मैं केवल अपने क्षेत्र की कुछ बातें बता कर आपका थोड़ा सा समय लेकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हमारा जिला सुल्तानपुर, पिछड़ा तो है ही, लेकिन उसमें जो इसौली क्षेत्र है वह तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और वह इसलिये कि वहां से विरोध पक्ष, बी0 के0 डी0 आदि का ही सदस्य चुनकर आया करता था। न तो वहां पर यातायात के साधन हैं और न वहां पर प्राइमरी शिक्षा का ही समुचित प्रबन्ध है। जहां तक भवनों का सम्बन्ध है अगर और स्थानों पर 50 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में भवन नहीं हैं तो वहां पर 75 प्रतिशत में नहीं है। अधिकांश पाठशालायें सब पेड़ के नीचे हैं। प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था जिले भर में करीब-करीब वैसी है कि किसी स्कूल में मास्टर ज्यादा हैं, लड़के कम हैं और किसी स्कूल में लड़के ज्यादा हैं, मास्टर कम हैं। जब व्यवस्था करने के लिये बी0 एस0 ए0 से कहा गया तो उन्होंने स्टेटस को मेनटेन किया। जब किसी ने पूछा कि क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, पूर्ति कर दें जहां कमी हो और ज्यादा को हटा दें तो उन्होंने कहा कि ऐसे रहने दिया जाय, मैं नौकरी करने आया। पता चला कि वह काम करना नहीं चाहते और उसी दृष्टिकोण से जो टाट-पट्टी के लिये रुपया आया था वह भी क्रय नहीं किया, लैप्स हो गया।

मुझे याद है, अंग्रेजी काल में एक कलेक्टर थे, पटवारियों की पड़ताल किया करते थे सख्ती से, तो एक पटवारी उनको बी0 एस0 ए0 की तरह से मिल गया। पड़ताल में उसने जो खसरा दिया वह बिलकुल सादा था। उससे पूछा कि यह क्या मामला है तो उसने बताया कि एक ही गलती है। 10 हजार नम्बर के गांव हैं, अगर मैं कुछ लिखता तो 10-20 गलती होती। तो हमारे बी0 एस0 ए0 का तरीका है कि काम ही न करो तो गलती कैसे हो। एक मामले में तो चुंगी के 58 रुपये नहीं दिये और 4 हजार रुपये डैमरेज दे दिया ऐसी व्यवस्था के संबंध में लिख कर भेजता हूं तो कोई जांच करने वाला नहीं है। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसे जो बी0 एस0 ए0 को वह लखनऊ में रखें, वहां ज्यादा काम के होंगे, हमारे पिछड़े जिले में ऐसे दें जो मेहनती हों, जो समझें कि हमारा कर्त्तव्य क्या है।

एक जनता जूनियर हाई स्कूल है कूड़े भार में जो सन् 52 से है। सन् 62 से टेम्पोरेरी मान्यता हर साल उसको मिलती जाती है, लेकिन परमानेन्ट मान्यता कभी नहीं मिली। पहले पता मैंने लगाया कि यह बात क्यों नहीं होती है, तो हमारे एक चतुर्वेदी, डी0 आई0 ओ0 एस0 थे, उनका तरीका था कि एक विशेष जाति का मैनेजर होगा तभी मान्यता होती थी उनकी तरफ से। लेकिन बाद को एक डी0 आई0 ओ0 एस0 रामदास जी आये तो वह स्कूल की मान्यता तथा अप्रूवल में बिना कुछ पाये वह अपने हाथ अपवित्र नहीं करते थे ऐसे कामों में-वह मान्यता नहीं देते थे। खैर विभाग ने उनको फोर्स्ड रिटायरमेन्ट दे दिया। इसके लिये धन्यवाद देता हूं अब आपने यह तय कर दिया कि जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता नहीं दी जायगी, यों ही देखें, तो सन् 62 से टेम्पोरेरी मान्यता देते 13-13 वर्ष हो गये, आज भी

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह)

परमामेंन्ट नहीं हो सके तो यह भी विचारणीय बात है कि दसियों वर्ष से एक-एक साल की मान्यता प्राप्त होने वाले स्कूल, वह कहां जायेंगे ? इस पर हमारे निदेशक महोदय ध्यान दें।

एक शंकराचार्य माध्यमिक विद्यालय है हमारे क्षेत्र में और एक अपूर्व बात यह है कि उसके अध्यक्ष बाबू सद्धीक मियां हैं और मैनेजर गफ्फार साहब हैं। एक जहती की मिसाल ऐसी कहां पावेंगे लेकिन उसको इस वर्ष में भी सहायता नहीं मिली जबकि उस क्षेत्र भर मे कोई इंटरमीडिएट कालेज नहीं है, डिग्री कालेज की कौन कहे माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल के लाले पड़े हैं इतना सिर्फ अर्ज करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो कुछ विद्यालय हैं उनको मान्यता दे दें। हमारे यहां कन्या पाठशाला में कोई अध्यापिका नहीं गयी। लेकिन यह फरियाद किससे की जाय। अगर एक लेटर यहां डाल देता हूं तो वह निदेशक के यहां चला जाता है। हमको कभी उत्तर नहीं मिला कि उसमें क्या हुआ। तो पिछड़े क्षेत्र के लिये शिक्षा की मद में कुछ विशेष ध्यान दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर पान्डेय। जरा समय का खयाल रखें।

श्री रामसुन्दर पांडे (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस साल के शिक्षा के बजट में एक खूबी है कि जहां उर्दू की तरक्की के लिये इसमें पैसे का प्राविधान किया गया है वहां हिन्दी, संस्कृत और दक्षिण की भाषाओं की तरक्की के लिये भी धन का प्राविधान किया गया है। इसलिये यह बजट और वर्षों के मुकाबले में अच्छा है। वही देश और उस देश का लोकतन्त्र और उस लोकतांत्रिक देश में ही समाजवाद स्थापित हो सकता है जहां के लोग ज्यादा शिक्षित हों।

उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिये पढ़ना लिखना सब से आवश्यक है जहां पढ़ाई लिखाई की कमी है। उस देश में लोकतन्त्र मजबूत नहीं हो सकता। हमारे देश में लोकतन्त्र के साथ-साथ समाजवादी व्यवस्था कायम करने का संकल्प हम लोगों ने किया है। तो लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के लिये जो आज पढ़ाई लिखाई में गिरावट है और जिस गति से पढ़ाई लिखाई हो रही है; अगर इसी गति से होती रही तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों वर्ष लगेंगे इस सरकार को पूरी शिक्षा गांव से शहर तक देने के लिये। यह बात सही है कि स्वराज्य होने के बाद गांव-गांव में लोगों ने अपने आप पढ़ाई लिखाई के लिये स्कूल और कालेज खोले लेकिन सरकार की ओर से उसमें कितनी मदद मिली यह आप बजट से देखेंगे।

सरकारी आदेश दो, तीन साल से है कि अपर प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, और इंटरमीडिएट की मान्यता रोके रहें। 3-3, 4-4, सर्वेक्षण हुये और उन सब में स्पष्ट दिशा दिखायी गयी कि कहां प्राइमरी स्कूल की कमी है, कहां जूनियर स्कूल की कमी है, कहां हायर सेकेन्डरी स्कूल की कमी है, कहां डिग्री कालेज की कमी है। लेकिन उस सर्वेक्षण की कोई इज्जत नहीं है। जहां लोग धनी हैं, वहां तो अनेक डिग्री कालेज खुलते चले जा रहे हैं, हायर सेकेन्डरी स्कूल खुले हैं, लड़कियों के स्कूल खुले हैं और उन्हें मान्यता भी है लेकिन आज जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां आने जाने का रास्ता भी नहीं है वहां तीन वर्षों से डिग्री कालेज का भवन बना कर हजारों रुपये बैंक में जमा करके इस सरकार के पास, राज्यपाल के पास, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के पास ठोकरें खाते फिर रहे हैं।

आजमगढ़ में मोहम्मदाबाद, फूलपुर, मधुबन एवं बलिया जिले में बेल्थरा रोड है; जहां तीसों मील तक कोई डिग्री कालेज नहीं है। वहां के कुछ समझदार लोगों ने चन्दा से पैसा इकट्ठा कर के डिग्री कालेज की इमारतें बनवायीं, हजारों रुपये बैंक में जमा किये

लेकिन सरकार उस दिशा में अग्रसर नहीं हो रही है। मैं शिक्षा मंत्री जी से इस ओर उदारता बरतने के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, आज जिस प्रकार से लड़कों की शिक्षा में बढ़ोत्तरी हो रही है, उसी प्रकार से लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। पिछले वर्ष हमने महिला वर्ष भी मनाया और यह संकल्प भी किया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही हर दिशा में समझा जायेगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हर ब्लाक में एक इन्टरमीडिएट कालिज लड़कियों के लिये अवश्य होना चाहिये। अगर लोग अपने रुपये से स्कूल नहीं खोल सकते तो सरकार को खोलना चाहिये। अन्य कई प्रदेशों में केरल, बंगाल एवं मद्रास में शिक्षा का प्रतिशत जब कि 98 प्रतिशत है, हमारे यहां बहुत काफी कम है, इस ओर ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आपात्काल का प्रभाव लाबी में बैठे हुये इन अधिकारियों पर नहीं हुआ है। इसका असर लड़कों पर भी हुआ है, उनमें अनुशासन आया है, मास्टरों पर भी हुआ है, वे समय से पढ़ाने आते हैं, पर अधिकारियों पर नहीं हुआ है। आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध एक शिकायती पत्र मैंने 5-8-75 को शिक्षा मंत्री जी को दिया। शिक्षा मंत्री जी ने उस पर यह नोट भी लिखा कि प्राइमाफेसी अगर केस बनता हो तो तुरन्त मोअत्तल कर दो। डिप्टी डायरेक्टर गये भी, माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर, संयुक्त संचालक भी गये, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी, मगर वह सब वहां सचिवालय में सड़ रही है। आज 8 माह हो गये, उस दरख्वास्त का पता नहीं। मैं राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब वे आजमगढ़ के दौरे पर गये थे तो क्या वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक उनके साथ थे? नहीं थे। वे दूसरी जगह दावत खा रहे थे। ऐसे-ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षक जब होंगे तो शिक्षा का क्या होगा? ऐसे-ऐसे केसेज यहां सड़ रहे हैं कि जहां हजारों रुपये का गबन हुआ है। उन मामलों तक की ओर यहां सचिवालय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस आपात्कालीन स्थिति का यहां के अधिकारियों पर कोई असर नहीं है।

मान्यवर, शिक्षा निदेशालय ने लगभग 6 हजार कर्मचारियों का, जिनमें छोटे-छोटे लिपिक वगैरह हैं, ट्रान्सफर किए। सरकार ने यह लिखित आदेश दिया था कि ऐसे लिपिकों को तथा प्रशासनिक स्टाफ को साधारणतया 7 वर्ष तक रहने दिया जायेगा और किसी भी दशा में उनका ट्रान्सफर नहीं किया जायेगा। मगर इसका ध्यान शिक्षा निदेशक ने नहीं रखा। पुनः 28-7-75 को एक चिट्ठी गयी थी कि उन आदेशों को निरस्त करते हुये ट्रान्सफर तत्काल रोक दिये जायं। इस प्रकार के आदेश यहां से गये हैं। लेकिन शिक्षा निदेशक के कार्यालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन 6 हजार कर्मचारियों के तबादले में मितव्ययिता का लिहाज न करके लाखों रुपया शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा खर्च किया गया है। इस प्रकार की अनेक-अनेक शिकायतें मेरे पास हैं। जिनके सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि तत्परता से उसकी जांच होनी चाहिये और जांच करके ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हालत यह है कि बहुत से लड़कों के परीक्षा फल दो-दो तीन-तीन साल से रुके पड़े हैं जिससे उनके अभिभावक भी परेशान हैं। तीन-तीन साल से लड़के बैठे हुए हैं, परीक्षाफल अभी तक नहीं निकला है। अदालतों और हाईकोर्ट में मकदमें दाखिल करके अभिभावक बच्चों की परीक्षा दिलाते हैं। यह क्या हो रहा है? मैं चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद और शिक्षा निदेशक के कार्यकलापों में इस तरह का परिवर्तन होना चाहिये जिससे गरीब लोगों का भी दुख दर्द कम हो सके और उसका लाभ वे लोग भी उठा सकें। एक इशारा राज्य मंत्री जी की तरफ भी करना चाहता हूं।

[श्री राम सुन्दर पान्डेय]

मान्यवर, आप भी सोशलिस्ट पार्टी में रहे हैं और हम लोग भी उसमें रहे हैं। जिस देश में दो तरह की पढ़ाई लिखाई हो, वह देश और प्रदेश कैसे तरक्की कर सकता है और उसमें कहां से समानता आ सकती है। आखिरकार ऐसा कौन सा वक्त आयेगा जब कि गरीब और अमीर के लड़के एक साथ बैठ कर पढ़ सकेंगे। यह चीज आज यहां नहीं हो रही है। बड़े आदमियों के लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और पटवारी, लेखपाल तथा चौकीदार के लड़के, मजदूरों के लडके गांव की झोपड़ियों में पढ़ते हैं। उन स्कूलों में पढ़ कर कलेक्टर के लड़के कलेक्टर बनते हैं और चौकीदार के लड़के चौकीदार ही बनते हैं। क्या देश में समाजवाद और बराबरी लाने का यही तरीका है और क्या इसी तरह से असमानता दूर हो सकती है? शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना होगा, बराबरी लानी होगी तब सही माने में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हो सकती है और देश मजबूत हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस ग्रांट का समर्थन करता हूं।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज माननीय सदन में दो शब्द कहने का सुअवसर दिया है। मान्यवर, अगर हम देखें तो हम मजबूती के साथ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा का प्रसार देश और प्रदेश में बहुत हुआ है। सन् 1946 में जब कि देश आजाद नहीं हुआ था इस प्रदेश में केवल 5 विश्वविद्यालय थे और 12 डिग्री कालेज थे। लेकिन तब से लकर आज तक--मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में 5 से बढ़ कर 19 विश्वविद्यालय और 12 डिग्री कालेज से बढ़ कर 363 डिग्री कालेज हो गये हैं जिनमें 24 राजकीय डिग्री कालेज भी शामिल हैं। सन् 46 में शिक्षा के ऊपर जो बजट रखा गया था वह केवल 3.18 करोड रुपये का था जो सम्पूर्ण बजट का मात्र 11 परसेंट था। और 75-76 में जो शिक्षा का बजट था वह 206 करोड़ 19 लाख का था और इस समय इस वर्ष जो बजट रखा है वह 214 करोड रुपये के लगभग है। हम समझते हैं कि इस प्रदेश में 1946 से लेकर इस समय तक जो शिक्षा का विस्तार हुआ है वह लगभग 65 गुना है। मैं इसी सन्दर्भ में दो शब्द और कहना चाहता हूं। शिक्षा के लिये प्रमुख रूप से तीन बातें आवश्यक हैं। पहली बात तो यह कि शिक्षा से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, दूसरी बात यह कि उस शिक्षा से गरीबों के प्रति श्रद्धा पैदा हो और तीसरी बात यह कि वह शिक्षा श्रम से नफरत न करे। ये तीन बातें शिक्षा प्रणाली में रख दी जायं तो हम समझते हैं कि शिक्षा में जो कमी पायी जाती है, निश्चित रूप से वह कमी नहीं रहेगी।

मान्यवर, हमने देखा कि सरस्वती शिश मंन्दिर और सिटी मांटेसिरी स्कूल जैसे विद्यालय हैं। वह ऐसे विद्यालय हैं और इनमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि जब इनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं तो उनमें न तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखायी देता है न श्रम की तरफ झुकाव दिखायी देता है और न गरीब के प्रति श्रद्धा भाव ही दिखायी देता है। इस तरह के सिटी मांटेसरी और सरस्वती शिशु मंदिर ऐसे विद्यालय जो हैं, इनमें जो शिक्षा व्यवस्था है वह राष्ट्रीय भावनों से कोसों दूर है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार को समाजवादी समाज की व्यवस्था करनी है अगर उसकी यह मंशा है तो हम चाहते है कि शिक्षा व्यवस्था को उसे अपने हाथ में लेना चाहियें और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। इसके साथ-साथ में, चूंकि समय कम है इसलिये कुछ शब्द और निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, शिक्षा का संतुलित विकास होना चाहिये। शिक्षा से ही कोई व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, शिक्षा से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है तो मान्यवर, यह जरूरी है कि जो लोग शिक्षा प्रदान करते हैं वह चरित्रवान हों, शिक्षा के लिये यह बहुत जरूरी है। मैं उस जिले का जिक्र कर देना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के 14 पिछड़े हुये जिलों में से एक है। यह है सुल्तानपुर।

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद सुल्तानपुर में वहां पर 28.66 प्रतिशत पुरुष और 6.72 प्रतिशत महिलायें शिक्षित हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, जो कि बहुत ही कर्मठ हैं और जागरुक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि शासन ऐसे जिलों में जो शिक्षा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं तो उन जिलों में शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में, मेरा तो कादीपुर रिजर्व कांस्टीटूएन्सी का क्षेत्र है। मान्यवर, इस क्षेत्र में एक डिग्री कालेज है वहां पर 75 फीसदी बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी इकोनामिक्स और जाग्रफी में एडमीशन लेते हैं। मैंने बार-बार शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन किया कि चूंकि यह विद्यालय पिछड़े क्षेत्र में स्थित है इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुये इस महाविद्यालय को कम से कम इकोनामिक्स और जाग्रफी की मान्यता दे दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मान्यता अभी तक नहीं मिली है। मैं समझता हूं, हमारे सौभाग्य से शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं मैं चाहूंगा कि उदारता पूर्वक विचार करके इस महाविद्यालय को निश्चित रूप से जाग्रफी और इकोनामिक्स की मान्यता दे दें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 50 फीसदी ऐसे स्कूल हैं जहां पर भवनों का इंतजाम नहीं है। इसमें कठिनाई यह होती है कि बरसात के दिनों में किसी के घर में बैठकर बच्चों को पढ़ाया जाता है और जब घर नहीं मिलता है तो मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि बच्चों की बरसात के 4 महीनों में पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय जिससे उनको भवन की सुविधा मिल सके। साथ ही हमारे जनपद के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी से हम लोगों ने पूछा कि जिले में कितने प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर टाट पट्टी-कुर्सी, मेज की व्यवस्था नहीं है। होता यह है कि मास्टर घर से चारपाई मंगाकर पढ़ाते हैं। 10-15 मिनट बाद जब नींद आ गयी तो सोने लगते हैं। तो मान्यवर, कम से कम कुर्सी मेज, की व्यवस्था अध्यापकों के लिये होनी चाहिये। आज भी बच्चे टाट-पट्टी अपने घर से बैठने के लिये, तमाम स्कूलों में लाते हैं। तो मान्यवर, इस तरह की जो कमियां हैं, बच्चों की जो समस्यायें हैं, उन पर विचार करें। मैं समझता हूं कि शिक्षा व्यवस्था का यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, यह ऐतिहासिक सत्य है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति पश्चिम के पूंजीवादी देशों की संस्कृति और भौतिकवादी विचारधारा से प्रभावित थी। किन्तु यह भी सत्य है कि इस शिक्षा पद्धति ने पिछले 10 वर्षों से अधिक समय में हमारे देश में उच्च कोटि के समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और राष्ट्र नेता उत्पन्न हुये हैं। आखिर क्या कारण है कि आज उस शिक्षा पद्धति की इतनी कटु आलोचना हो रही है और यह पद्धति जिसने कि परतंत्रता काल में हमारे लिये इतना उपयोगी काम किया है लेकिन आज हमारे देश की जो सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय आकांक्षायें हैं उनको पूरा करने में आखिर वह क्यों असमर्थ है? यह ऐसा प्रश्न है जो कि अक्सर शिक्षा समिति में या सदन में उठा करता है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था को हम मोटे तौर पर तीन भागों में बांटते हैं।

पहला शिक्षा का क्या प्रशासकीय संगठन है, दूसरा शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ शिक्षक क्या कर रहा है और तीसरी चीज वह कि शिक्षा व्यवस्था अपने जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है उसके लिये पाठ्यक्रम क्या है? श्रीमन्, पहली व्यवस्था के संबंध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। गतवर्ष इसी सदन में सूचित किया गया था कि प्रदेश के हर क्षेत्र में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और जल्दी ही विश्वविद्यालयों के लिये परिनियमों की घोषणा सरकार की ओर से की जायेगी।

[बाबू प्रभाकर सिंह]

मान्यवर, उसी विधेयक में यह भी कहा गया था कि जो भी व्यवस्था की जा रही है वह अन्तरिम है । यह कोई जरूरी नहीं है कि अन्तरिम व्यवस्था के लिये जो काल निश्चित है उसके पहले नयी व्यवस्था अपने मूल रूप में न आ जावे । हमारे सामने अवध विश्वविद्यालय के लिये कार्य समिति घोषित की गयी थी । मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस कार्य समिति में किस आधार पर लोग लिये गये हैं ? तो पूरी कोशिश के बावजूद मैं असफल रहा । मैंने समझा कि शासन ने जल्दी में सदस्यों को मनोनीत कर दिया होगा और शासन कोशिश करेगा कि साल के अन्दर परिनियमों के अनुसार समिति गठित हो जायेगी । लेकिन साल से ऊपर हो गया और अभी तक परिनियम नहीं बन सके । यह कहा है कि हमारे सभी विश्वविद्यालयों के लिये एक प्रकार के अधिनियम होंगे और वहां हमारे पड़ोसी लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये परिनियम की घोषणा चाहे वह एक आदर्श के रूप में हो या विचार के लिये हो गई है । मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब सारे विश्वविद्यालयों के लिये एक अधिनियम है और एक आदर्श परिनियम बन गया है तो क्यों देरी हो रही है ? सब विश्वविद्यालयों के लिये परिनियमों की घोषणा करने में आज डिग्री कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

हमारा छोटा सा जिला है वहां 7 डिग्री कालेज हैं लेकिन जिला स्तर पर अगर चाहें कि किसी समस्या का समाधान हो जाय तो नहीं हो सकता । जब परिमण्डल में डिप्टी डाइरेक्टर के पास जाते हैं तो वह उच्च शिक्षा से सम्बन्धित नहीं है और ऐसी स्थिति में तत्काल किसी समस्या का कोई निदान उस स्तर पर सम्भव नहीं होता । मैं मंत्री जी और शिक्षा सचिव से अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षा के लिये ऐसी व्यवस्था निकालें कि कार्यवाही में कोई रुकावट न हुआ करे ।

मान्यवर, इसी सदन में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये एक बिल पास हुआ था और यह कहा गया था कि अध्यापकों के चुनाव के लिये एक नई व्यवस्था की जावेगी । मैंने उस समय कुछ सुझाव भी दिये थे । मैं नहीं जानता कि वे सुझाव स्वीकार किये गये या नहीं । लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा परिषद् के पुनर्गठन में यह बात कही गयी थी कि 11 प्राचार्य और 11 अध्यापकों का चुनाव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये किया जायगा । मैं 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि सहायक अध्यापक की मनोवृत्ति, उसका कार्यानुभव, कार्य करने की प्रणाली दूसरी होती है और आचार्य की, चाहे वह हाई स्कूल का हो या इंटरमीडियेट का हो या डिग्री कालेज का हो, उसकी दूसरी स्थिति होती है ।

जनतंत्र में एक मंच पर विभिन्न विचारों के लोग आते हैं तो किसी अच्छी नीति का निर्धारण हो पाता है । मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा आप न करेंगे कि वहां पर संयुक्त चुनाव व्यवस्था करा दें । वह व्यवस्था अलग ही होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा परिषद् में सही मायनों में शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व हो । बहुत से अध्यापक और बहुत से आचार्य जिनको इंटरमीडिएट स्कूलों में तदर्थ अप्वान्टमेन्ट मिला हुआ है तो मैं चाहूंगा कि जो भी नियम बनने वाले हैं उनको जल्दी घोषित करें ।

जब केन्द्रीय मूल्यांकन की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि यह बहुत अच्छा है और इसको बढ़ावा मिलना चाहिये लेकिन उसमें एक बुराई है जिसकी तरफ मैंने इंगित भी किया था । लेकिन शायद उसकी तरफ ध्यान आर्थिक या प्रशासनिक कारणों से नहीं दिया जा सका । किसी भी एक उत्तर पुस्तिका को देखने के लिये कम से कम 5 से दस मिनट तक समय चाहिये । इतने समय में वही उत्तर पुस्तिका देखी जा सकती है जो सामाजिक विषयों की है, और साहित्य या किताब, गणित की है तो और अधिक समय लगेगा । जो परीक्षा मूल्यांकन केन्द्र पर जाते हैं तो उनके सामने पचास साठ उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल रख दिया जाता है और आशा की जाती है कि पांच घंटे में वह उनको खत्म कर लेंगे ।

हो यह रहा है कि जल्दी-जल्दी पन्ना पलट कर वह काम खत्म कर देते हैं। इसमें होना यह चाहिये कि विषय के अनुसार समय निश्चित कर दें । आप आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकेंगे। अगर एक घंटे में 6 उत्तर पुस्तिकाएं देखी जावेंगी तो आठ घंटे में 48 हुईं । लेकिन क्या आठ घंटे लगातार कोई उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकेगा ?

मैं यह अह अनुभव कर रहा हूं कि हमारी जो योजना आज है उसमें सुधार होना चाहिये और यह जरूरी है। इस पर हमारे शिक्षा निदेशक महोदय ध्यान दें। अपने भाषण में हमारे शिक्षा मन्त्री जी न बी0 एड0 की बात की। गत वर्ष भी इसी सदन में इस विषय पर चर्चा हुई थी और बहुत से सुझाव दिये गये थे और उनमें से बहुत से सुझावों को विभाग ने मान भी लिया है। उनको इस वर्ष लागू भी किया गया है। जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है उसको मैं यहां रखूंगा। पहली चीज तो हम यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुल सचिव के कार्यालय में, सम्पूर्ण क्षेत्र के आधार पर वरीयता सूची बननी चाहिये। हमारे कालेज में 48 परसेन्ट, पड़ोसी कालेज में 38 परसेन्ट और दूसरे में 32 परसेन्ट चयन अंक आया। आप बी0 एड0 में अच्छे अध्यापकों का चुनाव करना चाहते हैं। अगर आप पूरे प्रदेश के लिये यह नहीं कर सकते तो कम से कम विश्वविद्यालय को क्षेत्र मानकर ऐसा किया जा सकता है, जो अधिक उपयुक्त होगा।

दूसरी बात यह है कि बी0 एड0 में प्रवेश पाने के लिये कुछ वेटेज अंक (अधिभार अंक) भी निर्धारित किये गये हैं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के लिए अथवा इसी प्रकार से आप अन्य आधार पर अधिभार अंक देते हैं। ऐसा आप राजनैतिक विचार के कारण करते हैं। इससे अनियमितता आती है और योग्यता का हनन होता। वह अध्यापक जो चिन्तन नहीं करता वह कौन-सी नई पौध पैदा कर सकेगा। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो बुराइयां हैं उसका मुख्य कारण है हमारे शिक्षकों में मुक्त एवं स्वस्थ्य चिन्तन का अभाव। हमारा शिक्षक भीरू और भयग्रस्त है। इसके लिए हमारी शिक्षा संस्थाओं में उत्तर दायित्वहीन बौद्धिकता की स्थिति धीरे-धीरे घर करती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा संस्थायें प्रबुद्ध, मेधावी और चिन्तनशील शिक्षकों की केन्द्र बने और वहां से समाज को प्रेरणा का स्रोत मिले लेकिन यह उसी समय हो सकता है जब कि हम वहां पर आदर्श अध्यापकों को बैठायें। अगर हम गत 28 सालों के इतिहास देखें तो क्या आप यह मानेंगे कि इस दिशा में कोई प्रगति हुई है मैं यह कहूंगा कि बी0एड0 के चुनाव में जो नर्मी बर्ती जा रही है उससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में एम0ए0 की परीक्षा को उचित मान्यता नहीं मिली है। माननीय शिक्षा मंत्री इस पर भी विचार करें। एम0ए0 की परीक्षा को उचित वरीयता मिलनी चाहिये। छात्राओं के लिये आप 25 परसेंट स्थान सुरक्षित कर दें और अगर वे न मिल सकें तो उन स्थानों को आप पुरुषों से भर दें। यही बात अनुसूचित जनजातियों के लिये भी है। अगर वे न मिल सकें तब वे स्थान अन्य दूसरों को दे दिये जायं लेकिन योग्यता का ही आधार मानकर आप प्रवेश करें, यह आवश्यक है।

मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जिन महाविद्यालयों में बी0 एड0 की कक्षायें चलती हैं; उनमें काम करने वालों को ट्रेनिंग के लिये सुविधा दें, यह सुविधा योग्यता के आधार पर दी जावें, पर जिन विद्यालयों से उनको काम पड़ता है। उनको सहूलियत मिलनी चाहिये ऐसे विद्यालय कहते हैं कि हमारे यहां से सारा काम होता है लेकिन हमारे एक अध्यापक को नहीं लिया जाता है। आप दो तीन प्रतिशत का अधिकार उनको दे दें और उसका आधार योग्यता ही रखें। मैं यह कहना चाहता हूं कि बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण जो है दो वर्षों का किया जा रहा है। उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल रखी गयी है यह बहुत कम है यह बात मेरे गले के नीचे अध्यापक होने के नाते नहीं उतर पा रही है, इसे आप ऊंचा करें। आज का

[बाबू प्रभाकर सिंह]
बी0 ए0 पास छात्र शब्द कोष भी देखना नहीं जानता है। कोठारी आयोग ने ऐसे अध्यपकों के लिये बी0 ए0 की योग्यता रखी है। ट्रेनिंग के बाद अध्यापक निश्चित स्थानों पर लगाये जायं, उनमें बेकारी न रहे। अगर उनको काम नहीं दे सकते तो थोड़े दिन के लिये ट्रेनिंग रोक दें। नियुक्ति न मिलने में अध्यापक में निराशा उत्पन्न होती है, वह हतोत्साहित होता है।

माध्यमिक स्कूलों में 8 वीं तक एकाउंटिंग की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गयी है इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। लेकिन इसी तरह से यह भी जरूरी है कि खेल-कूद को अनिवार्य किया जाय। बिना शारीरिक तथा मानसिक विकास को संतुलित किये हम योग्य नागरिक तथा अच्छे विद्यार्थी उत्पन्न नहीं कर सकते। शिक्षा संस्थाओं में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिये जो सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है और लखनऊ में एक संस्कृत एकेडमी स्थापित की गयी है वह बहुत सराहनीय है। एक खास बात जो यह है कि प्रत्येक मंडल में कक्षा 9 व 10 के मेधावी छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा देने की बात की गयी है इस पर विशेष ध्यान देने व विचार करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री ने जो प्रगतिशील बजट पेश किया है; उसका समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, रामायण राय जैसे समाजवादी तथा प्रगतिशील विचारधारा के, अम्मार रिजवी जैसे शिक्षा मंत्री के बावजूद समाज में गैर बराबरी पैदा करने वाली शिक्षा चलती रहे, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्राइमरी शिक्षा में जो विषमता है अर्थात् एक तरफ जब तक अमीरों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पब्लिक स्कूल्स के जरिये और दूसरी तरफ किसान व मजदूरों के बच्चों के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल कायम रहेंगे और उनमें यह अन्तर कायम रहेगा तब तक इस तरह की व्यवस्था में मैं समझता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की समाजवादी व्यवस्था नहीं बन सकती और न ही उसका कार्यान्वयन सफल हो सकता है। हमारे यहां पिछले 5-7 सालों में जो उच्छृंखलता बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी शिक्षा नीति का रहा है। विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी तक जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें एक इन्डेपेन्डेन्ट यूनिट है। उनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं इन शिक्षण संस्थाओं की हालत वैसी ही है जैसे कि एक योग्य पिता अपने नालायक लड़के की रखवाली करने के लिये मजबूर हो जाता है उसी प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जैसा कि अभी माननीय द्विवेदी जी ने बताया कि प्रधान मंत्री के क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की क्या व्यवस्था है। वहां के डी0 आई0 ओ0 एस0 वहां पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं बलिया में शिक्षा परिषद् का जो कार्यालय है उसमें एक-एक एस0 डी0 आई0 और मास्टरों की माहवारी बंधी हुई है। मुआयना करने नहीं जाते हैं जितने अध्यापक हैं, अगर आप मुआयना करें तो एक दिन में आधे से अधिक मास्टर गैरहाजिर रहते हैं। एक दिन में मैंने दस स्कूलों का मुआयना किया। जहां-जहां मैं गया वहां-वहां मैंने 2-3 मास्टरों को गैरहाजिर अवश्य पाया। रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगी हुई है। कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं हेड मास्टर की आधी तनख्वाह बंधी हुई है। मैं पूछता हूं कि क्या इसी तरह की शिक्षा से देश का भला होगा। स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये टाट-पट्टी का इन्तजाम नहीं है हमारे मंत्री जी या डाइरेक्ट जानते होंगे आप कुछ स्कूलों को चुनें जिनको कि आपने ग्रांट दी है टाट-पट्टी खरीदने के लिये यदि वे वहां न मिलें तो आपको फौरन ही उस स्कूल का चालान कर देना चाहिये और वह सारी ग्रांट वसूल कर लेनी चाहिये।

पिछले 25 सालों में शिक्षा जगत में हमारे स्वतंत्र भारत में जो अपेक्षा थी वह न होकर उसकी स्थिति इन्तिहा पर पहुंच गई है। मैं आपको रत्नासिंह डिग्री कालेज का उदाहरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूंगा। वहां पर 160 बी0 एड0 की स्ट्रैन्थ थी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि योग्यता के आधार पर वहां भरती हुई है 160 की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट वहां 460 विद्यार्थी भरती किये गये। और एक-एक विद्यार्थी से दो-दो हजार रुपया लिया गया। कमेटी के सामने मामला आया और कहा गया कि योग्यता के आधार पर लोगों को बुलाया गया था योग्य छात्रों को भी सूचना दी गई थी लेकिन वे समय से नहीं पहुंचे। इस तरह से सूचना दी गई कि उनको समय पर ही वह नहीं मिली लिहाजा वे नहीं लिये गये। उसमें दिल्ली और मेरठ के बड़े-बड़े लोगों के बच्चों को प्रवेश दिया गया। इसलिये इस रतनसिंह डिग्री कालेज को 420 के अन्तर्गत कर देना चाहिये और ऐसे कालेजों को तोड़ देना चाहिये। इस तरह के विद्यालयों में पढ़ने लिखने वाले ट्रेनों में डकैती डालने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। तनख्वाह देने का इन्तजाम भी अब ट्रेजरी से हो गया है। किसी भी कालेज के ऊपर दुहरा प्रबन्ध नहीं चल सकता। वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पैसे को लूटा और हड़पा जा रहा है। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स जब तक पैसा नहीं लेगा, किसी का एप्रूवल नहीं कर सकता। प्राइवेट स्कूलों के मैनेजर, हम जानते हैं कि 3-3 हजार रुपया लेकर मास्टरों को एप्वाइन्ट करते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, पांच मिनट का समय और दे दें। आज जो घोर अव्यवस्था शिक्षा के जगत में फैली हुई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाल में फैजाबाद में अवध यूनिवर्सिटी खुली है जो हमारी राजधानी के नजदीक है। वहां के वाइस चांसलर को एक दफा बाराबंकी के बार्डर पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस वालों ने यह समझा कि कोई स्मगलर है। उन्होंने लखनऊ में कैम्प आफिस खोल रखा है और बराबर फैजाबाद से लखनऊ आते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि वह एक सेन्टेन्स भी सही नहीं बोल सकते हैं चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिन्दी। एक दफे नशे में कहते हैं कि हम बाइस चांसलर अवध तो पुलिस आफिसर ने कहा अवध जिमखाना कहो। इसी तरह से रजिस्ट्रार की बात कहता हूं। श्री रामसुभग सिंह ने, जो अपने को गांधी वादी कहते हैं कानून से अपनी बीबी को तलाक दे दिया सिर्फ जमीन को बचाने के लिये। उस यूनिवर्सिटी का कैम्प आफिस लखनऊ में खुला है और विश्व-विद्यालय खुला है फैजाबाद में।

मैं एडल्ट एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। एडल्ट एजूकेशन नाम के कहीं कोई स्कूल नहीं है और सारा पैसा इन स्कूलों के नाम पर अधिकारी लोग अपनी जेब में रख लेते हैं। लालटेन के पैसे से लेकर अध्यापकों की तनख्वाह तक का पैसा खा जाते हैं।

जैसा कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में हमारे सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन करना है तो यह शिक्षा जिला परिषदों को दी जानी चाहिये। हमने जिला परिषदों की व्यवस्था को भी देखा है और हमने बेसिक शिक्षा परिषद् की व्यवस्था को भी देखा है। तो यह बेसिक सिद्धान्त है कि उसे किसी के मातहत होना चाहिये आज बेसिक शिक्षा के कार्यालय जनपदों के अन्दर किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। अगर आप लोकतंत्र के सिद्धान्त को मानते हैं तो जिला परिषदों को यह काम दिया जाना चाहिये।

आप प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को तीन सौ रुपया तनख्वाह दीजिये। अभी तक वह पढ़ाने के काम को सेकेंडरी समझते हैं। पहला काम उनका घर की खेती करना है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां अध्यापक 12 बजे या एक बजे स्कूल जाते हैं। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये कि एक तहसील का अध्यापक दूसरी तहसील में रहे।

आप एक ढंग के स्कूल शहरों से लेकर देहातों तक बनायें तभी आप शिक्षा में कायापलट कर सकते हैं। सभी बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिले यह हमारी उद्घोषित नीति है। आज हमें शर्म आती है जब आजादी के 27 साल बाद भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता

[श्री काशी नाथ मिश्र]

हूं कि मैं जनसंघ पार्टी का हूं जो आर० एस० एस० और शिशु मंदिरों को चलाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ाई की कैसे उन्नति हो सकती है? जो साम्प्रदायिक बात कहते हैं। माननीय ग्राइस साहब ने कहा कि इतिहास-इतिहास है, उसको कैसे बदल सकते हैं। बात सही है लेकिन यह देखने की बात है कि इतिहास किस नजर से लिखा गया। उस वक्त इतिहास को अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों की भावना से लिखा। अगर आपने इतिहास पढ़ाना है तो अकबर का, शेरशाह सूरी, रजिया बेगम, रहीम और कबीर का इतिहास पढ़ायें जिन्हें हम अपने पुरखें समझें। इस दृष्टि से इतिहास पढ़ायेंगे तो हमारे यहां से साम्प्रदायिकता कम होगी। एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से जो दोनों यहां पर सबका भार लिये हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूं कि यह लोरेटो, सैनजोजफ स्कूलों को खत्म करें और एक ही तरह की शिक्षा सारे प्रदेश के करोड़ों बच्चों को दें। इससे देश और प्रदेश का बहुत भला होगा।

इसके साथ-साथ एक बात भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रदेश में हिन्दी के साथ कम से कम दो भाषायें दक्षिण की भी भाषा सूची में अनिवार्य रूप से रखें या उर्दू रखें या फिर आप्शनल रख दें उर्दू या दक्षिणी भाषाओं में से एक भाषा। दो भाषाओं की शिक्षा देना शुरू करेंगे, तो उत्तर और दक्षिण की एकता बढ़ेगी और साथ ही राष्ट्रीय एकता की भी भावना बढ़ेगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह बड़े ही जागरूक हैं, लेकिन उनके विभाग में ऊपर से नीचे तक बड़ी गड़बड़ी है। संस्थाएं अपने को बिलकुल स्वच्छन्द समझती हैं। जो अफसरों के मन में आता है, वे मनमानी करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपनी नीति के अनुसार प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के लड़कों को तैयार कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे शिक्षा मंत्री जी प्रगतिशील मंत्री हैं, ने अपने बजट भाषण में कहा है कि शिक्षा प्रगति की जननी है। मैं भी समझता हूं कि शिक्षा प्रगति की जननी है, समाज की दर्पण है, शिक्षा समाज का प्रकाश स्तम्भ है, जिनको पकड़कर इंसान अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाता है, जहां से वह सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करता है। श्रीमन्, मुझे समय पहले मिलना चाहिये था। फिर भी मैं दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 26 जून, 75 के पहले हमारे इस देश में स्थिति क्या थी? उसके बाद की परिवर्तित स्थिति में 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा 12 तक खेल कूद में जो अनिवार्यता दी गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है? इसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक स्काउटिंग प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को अनिवार्यता दी गई है यह भी एक बहुत अच्छा और महत्व का कार्य है। ये मूल तत्व हैं, जिनके आधार पर हम छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा कर सकते हैं। इसलिये यह बजट बड़ा अच्छा है और मैं इसका दिल से समर्थन करने के लिये तैयार हूं।

मान्यवर, जिलों में एक समस्या है, जिसकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि शिक्षा विभाग से, कि पूरे प्रदेश में इस वक्त करीब 25 हजार रिक्तियां अब भी मौजूद हैं और 30 जून तक जिनकी संख्या 30 हजार हो जाने की सम्भावना है साथ ही इस प्रदेश में 65 हजार बी० टी० सी० प्रशिक्षित नवयुवक और नवयुवतियां बेकार बैठी हुई हैं। अतः मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम में इन रिक्तियों पर इनको जगह दी जाए। इस संबंध में विभाग से मुझे वित्तीय कठिनाई की बात मालूम हुई है, तो शिक्षा मंत्री जी मुख्य मंत्री से; वित्त विभाग

आदि से परामर्श करें और उनके सामने अतिरिक्त धन का प्रस्ताव करें, ताकि इन हजारों लोगों की बेकारी दूर हो सकें और छात्रों का कल्यण हो सके।

मान्यवर, मैं एक शिक्षक होने के नाते अनुभव किया है कि आज शिक्षा का पाठ्यक्रम सही रूप में नहीं है। मैंने देखा है कोठारी आयोग की संस्तुति के बाद केन्द्रीय सरकार की जो शिक्षा के बारे में योजना है उसमें व्यावसायिक शिक्षा के प्रति पूरा ध्यान दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसी आधार पर यहां प्रत्येक जनपद के लिये एक समिति गठित होने जा रही है, जिसमें व्यावसायिक अधिकारी और शिक्षा अधिकारी आदि होंगे, वह सभी क्षेत्रों व जिलों में जा-जाकर सर्वेक्षण करेगी कि वहां पर लोकेशन के आधार पर किस चीज की उपयोगिता होगी। तदनुसार उसी चीज की शिक्षा वहां पर दी जाएगी।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 4 मिनट का समय हमें और दे दें। अब प्राथमिक स्कूलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि डिग्री कालेज की शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, यह शिक्षा आधारित ह प्राथमिक शिक्षा के आधार पर, हमारे माननीय सदस्य यहां पर यह आवाज उठाये कि आज एक तरफ तो शिशु सदन चल रहे हैं, कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ाई हो रही है, किंडर गार्टेन में पढ़ाई हो रही है, एक तरफ उस आंचल में जहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भी 29-30 वर्षों में कोई उपलब्धियां नहीं हो सकीं। मैं पैदल यात्रा में जब अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो देखा कि आज भी वहां पर जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भवन नाम की कोई चीज नहीं है। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें और यदि वे ध्यान न देंगे तो जो हमारे भारतीय संविधान में समता का प्राविधान है जो समाजवाद की आवाज है, वह हम सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि इस पर वह गहन रूप से विचार करें और इस निष्कर्ष पर आवें कि शिक्षा का उद्देश्य जिससे पूरा हो सके, जिसमें मंत्री मुद्रित, करुणा और अपेक्षा की भावना हो। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हो; इन शब्दों के साथ जो शिक्षा का प्रगतिशील बजट है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कटौती के प्रस्तावकर्ता महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वह कृपा करके अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

ले लेंगे हम।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, कटौती के पीछे क्या, किसी भी बजट पर विचार करते हुए माननीय सदस्य को सर्वप्रथम यह देखना चाहिये कि विभाग द्वारा जो नई मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उन नई मांगों का औचित्य क्या है? क्या वे मांगें ऐसी ही हैं जो बहुधा पहले आती रहती हैं या वे मांगें ऐसी हैं, जिनके संबंध में निरंतर माननीय हमारे कटौती के प्रस्तावकर्ता महोदय आग्रह करते रहे हैं। मान्यवर, हमें उनका और उनके दल का विचार सुनने का मौका मिला है और कई वर्षों तक मिला है। उनकी तरफ से बराबर यह कहा जाता रहा है कि शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना नितांत आवश्यक है। मान्यवर, आप देखेंगे कि 12 नई ग्रान्ट्स में 8 नई ग्रान्ट्स का संबंध केवल विज्ञान की शिक्षा के पढ़ाने के सम्बन्ध में है। यह प्लान साइड में है और नान-प्लान साइड में अगर आप देखेंगे, दृष्टिपात करें, तो नान-प्लान साइड में भी वही ग्रान्ट्स हैं जिन विषयों की तरफ माननीय सदस्य बराबर आग्रह करते रहे हैं कि इन विषयों का समावेश होना चाहिये और बातें जो कही गई हैं इस अवसर पर उनके संबंध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, इसलिये नहीं कहना है कि मान्यवर, कि

[श्री रामायण राय]

उनमें से अधिकांश बातें ऐसी थीं जो निरंतर इस सदन के समक्ष कही गई हैं। हम तो यह आशा करते थे। मान्यवर, कि शासन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, उसका उल्लेख किया जायगा। उसमें जो कमियां हैं, उनके बारे में विचार किया जायगा। हमारी नई ग्रान्ट्स जैसा कि मैंने आपसे बताया, इन ग्रान्ट्स के माध्यम से केन्द्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम अपने विद्यालयों में विज्ञान के विषयों का समावेश करना चाहते हैं। उन विषयों के समावेश के लिये आवश्यक होगा कि इधर की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जायं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपना बिचार व्यक्त करते हुए यह कहा कि बालक के ऊपर तो अनावश्यक रूप से इतने विषयों का बोझ डाला है और वही माननीय सदस्य यह बार-बार आग्रह करते रहे हैं कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभ्युदय होना चाहिये।

समाजशास्त्र के विषयों के अध्ययन के बाद क्या यह सम्भव है। क्या यह सही नहीं है कि विश्व के जिन देशों ने तरक्की की है वह वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर की है? जो कदम उठाया गया है वह आमूल-चूल परिवर्तन करनेवाला है जिससे हम अच्छे युवकों को पैदा कर सकें। मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि टेक्निकल एजूकेशन का बजट भी ऐसा ही है। आप नयी-नयी ग्रान्ट को देखेंगे तो उनमें क्या है? हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हैं और उनका समावेश करने के लिये इस तरह की ग्रान्ट रखने की कोशिश की गयी है। मान्यवर, एक बात जो दोनों ओर से कही गयी है वह प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा के बारे में कही गयी है। कहा गया कि भवन नहीं है, टाट पट्टी नहीं है। अगर मैं यह कहूं कि यह गलत है, तो ठीक नहीं होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 60 हजार के लगभग प्राइमरी स्कूल हैं इन प्राइमरी स्कूलों को अगर बनवाया जाये तो एक स्कूल पर 20 हजार रुपया व्यय होगा तो इस तरह से मान्यवर, लगभग 1 अरब और 20 करोड रुपये की आवश्यकता होगी इन प्राइमरी स्कूलों के भवनों को बनाने के लिये। सवाल यह है कि जिस स्थिति से हम पिछले दिनों में गुजरे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। जिस संकट में हम फंसे हुए थे उसमें हमारे लिए यह सम्भव नहीं था कि हम इनके भवनों का बना सकें। हम इनके भवनों के बनाने की सोचते या विद्युत् को प्राय-रटी देते। सीमित साधनों को देखते हुए सरकार को विवश होकर इन आवश्यकताओं को समझते हुए बजट में उन चीजों पर प्रायरटी देनी पड़ी, जिससे उनके उदर की ज्वाला को शान्त कर सकें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

टाट-पटटी के स्थान पर कुर्सी भेज दें।

श्री रामायण राय--

सुन तो लें मैं वही कहने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सुन्दर भवन बनें जैसा कि माननीय सदस्यों की इच्छा है। मैं माननीय सदस्यों से अवश्य सुझाव चाहता था कि वह बतायें कि किस प्रकार से एक अरब और 20 करोड़ की व्यवस्था की जाये। क्या हम एजूकेशन सेस लगायें या और कोई कर लगाये। तो यह गंभीर बात है हमारी इच्छा है कि इन समस्याओं का समाधान हो जाय जिससे आने वाले वर्षों में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा सुनने को न मिले। मान्यवर, एक बात की और चर्चा की गयी कि पावर का डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये। मान्यवर, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिला परिषद् के हाथ में जब यह व्यवस्था थी तो मान्यवर, मैं अपने जनपद की बात बताता हूं कि एक जिला परिषद् के चैयरमैन थे वह ब्लैंक एप्वाइन्टमेन्ट ब्लाक प्रमुखों को बांट देते थे।

एक साहब ने अपनी पत्नी को नियुक्ति पत्र दिया और उनकी पत्नी जब स्कूल में जाती है तो पढ़ी-लिखी लड़कियों से कहती है कि बबुइ कृपा करें हमको दस्तखत करना तो बता दो

जिससे मैं तन्ख्वाह तो ले लूं। आप यहां पर आदर्शों की बातें तो करते हैं लेकिन सत्य को क्यों भूल जाते हैं। हमने जिला परिषदों को अख्तियार नहीं सौंपा और न निरंकुश अधिकारियों को ही। हमने जिला परिषदों के साथ-साथ अधिकारियों की एक बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया है जिसमें जिला परिषद् के अध्यक्ष सभापतित्व करते हैं। जिस जिले में अध्यक्ष की अवहेलना की गई तो क्या हुआ। मैं अपने जनपद की बात जानता हूं कि हमारे चेयरमैन के कहने पर कमेटी नहीं बुलाई, लेकिन शासन ने सूचना मिलते ही उनको मुअत्तल कर दिया हमने निरंकुश अधिकारियों और जिला परिषदों, दोनों को अलग-अलग न रखकर एक सिन्थेसिस तैयार की है। इससे उनकी व्यवस्था अच्छी होगी।

माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि समाजवादी मंत्रियों के होते हुए प्रदेश में 2 प्रकार की शिक्षा संस्थायें हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, इसीलिये विभाग ने उस दिशा में चलने के लिये एक आवासीय शिक्षा की है। प्रत्येक ब्लाक स्तर से 2 प्रतिभाशाली छात्र चुने जायेंगे और उनको फ्री एजूकेशन दी जायगी, उनके व्यक्तित्व को उभरने का पूरा अवसर दिया जायगा। समाजवाद का मतलब लैवलिंग डाउन नहीं होता है। कोल्विन को जोड़कर प्राइमरी शिक्षा को दुर्गति में नहीं ले जाना चाहते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स को इन पब्लिक स्कूल्स की भांति लेवलिंग अप करके ऊंचा ले जाना चाहते हैं, समाजवाद का लक्ष्य यही है और हमारा यही प्रयास है। यदि आप बजट के आइटम्स को देखते तो आपको तो हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

आपके यहां पर बैठने के लिये प्राइमरी स्कूल्स में टाट पट्टी तक का तो प्रबन्ध है नहीं, आप काल्विन के स्तर पर उन्हें अवश्य लायेंगे ?

श्री रामायण राय—

आज यह बात बहुत सफाई के साथ मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी अपनी मान्यता है और हमारी सरकार की भी मान्यता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और जो शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों से दूर हट कर चलती है, वह मर जाती है। इस दृष्टिकोण को लेकर हमने उन विद्यालयों का अधिग्रहण किया है जो हमारे सामाजिक लक्ष्यों से विपरीत जा रहे थे मेरा आशय सरस्वती शिशु मंदिरों से है मेरा आशय उन संस्थाओं से है जिनमें राष्ट्र द्रोह की शिक्षा दी जा रही थी। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा माना हुआ सिद्धान्त सैक्युलेरिज्म है। हाल में विभाग ने केन्द्रीय शिक्षा शोध परिषद् को कक्षा एक से लेकर इन्टरमडिएट तक की पुस्तकों को उनकी सेवा में प्रेषित कर रहा है और उनसे प्रार्थना कर रहा है कि जो इसमें नान सेक्युलर बात हो उसको काट दिया जाय। हम अपने विभाग में कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ाना चाहते हैं जिससे मजहबी भावना पैदा हो और जिससे सम्प्रदाय विशेष के भाव जगें। और इसीलिये यह व्यवस्था हमने की है।

मान्यवर, आपने स्वयं सुना होगा कि 3.18 करोड़ रुपया आजादी के पहले शिक्षा पर खर्च होता था और आज 214.95 करोड़ खर्च हो रहा है। 11 परसेंट से 23.8 परसेंट हो गया। शिक्षा के बढ़ते हुए व्यवहार को देखते हुए अमेरिका से समृद्ध देश ने कानूनी कमीशन की स्थापना की उस कमीशन ने कहा कि दुनियां का समृद्ध से समृद्ध राष्ट्र शिक्षा के बढ़ते हुए व्यवहार को सहन नहीं कर सकता है। फिर उत्तर प्रदेश जैसे विकासशील प्रदेश के लिये आशा करते हैं कि सारा क्राइम विभाग स्वीकार कर ले ? मैं यह मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ विस्तार हुआ है उसके पीछे समाज के उन महापुरुषों का हाथ रहा है जिन्होंने उदारता के साथ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है। उनकी उदार भावनाओं को आज भी अपील करने की आवश्यकता है। और सरकार के भरोसे चाहते हैं कि शिक्षा का दायित्व पूरा हो जाय, तो नहीं होगा। हां, "प्रायमरी एजूकेशन इज प्रायमरी ड्यूटी आफ दि स्टेट"

[श्री रामायण राय]

प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व सरकार पर है । लेकिन साथ ही साथ हायर एजूकेशन इज दि आबलीगेशन आफ दि स्टेट ।" आज कितना खर्च करना पड़ता है, किस प्रकार से उस व्यवहार से हम हटेंगे और किस प्रकार उस सारे पैसे को हम प्रायमरी एजूकेशन में खर्च कर सकेंगे, इस दिशा में ही देखना चाहिये । और मैं पुनः कटौती के प्रस्तावक से कहना चाहता हूं कि आज जो हमने प्रार्थना की है, उसके चलते बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय होगा, श्रम की महत्ता समझेंगे और उनके अन्दर जो प्रिजुडिसेज हैं, ऐसी दुर्भावनाएं हैं--- कास्ट्स की, प्राविंशयल प्रिजुडिसेज--उनका अन्त होगा और शिक्षा सही मानों में अपने युग-धर्म के अनुरूप, राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रशस्त हो सकेगी अपने मार्ग पर इस आशा के साथ पुनः आग्रह करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

दो प्वाइंटस् पर स्पष्टीकरण देने की कृपा करें.....

श्री राम औतार सिंह भदौरिया---

मंत्री जी, को मैंने एक सुझाव दिया था कि जिला बेसिक शिक्षा समितियां हैं, उनमें जन-प्रतिनिधियों को, विधायकों को सम्मिलित किया जाय । आपने ऐसे आदमियों को नामिनेट कर दिया है, जिनको अवसर नहीं मिलता है गांव जाने का और बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में वे कुछ नहीं समझते हैं--इस संबन्ध में आपने कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने ध्यान आकृष्ट किया है, वह जवाब दे देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण से आभास लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग फंड के नाम पर बेसिक शिक्षा के विद्यार्थियों पर फीस लगाई जा रही है ।

दूसरा प्वाइंट यह है कि माननीय मंत्री जी, टेहरी उत्तरकाशी के अध्यापकों का मामला इतने दिनों से लटका हुआ है कैबिनेट सब कमेटी का निर्णय हो चुका तो यह बतायेंगे कि जी० ओ० क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

जबाब तो देंगे, भाषण के दौरान में ।

*श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी---

मान्यवर, अभी माननीय मंत्रीजी ने मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो यहां चर्चा हुई, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करने की कोशिश की । मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर महसूस करता हूं कि हमारे मंत्री जी और हमारे राज्य मंत्री जी बहुत गहरी इच्छा के साथ इस कोशिश में हैं कि हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था का क्रान्तिकारी रूपान्तर हो । सवाल यह है कि जो काम हम करते हैं इसका आंकलन कैसे करें । जो जरूरतें हैं हमारी और उनको पूरा करने की जो सम्भावनायें हमारे समाज में विद्यमान हैं उन सम्भावनाओं का सही एक्सप्लायटेशन हम कर पाते हैं या नहीं । इस पर हम आंकते हैं हमारे जो काम हुये उनको इस सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि जो एक अच्छी दिशा शुरू की गयी है अगर हम इससे संतुष्ट हो जायं और सोच लें कि हमने बहुत कर लिया तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । दिशा अच्छी है जिसका हमने स्वागत किया था । इसके लिये शुक्रगुजारी अपनी तरफ से जाहिर की थी और पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हू कि आपने इस दिशा में कुछ कदम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उठाये। लेकिन यह संतोष करने का न विषय है न इसकी जरूरत है। इसलिये हम यह आशा करते हैं कि जो हमने अभी कटौती का प्रस्ताव रखा था और उस सम्बन्ध में कुछ चर्चायें की थीं जिसमें खासतौर से लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर लोक प्रशासन विभाग में जो घुस पैठ है साम्राज्यवाद की, प्रतिक्रियावाद की और जो गहरा घोटाला है, इसकी गहराई से जांच करने की कोई व्यवस्था जरूर करें।

मैं आशा करता हूं कि जो यह नयी वैज्ञानिक शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की है आपने और बहुत से माननीय सदस्यों ने एक डर व्यक्त किया था कि बगैर भली प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों की एक बड़ी लम्बी टीम के जो 16–16 विषयों की पुस्तकों का बोझ उनकी आर्थिक स्थिति पर लादने वाले हैं उनकी वगैर व्यवस्था किए आप कुछ करेंगे तो काफी खतरा है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी मुकम्मिल तौर पर लायब्रेरी के जरिये किताबों की व्यवस्था विद्यार्थियों को करने का कोई इन्तजाम करेंगे, दोपहर के भोजन की व्यवस्था करेंगे और आर्थिक भार उन पर किसी प्रकार न पड़े इसकी व्यवस्था करेंगे और जो यह तमाम चर्चा हुई, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये उन पर एक–एक पर गहराई से विचार करेंगे और जो सुझाव ग्रहणीय हैं उनको आप ग्रहण करेंगे और जो आगे शिक्षा योजना आपकी है; उसमें शामिल करेंगे।

इसके साथ-साथ अन्तिम रूप से मैं यह आशा और यकीन करता हूं कि आज जो साम्प्रदायिक शक्तियां गहरे तौर पर तोड़-फोड़, घुसपैठ नीति के सन्दर्भ में और ज्यादा गहराई से कोशिश कर रही हैं आप ऐसे पुरजोर कदम उठायेंगे जिससे इनकी साजिशों को जड़ मूल से फेंका जाय शिक्षा जगत से। इन आशाओं और विश्वास के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन, मैं सम्मानित सदस्यों का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहस में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिये तथा मुफीद बातें कहीं। खासतौर से माननीय जगदीश नरायन जी का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लिया।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि बजट पिछले वर्ष से घट गया है। 23.8 परसेंट से पिछले वर्ष यह कहा गया कि ज्यादा था। बात यह थी कि पिछले बजट में सन् 1972 के तथा पिछले कुछ एरियर्स थे उनको भी दिया गया था। इस सब की एक बहुत बड़ी रकम पिछले बजट में थी। जो रिक्तियां थीं उनकी पूर्ति के लिये भी पिछले बजट में रकम रखी गयी थी। इस कारण वह ज्यादा था, किन्तु जो भी मदें हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गयी है।

यह कहा गया कि प्रदेश में बहुत सी जगह लिट्रेसी का प्रतिशत कम है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम अब विचार कर रहे हैं कि जब हम ग्रान्ट इन एड आदि दें तो जहां का परसेन्टेज कम हैं उन्हें हमें आउट आफ टर्न भी जाकर अगर देना पड़े तो दें। ऐसा हमने निश्चय किया है। लार्ड मैकाले की एजूकेशन सिस्टम का जिक्र किया कि बाबू ही पैदा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम शिक्षा का रोजगार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इस हेतु हमने बहुत कुछ किया भी है। रीजनल इन्जीनियरिंग कालिजों में हम प्रोडक्शन सेन्टर्स भी बना रहे हैं। दूसरी इन्डस्ट्रीज में भी हम कन्सलटेन्सी सर्विस देने की योजना बना रहे हैं। रुड़की विश्वविद्यालय तो सारे भारतवर्ष में अपनी यह सेवा देता है। हमारा यह प्रयास है कि जो लोग यहां से शिक्षा पाकर निकलें वे रोजगार की तलाश में इधर उधर न घूमें। अपने रोजगार की समस्या वे स्वयं हल कर सकें ऐसा हमारा प्रयास है। एक

[श्री अम्मार रिजवी]

सुझाव यह भी आया कि पैरेन्ट्स से ज्यादा से ज्यादा कोआपरेशन लेना चाहिये । इसके लिये भी हमने पूरे प्रदेश में पैरेन्ट्स टीचर्स एसोसिएशन बनाये हैं जो पूरी तरह से सक्रिय कार्य भी कर रहे हैं । राष्ट्रीयकरण का सवाल आया । यह प्रश्न यहां सदन में कई बार आ चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है कि उसमें क्या-क्या बाधायें हैं। सरकार की यह मंशा कतई नहीं है कि टीचर्स को विक्टेमाइज्ड किया जाय या मैनेजमेंट शिक्षा का तिजारती बनायें। जहां-जहां योग्यताओं को फिक्स करने का सवाल है वह भी शासन ने कर दिया है। वह सब ऐक्ट के द्वारा किया जा चुका है। उसमें कोई अब किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अन्य जो भी आवश्यक बातें थी वे भी कर दी गयी हैं। केवल नाम के लिये राष्ट्रीयकरण नहीं है, वैसे सभी कुछ किया है। राष्ट्रीयकरण करने में संवैधानिक दिक्कतें भी कुछ हैं। कम्पेन्सेशन देने का भी प्रश्न है। वैसे पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है, केवल नाम नहीं दिया गया है। इसके बाद भी यदि कहीं कोई चीज रह गयी है तो उसको दिया जायेगा। इस बात का हर वक्त ध्यान रखा जायेगा कि कहीं पर भी टीचर्स का शोषण न हो और विद्यार्थियों के हितों का भी ध्यान रखा जायेगा ।

20सूत्री कार्य-क्रम का भी जिक्र किया गया। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे डिग्री कालिज हैं, 2 के अलावा, सभी में बुकबैंक्स खुल गये हैं। इस वर्ष की योजनाओं में 1 करोड़ रुपया भी प्राप्त हुआ है। इन्टरमीडिएट कालिजों में भी बुक बैंक्स खोल रहे हैं। इस रकम में से 10 लाख रुपया हमने पर्वतीय अंचल के लिये भी रख दिया है।

इसी तरह से ट्रेंड टीचर्स की बात कही गयी कि बात बड़ी फौज ट्रेन्ड टीचर्स की बेकार-घूम रही है और साथ ही साथ यह बात भी कही गयी कि हमें बी0 टी0 सी0 यूनिट को बन्द नहीं करना चाहिये। एक तरफ यह कहना कि ट्रैड टीचर्स की लम्बी फौज है और दूसरी तरफ यह कहना कि बी0 टी0 सी0 यूनिट को बन्द न करें, यह बात समझ में नहीं आयी यह भी कहा गया कि आई0 ए0 एस0 को वाइस चांसलर नहीं बनाना चाहिये और उसी का फिर कंट्राडिक्शन भी हुआ। यूनिवर्सिटी अफेयर्स के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कहा—उसकी पूरी जानकारी करायी जायेगी और इसकी जांच करायी जायेगी। इसी तरह से हरिजनों के सम्बन्ध में भी बातें कही गयी हैं। हमने पहली बार हायर एजूकेशन में रखा है कि 18 परसेंट का कोटा उनके लिये सुरक्षित रहे। जसा कि मैंने शुरू में कहा था, हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त हमारे पास संसाधनों की समस्या है जितनी चीजें आपने कहीं, स्कूलों को, खास कर प्राइमरी स्कूलों को हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं। उसकी नयी सूरत क्या हो सकती है, इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है और इसकेलिये हमें माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। एक तरफ कहा जाता है कि इस में सुधार किया जाय और दूसरी तरफ दूसरी बात कही जाती है कि हर चीज को, फ्री कर दिया जाय। हां, हम उन लोगों को फ्री करने के लिये तैयार हैं जो निर्बल होंगे, जो किसी तरह से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं दे सकते हैं लेकिन जो लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो धन दे सकते हैं उनसे मैं अपेक्षा करता कि वे देश और प्रदेश के हित में बच्चों की पढ़ाई के मामले में आगे आकर हमारी मदद न करेंगे ।

जहां तक किताबों की बात है जितनी किताबें हैं वे सब कमेटी के सामने भेज दी गयी हैं, उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर कार्यवाही की जायेगी। और यदि उसको संस्तुति होगी कि इन किताबों का हटा देना चाहिये, या इस चैप्टर को निकाल देना चाहिये, तो इस सम्बन्ध में जो भी केन्द्र की पालिसी होगी, उसका हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे और कोई भी ऐसी बात हमारे कैरिकुलम में नहीं होगी जो हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हो और जिससे इस देश और प्रदेश के बच्चों के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता हो।

अब मैं आपका ध्यान न्यूट्रिशन प्रोग्राम की ओर दिलाना चाहता हूं। यह प्रोग्राम केवल शहरों में ही नहीं है बल्कि देहातों में भी है। इस बात की जानकारी हमें भी पूरी तरह से है कि जो सामान वहां मिलते हैं उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। हम इसके कार्यान्वियन का कोई सक्रिय तरीका निकालना चाहते हैं कि कोई और सामान जिसे बच्चे ज्यादा पसन्द करें उनको हम दिलावें। जितनी चिन्ता आपको उन बच्चों से है उतनी ही हमदर्दी और चिन्ता के साथ सरकार भी सोच रही है कि प्रदेश की तन्दुरुस्ती को किस तरह से ठीक रखा जाय। क्योंकि पूरे देश और प्रदेश का भविष्य बच्चों के ऊपर ही निर्भर है। यदि वे ही कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। 10+2+3 वर्ष की जो शिक्षा प्रणाली हम चलाने जा रहे हैं उसके बारे में यह कहा गया कि कहीं ऐसा न हो कि हम एक्स-पेरीमेंट कर बैठें और बच्चों का भविष्य अन्धकार में आ जाय। इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं करने जा रहे हैं जिससे बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले केन्द्र के शिक्षा मन्त्री जी से हम लोगों ने इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था। उस समय हमने उनसे कहा था कि 6 हजार साइन्स के लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए 21 से लेकर 23 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो हमें लैबोरेटरीज के लिए आप दें। क्योंकि जब तक लबोरेटरीज में सब सामान नहीं होंगे तब तक उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिक्षा मन्त्री जी ने हमें बतलाया कि केन्द्र लेबोरेटरीज के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता है। फिर कैबिनेट सिस्टम की बात आयी और इस तरह से कुछ टीचर्स को ट्रेन्ड करने की बात है। ये सारी चीजें शासन के विचाराधीन हैं। मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करूं कि इसमें किसी प्रकार की जल्दी नहीं की जाएगी जिससे बच्चों का भविष्य अन्धकार में हो जाय। जहां तक साइन्स की तालीम का सम्बन्ध है यह बात नहीं है कि हम पीछे हैं। जहां तक हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज का सवाल है हम किसी भी देश से पीछे नहीं हैं।

श्रीमन्; यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग में शिथिलता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। मान्यवर, क्योंकि साढ़े 4 लाख के लगभग इस डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं। तो एक ओवरनाइट में सबको चुस्त बना दिया जाय यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। इसके ऊपर पालीटिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं। राजनैतिक असर भी पड़ता है। श्रीमन्, इसको हमारे सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह कहना है कि एक दम से टाइट कर दिया जाय, यह सम्भव नहीं है। अभी पार्टी मीटिंग में माननीय सदस्यों ने कहा था कि कोई भी क्लर्क अपनी जगह पर एक साल से ज्यादा एक जगह पर न रहे। यह फैसला भी हुआ कि 3 साल वाले क्लर्कों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेजा जाय तो इस बात का बहुत बड़ा विरोध आया कि यह लोग कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं इनको क्यों हटाया जा रहा है। तो श्रीमन्, एक तरफ तो अपेक्षा की जाएगी कि चुस्ती लायी जाय और दूसरी तरफ जो आदेश हैं उनको कहा जाय कि वापस ले लिया जाय तो सम्मानित सदस्य स्थिति को खुद समझ सकते हैं।

लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा, सूचना देना चाहूंगा कि इस समय हमने 7 अफसरों को रिटायर किया है, 9 को सस्पेन्ड किया है और 22 के खिलाफ डिसिप्लनरी प्रोसीडिंग चल रही है और 5 का केस विजीलेंस को सौंपा है तो जिस समय मैं सदन में सूचना दे रहा हूं यह वह स्थिति है और जो ऐक्शन लिए जा चुके हैं वह अखबारों में आ चुके हैं। तो जहां तक शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रश्न है हम उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि एकदम से लगा दी जाय और तुरन्त काम हो जाय। एक चीज शुरू आज की गयी है उसका असर का पता 15 साल बाद लगेगा। कोई मेज या कुर्सी तो है नहीं कि उठाकर यहां से वहां रख दी जाय। लेकिन जो कदम उठाए गए हैं उनका पता आगे की जनरेशन जो आने वाली है उस को लगेगा कि क्या अच्छे कदम उठाए गए थे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान संविधान की धाराओं की तरफ खींचना चाहता हूं कि जिसमें कहा गया है कि 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के लड़कों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का हम इन्तजाम कर दें। तो आपकी योजना क्या है ? 10 साल तो बीत गए हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, इसमें भी, जहां तक इसका सवाल है, 10 साल की बात कही गयी है। मैंने और कोई बात नहीं कही, मैंने भी 10-15 साल की बात कहीं है।

हमारे सम्मानित सदस्य नेगी जी ने पूछा था कि उत्तरकाशी के टीचर्स के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ? मुझे पूरी सूचना तो नहीं मिल सकी है लेकिन जो भी आदेश हैं उसको जारी करायेंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मकतबों को ग्रान्ट्स नहीं मिल रही है तो मैं कहना चाहता हूकि उसको 2 गुना कर दिया गया है। मैं यह दोहराना नहीं चाहता हूं कि संस्कृत के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 50 लाख रुपए सस्कृत यूनिवर्सिटी को दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

मैंने पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग के नाम पर प्राइमरी स्कूलों की आप फीस लेने जा रहे हों। क्योंकि एक रुपए, 2 रुपए की बात कही गयी थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

फीस लेने का सवाल है कि अभी, क्या होगा, किस तरह से होगा, यह कोई चीज नहीं है। जसे मैंने कहा था कि जब कोई काम करना होता है तो अक्सर फैसला लेना पड़ता है तो अगर इस तरह का कोई फैसला लेना पड़ा तो मैं इन्कार नहीं कर सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र--

एजूकेशन सेस (Cess) लगा दें। बिहार में है हर आदमी देगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय त्रिपाठी जी, आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने वापस ले लिया है।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया--

मैंने बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया था उसका जवाब नहीं आया?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक विधायकों का सवाल है, जिला परिषद् में लेने का सवाल है। विधायकों को जिला परिषद् की कमेटियों में लाया जायगा क्योंकि बगैर उनके चलाना ठीक नहीं है।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैंने मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि अभी तक जो प्राविधान है डिग्री कालजों में हमारी मंशा यह है कि गरीब और हरिजन लोगों को शिक्षा संस्थाओं में जो स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिला है क्योंकि स्टेट्यूट में लिकुना रह गया है और उनके लिए अलग से प्राविधान नहीं रखा गया है। इसलिए यदि यूनिवर्सिटीज में यह बात आती है तो वह कहते हैं कि स्टेट्यूट में प्राविधान नहीं है। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्टेट्यूट में अमेन्डमेंट करें और इस क्लास के लिए रिजर्वेशन दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी ने पार्टी की बैठक में तो समाधान कर ही दिया होगा।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायकों को क्या वह बेसिक शिक्षा परिषद् की कमेटियों में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक आरक्षण का सवाल है तो उसके लिए हमने 18 प्रतिशत किया है। हायर एजूकेशन में स्टेट्यूट में जो क्वालीफिकेशन टीचर्स और लेक्चरार की हैं उनको यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन प्रेस्क्राइब करता है चूंकि वह हमें पैसा देते हैं। हम उत्तर प्रदेश से संस्तुति करेंगे कि हरिजनों के मामले में कुछ रिलेक्सेशन्स बरता जाय। बेसिक शिक्षा परिषद् के सिलसिले में कहा गया तो ऐक्ट पास हो चुका है; उसमें विधायकों का प्राविधान कराया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी को अनुदान संख्या 28--शिक्षा और अनुदान संख्या 87--ऋण और अग्रिम शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी के कटौती के प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुए)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,79,36,19,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87--ऋण और अग्रिम शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत श्री श्याम मिश्रा और श्री ओम प्रकाश गुप्ता का मार्डन बेकरीज इंडिया लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित डबल रोटी की निर्धारित वजन के तथाकथित कमी से उत्पन्न संकट के बारे में है। यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैंने सवाल उठाया है कि 400 ग्राम की डबल रोटी वजन में कम है यदि शासन द्वारा तत्काल कुछ रोटी को लेकर इस बात की जांच न की गयी तो हो सकता है कि उस मामले में सुधार हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

शासन को इसकी कापी भेजी गयी है, तो सुधार तो होगा ही।

श्री श्याम मिश्रा--

मान्यवर, 2-4 डबल रोटी जब्त कर लें और हमारे पास एक डबलरोटी मौजूद भी है। मैं सरकार के पास जमा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि कोई अनियमितता होगी तो उस पर शासन ऐक्शन लेगा।

दूसरी श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी जी का है ग्राम समधिन, जिला फर्रुखाबाद के एक निवासी का उसी जिले में एस0एस0पी0 के पद पर नियुक्ति से उत्पन्न संकट। इसे शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
4 मई, 1976।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 704 पर)

उप-निदेशक कृषि, वाराणसी द्वारा सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक किए गए दौरे का विवरण निम्न प्रकार है :

माह का नाम	दौरे के दिनों की संख्या	स्थान जहां दौरा किया गया	टी0ए0 तथा डी0ए0 की धनराशि	अभ्युक्ति	पैट्रोल की मात्रा	मोबिल की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
सितम्बर, 1974 ..	16	कल्लोपुर फार्म (वाराणसी) बड़ाबाग, फार्म, देवकली ब्लाक (गाजीपुर) लिकिर, सैखपुर, मनियर, ब्लाक (बलिया), गाजीपुर, रसरा, (बलिया) चिरईगांव (वाराणसी), लखनऊ, गाजीपुर ।	183.94	टी0ए0-प्राप्त	206 ली0	9 ली0
अक्तूबर, 1974 ..	17	इलाहाबाद, मिर्जापुर, तिसूही, फार्म (मिर्जापुर) का0 वि0पी0 ब्लाक, पिन्डारासीड स्टोर (वाराणसी) तिलोचन महादेव सीड स्टोर बकसा फार्म (जौनपुर) गाजीपुर, जमानिया, सरैया, ताडीघाट, अकुशपुर फार्म (गाजीपुर) लखनऊ, रसरा; नगरा ब्लाक (बलिया) सैदपुर (गाजीपुर) ।	390.80	,,	150 ली0	6 ली0

अनुवाद विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
नवम्बर, 1974 ..	14	निबाद ब्लाक, वाराणसी, करन्डा सुवापुर (गाजीपुर) कल्लोदुर, फार्म (वाराणसी) चन्दौली, बबुरी (वारा0) अंकुशपुर फार्म, (गाजीपुर) बेल्थरारोड, (बलिया) ताचांपुर, फतेहउल्लापुर, सैदपुर, (गाजीपुर) पढरी, (मिर्जापुर), लखनपुर (वारा0) जौनपुर, लखनऊ।	300.35	टी0 ए0 प्राप्त	27 ली0	..
दिसम्बर, 1974] ..	17	नन्दगंज, (गाजीपुर) रसरा (बलिया), चिरईगांव ब्लाक चकिया ब्लाक (वाराणसी) गाजीपुर, जौनपुर, मईफार्म रामपुर, ब्लाक (जौनपुर) फ़तेहउल्लापुर (गाजीपुर) सौहाव केवरा, बलिया बांसडीह, (बलिया), लखनऊ	[283.90	,,	129 ली0]	1/2 ली0
जनवरी, 1975] ..	18	कालिका वारासीड स्टोर (वाराणसी), बलिया कृषि विद्यालय राजघाट, हरदुआ, पिंडरा ब्लाक, मंगारी (वाराणसी) जौनपुर, करन्जाकला हैदरपुर, धर्मापुर (जौनपुर) चन्दौली, फार्म (वाराणसी) अहरौरा, राबर्टसगंज, मगाराहो, फार्म (मिर्जापुर) रिसर्च स्टेशन महुआडीह, (वाराणसी) लखनऊ।	[227.37	,,	130 ली0	1 ली0
फरवरी 1975 ..	14	जौनपुर, बरहनी, जमानिया, तिसारा, फार्म महेवा. रेवती पुर, ब्लाक, सैदपुर, ब्लाक, (गाजीपुर) रिसर्च स्टेशन, वाराणसी, मिर्जापुर धोरावल, तिसुही फार्म, पिपराडांड, पउरी, चनार, ब्लाक (मिर्जापुर) हरहुआ ब्लाक, चोलापुर ब्लाक, रिसर्च स्टेशन सेवापुरी ब्लाक (वाराणसी) बलिया, लखनऊ।	218.15	,,	137 ली0	1/2 ली0

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 710 पर।)

सूची

क्रमांक	नाम सड़क	क्रमांक	नाम सड़क
1	अलाद्दीनपुर	9	मिलक रहनी
2	मिट्ठेपुर	10	बसन्तगढ़
3	गोविन्दपुर	11	बहेलपुरी
4	गढ़ी	12	पालनपुर
5	खाईखेड़ा	13	रियासत डाकी-पालनपुर
6	पट्टी	14	गांधड़ी
7	खानपुर सतवाई	15	बहादरपुर-बेरखेड़ा
8	बुडेरन बेरखा	16	सब्दलपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 714 पर।)

क्रम सं0	जिला परिषद् का नाम	जि0प0में गाड़ियों की संख्या		11/74 से 12/75 तक पेट्रोल का व्यय	जिले के बाहर गाड़ी का उपयोग होता है या नहीं	रिमार्क
		जीप	कार			
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून ..	2	1	18,935.64	हां	एक गाड़ी नीलाम की जा रही है।
2	सहारनपुर ..	1	1	26,625.80	हां	
3	मुजफ्फरनगर	1	1	37,795.34	हां	
4	मेरठ ..	1	1	11,362.67	नहीं	
5	बुलन्दशहर ..	1	1	22,476.00	हां	
6	अलीगढ़ ..	1	1	23,942.00	हां	
7	मथुरा ..	1	—	12,107.61	नहीं	
8	आगरा ..	2	—	24,307.45	नहीं	
9	मैनपुरी ..	1	1	9,699.05	हां	
10	एटा ..	2	—	4,468.26	नहीं	
11	बरेली ..	2	—	50,892.41	हां	
12	बिजनौर ..	2	1	16,615,00	हां	एक गाड़ी नीलाम की जा रही है।
13	बदायूं ..	2	1	25,791,03	हां	तदेव
14	मुरादाबाद ..	1	1	24,073.37	हां	
15	रामपुर ..	1	1	12,714.81	हां	
16	शाहजहांपुर ..	2	—	14,421.48	हां	
17	पीलीभीत ..	2	1	43,814.88	हां	एक गाड़ी नीलाम होने जा रही हैं।
18	फर्रुखाबाद ..	1	1	15,330.77	हां	
19	इटावा ..	2	—	8,603.90	हां	
20	कानपुर ..	2	—	39,080.00	हां	
21	फतेहपुर ..	2	—	14,568.75	हां	
22	इलाहाबाद ..	1	1	8,290.13	हां	
23	झांसी ..	2	—	13,940.52	नहीं	
24	ललितपुर ..	—	1	4,062.71	हां	
25	जालौन ..	2	1	28,989.57	हां	एक जीप नीलाम की जा रही है।
26	हमीरपुर ..	2	1	14,618.92	हां	,, ,,
27	बांदा ..	2	1	11,711.72	नहीं	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
28	वाराणसी ..	1	1	27,456.99	नहीं	
29	मिर्जापुर ..	2	—	29,871.67	हां	
30	जौनपुर ..	1	1	11,641.60	हां	
31	गाजीपुर ..	1	1	10,938.57	हां	
32	बलिया ..	1	1	21,648.89	हां	
33	गोरखपुर ..	2	—	12,295.54	नहीं	
34	देवरिया ..	1	1	25,312.00	हां	
35	बस्ती ..	1	1	9,250.00	हां	
36	आजमगढ़ ..	1	1	26,810.46	हां	
37	लखनऊ ..	2	—	24,652.00	हां	
38	रायबरेली ..	1	1	17,480.70	हां	
39	उन्नाव ..	1	1	23,367.00	हां	
40	सीतापुर ..	2	—	18,522.45	हां	
41	हरदोई ..	1	1	17,232.42	हां	
42	खीरी ..	1	1	10,452.30	हां	
43	फैजाबाद ..	2	—	10,950.40	हां	
44	गोन्डा ..	1	1	14,399.74	हां	
45	बहराइच ..	1	1	9,338.78	हां	
46	सुल्तानपुर ..	2	—	24,246 21	हां	
47	प्रतापगढ़ ..	1	1	12,992.47	हां	
48	बार बंकी ..	1	1	5,069.07	हां	
49	नैनीताल ..	1	1	20,183.27	हां	
50	अल्मोड़ा ..	1	1	15,326.52	हां	
51	पिथौरागढ़ ..	1	—	-13,321.80	हां	
52	चमोली ..	1	—	12,314.00	हां	
53	गढ़वाल पौड़ी ..	2	—	16,039.26	हां	
54	टिहरी-गढ़वाल ..	2	—	14,294.31	हां	
55	उत्तर काशी ..	1	—	4,362.23	हां	

पी०एस०यू०पी०—एल० 109 वि० सभा (233)—1976—840